Thursday, 24 November, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-9
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, गुरुवार, 24 नवम्बर, 1977/3, अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 8, Thursday, November 24, 1977/Agrahayana 3, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 144	*Starred Questions Nos. 141 to 144 .	1—10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 145 से 161	Starred Questions Nos. 145 to 161 .	10—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 1393 से 1423 और 1425 से 1563	Unstarred Questions Nos. 1393 to 1423 and 1425 to 1563	24—113
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	114—115
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	116
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report. . .	116
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	116
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	116
श्री अटल बिहारी वाजपेयी की युगोस्लाविया की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य	Statement re: Visit of Minister of External Affairs to Yugoslavia Shri Atal Bihari Vajpayee. . . .	116—122
सभा का कार्य	Business of House	122—123
कम्पनी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Companies (Amendment) Bill—Introduce	124
दक्षिण के राज्यों में समुद्री तूफान के बारे में प्रस्ताव—वापस लिया गया	Motion Re. Cyclones in the States in the South—Withdrawn . . .	124—135
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan. . .	124
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	125
श्री जनार्दन पूजारी	Shri Janardhana Poojary . .	126
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib . . .	127
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी	Shri K. Vijaya Bhaskara Reddy .	127
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	128
श्री वेणुगोपाल गाउन्डर	Shri Venugopal Gounder . .	129
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman . . .	129
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari . .	130

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy .	130
श्री राम मूर्ति	Shri Ram Murti . .	131
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur . .	131
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar .	131
श्री मलिकार्जुन	Shri Mallikarjun .	131
श्री कुमारी अनन्तम	Shri Kumari Ananthan .	132
श्री एस० एम० स्टीफन	Shri S. M. Stephen .	132
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayek	132
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	133
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh . .	133
मंत्रियों के सम्बलम तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill	135—137
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider— .	135
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	135
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	136
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh . .	136
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar .	136
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	137
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	137
पास करने का प्रस्ताव .	Motion to Pass	137
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal . .	137
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	138
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	138
संविधान में संशोधनों के बारे में संकल्प—वापस लिया गया .	Resolution re. : Changes in the Constitution—Withdrawn	138—143 144—148
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	138
श्री ऐम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	140
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain .	140
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwari . .	141
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav .	141
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	141
श्री नानासाहिब बोंडे	Shri Nanasahib Bonde . .	142
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar .	142
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . .	144
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta . .	144
श्री नरसिंह यादव	Shri Narsingh Yadav . . .	146
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan . . .	146
कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन तथा मूल्यों में संतुलन के बारे में संकल्प	Resolution re. : Party Between the Production and Prices of Agricultural and Industrial Products. . . .	141—149
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria . .	148

लोक सभा वाद विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 24 नवम्बर 1977/3 अग्रहायण, 1899 (शक)

Thursday, November 24, 1977/Agrahayana 3, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खनिकों का कल्याण

*141. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा पुनर्विलोकन समिति ने खनिकों के कल्याण के बारे में सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) पुनर्गठित खान सुरक्षा पुनरीक्षा समिति ने 29 अक्तूबर, 1977 को हुई अपनी पहली बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि यदि किसी कोयला खान का कोई कर्मचारी खनन के कारण वायुधात्विक रोग या किसी अन्य व्यावसायिक रोग का शिकार होकर अशक्त हो जाए, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अस्थायी या स्थायी रूप से रोजगार दिया जाना चाहिए। रोजगार अस्थायी रूप से दिया जाए या स्थायी रूप से, यह इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि अशक्तता अस्थायी स्वरूप की है या स्थायी की। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है। समिति ने खान नियम, 1955 में संशोधन करने सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है जिसका आशय खानों में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य डाक्टरी जांच की व्यवस्था करना है । प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप 31 अक्तूबर, 1977 को राजपत्र में प्रकाशनार्थ जारी कर दिया गया है ।

Shri Surendra Vikram : Whether there is any scheme to grant pension to families of a coal-miner, who is disabled or who dies in an accident?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस समय पेंशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Surendra Bikram: Whether the hon. Minister is aware of the fact that a large number of accidents occur in coal mines ? What has been the average number of accidents during the last one year?

श्री रवीन्द्र वर्मा : वास्तव में दुर्घटनाओं की संख्या चिन्ताजनक नहीं है या उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। जहां तक घातक दुर्घटनाओं का संबन्ध है, यदि आप इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों से करें तो आपको पता चलेगा कि यद्यपि दुर्घटनाओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई तथापि कोयला खानों और गैर-कोयला खानों में मरने वालों की संख्या में कमी हुई है । अतः खान सुरक्षा विनियमों पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कोयला और गैर-कोयला खानों में मरने वालों की संख्या में भारी कमी हुई है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has admitted that the number of coal-accidents has considerably increased. According to my information the number of deaths has also increased and this position has been continuing for the last few years. The basic cause responsible for coal accidents is that mine owners do not provide adequate safety measures. Inspectors do not examine properly the coal mines safety measures. Whether Government propose to ensure strict inquiry of mines and in the event of any shortcoming strict action be taken against the owner of the mine so as to minimise the number of mine accidents or check them in future? The hon. Minister has referred to arrangements for giving employment to a member of the family of a coalminer who becomes disabled, but it is not being implemented strictly. What are the steps being taken by Government to ensure implementation of this scheme?

श्री रवीन्द्र वर्मा: माननीय सदस्य ने कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार इस वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है । जहां तक कोयला खानों का सबन्ध है, मरने वालों की संख्या 169 से कम होकर 166 हो गई है और गैर-कोयला खानों में यह संख्या 62 से कम होकर 46 हो गई है । जहां तक सुरक्षा विनियमों को लागू करने का संबन्ध है हमने विशेष कदम उठाये हैं कि सुरक्षा विनियमों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों की क्रियान्विति की समीक्षा करने के लिये गठित की गई समीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं । आपात-स्थिति के दौरान 1975 में इस समिति की दो बैठकों के बाद कोई बैठक नहीं हुई । 1975 के बाद अब इस समिति का विस्तार किया गया है और इसमें वे सभी ट्रेड यूनियन शामिल किये गये हैं जो कोयला खानों से संबन्धित हैं और हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह समीक्षा समिति प्रत्येक तिमाही में अपनी बैठक बुलाये और सुरक्षा विनियमों की क्रियान्विति की समीक्षा करे। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिये हर कदम उठाया जा रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Whether arrangements will be made to ensure that inspections are carried out regularly and properly and shortcomings removed ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : हम यह सुनिश्चित करने के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जांच नियमित रूप तथा सही रूप से हो और जांच के निष्कर्षों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

Shri Ramanand Tiwary: May I know the reasons for constant increase in the number of mine accidents every year? What measures Government propose to check these accidents ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : सर्वप्रथम मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। दूसरे, दुर्घटनाओं के मुख्य कारण छत का गिरना दीवारों का गिरना और कभी-कभी इन खानों में विस्फोटकों के प्रयोग और गैस आदि के रुक जाने के कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन सब के बारे में हमने कदम उठाये हैं।

Shri Ram Sewak Hazari: Whether the hon. Minister has tried to ascertain the fact responsible for mine accidents? The fact is that there is heavy pilferage of explosives, earth and sand used in the mines. The earth is not used in them and officers usurp money by making fake bills as a result of which water from adjoining mines enters the mines and so accidents happen. Whether the hon. Minister will conduct an inquriy and take action against the guilty officers ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : खान दुर्घटनाओं के कई कारण हैं और माननीय सदस्य ने उनमें से एक का उल्लेख किया है। समीक्षा समिति की हाल की बैठक में इस पहलू की ओर ध्यान दिया गया है और यह निर्णय लिया गया कि दुर्घटनाओं का विश्लेषण भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे क्या होता उसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबन्ध है हम यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि सुरक्षा नियमों की उपेक्षा और उनकी गैर-क्रियान्वति के कारण कोई खान दुर्घटना न हो।

Shri Ganga Singh: A large number of persons become disabled permanently due to mine accidents and many of them do not have any means. Whether Government propose to provide attendent to such persons ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

जनता स्वास्थ्य योजना

*142. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों की इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन की शाखाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेअरफुट डाक्टरों को तैनात करने संबन्धी 'जनता स्वास्थ्य योजना' के विरुद्ध अभियान शुरू करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) It is not to the knowledge of the Government of India. The Government have not introduced any scheme for posting of barefoot doctors in the rural areas. The scheme which has been introduced by the Government is known as Community Health Workers Scheme which involves selection of the Community Health Workers by the Community and for the Community.

(b) Does not arise.

Shri Raj Narayan : I want to add that we are not thinking of barefoot doctors. We are not copying any country. Our country has its own social order and we have selected our Community Health Workers accordingly. They are selected by the people and they are not considered as Government servants. We pay them Rs. 200/- during the training period and thereafter they will be provided with a medicine box and paid Rs. 50/- per month.

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार को उस धमकी का पता नहीं है जो इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन की दक्षिण भारत शाखाओं या कुछ शाखाओं ने दी है। दिनांक 24 अगस्त, 1977 के इण्डियन एक्सप्रेस के बम्बई संस्करण में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वे बेयरफुट डाक्टरों या जनता स्वास्थ्य रक्षक योजना के विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन की कुछ शाखाओं ने ही अपितु समूची इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन ने आन्दोलन की धमकी दी है और इस संबन्ध में दिनांक 20 जुलाई, 1977 के हिन्दूस्तान स्टेन्डर्ड के कलकत्ता संस्करण में भी समाचार छपा है। सरकार को इस बारे में मालूम होना चाहिये था। अब दिल्ली की जूनियर डाक्टरों की फेडरेशन सहित सभी एसोसियेशनों ने आन्दोलन की धमकी दी है। इन लोगों की शिकायत यह है कि गावों में काम करने वाले लोगों की शिक्षा छठी कक्षा तक होगी। उन्हें तीन महीने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसके बाद वे प्रेक्टिस करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया है जिसकी मुख्य बातें हैं—स्वास्थ्य कर्मचारी केवल निवारक उपाय करें, रिटायर्ड डाक्टरों को पांच साल की एक्स्टेंशन दी जाये और गांवों में प्रेक्टिस करने की उन्हें अनुमति दी जाये ताकि वे गांवों में जाकर बसें और प्रेक्टिस शुरू करें। अन्यथा होगा यह कि सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों का इलाज तो विलिंगडन अस्पताल या आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस में होता रहेगा और करोड़ों रुपये कर व्यय किया जायेगा जबकि गरीब ग्रामीण लोगों की उपेक्षा होती रहेगी। अतः जहां तक जूनियर डाक्टरों का संबन्ध है उनके लिये गांवों में दो साल तक काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिये। क्या सरकार इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह एक सुझाव नहीं है। क्या सरकार को इस प्रस्ताव के बारे में पता है। दूसरे इस योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार ने इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन से परामर्श क्यों नहीं किया ?

Shri Raj Narayan: Sir, my submission to you is to allow the Hon. Members, particularly from the opposition, to ask their questions freely. I do not want to hide anything from the House and the question asked by the Hon. Member is very appropriate and timely. I will take some time to reply to it and request you not to interrupt me.

The health workers will do preventive work, not curative work. That was their suggestion and that is already a part of our scheme. The House should honestly accept the fact that not only the British raj had completely ignored the Indian system of medicine, but even the Congress raj had completely forgotten it. There was no place for Ayurveda, Unani, Homeopathy, Yoga and Naturupathy. We had fought the struggle for independence under leadership of Mahatma Gandhi and we understood his nature cure system. So we gave place to nature crure system.

One primary Health visitor would be appointed for every one thousand of population. It would be his job to visit his area whether it be a city on a village on two to check breeding of mosquitoes and tell people how to clean the teeth and nails. He would teach the people to prevent spreading of deseases. They would be given training for three months for the purpose. **(Interruption)**

I have told the hon. Members to understand the language policy of the country. All the words of varions languages would be adopted by Hindi. We have tried to develop it for 30 years. **(interruption)**

There would be a primrary Health centre for every 10 thousand of population, with two Doctors. At present there is one Doctor at each centre. We are trying to recruit one more Doctor for each centre. He may be a Homeopath, Ayurveda Unani or a Sidha. In Tamilnandu he may be a Sidha, in Calcutta a Homeopath and a Vaida in Bihar, Uttar Pradesh and Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan States. Ladies are being trained as nurses who will be posted in every village. There nurses are largely from Harijan families. We shall train them and the Ministry is thinking in terms of rewarding them. **(Interruption)**

Hon. Member has mentioned an important issue about which House and the country should have sufficient information. There are two institutions in respect of Doctors, i.e., All Indian Medical Association and All India Medical Council. All India Medical Council is in respect of the Doctors working in Government Hospitals. It examines as to law many students be admitted for Medical study and as to what should be taught to them. All India Medical Association is an organisation of private Doctors. The House should know that conference of Health Ministers and Health Secretaries was held twicet his year. The Prime Minister kindly inaugurated the Conference. On that occasion Shri Jain of Delhi State Medical Association and many other persons participated.

श्री बी० बी० चन्द्र गोड़ा : यदि मंत्री महोदय ऐसे ही टालते रहे तो अन्य प्रश्न रह जायेंगे।

Shri Raj Narain: The representatives of the Medical Association supported this plan and they are convening the meeting of this executive. After four days it was published in the papers that Health Department of Raj Narain is going to create quacks. Many states objected to that statement. I harppened to inaugrate State Medical Association at Poona and at Kerala explained the plan. Delhi State Medical Association conference is likely to be held on Ist December. Our President would be the Chief Guest. I went to him along with Shri Jain and he accepted to be the Chief Guest.

प्रो० पी० जी० मावलंकर: क्या हम प्रश्नकाल को वक्तव्यों के काल में बदल रहें है? इस प्रकार कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह जायेंगे।

Shri Raj Narain: I can say that the Medical side of the Medical Association is with us but there are certain political elements who are opposing the plan. The Government want to implement it without caring for the opponents.

श्री एडुग्रार्डो फैलीरो : मुझे खुशी है कि यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता निरोधात्मक कार्य ही करेंगे और रोग निदान का कार्य डाक्टरों पर ही रहेगा। अब सरकार डाक्टरों को विदेश जाने से रोकने के लिये क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री एडुग्रार्डो फैलीरो : सरकार योजना को कब क्रियान्वित कर रही है।

Shri Raj Narain: The scheme is in operation since 2nd October. First of all it was inaugurated at Patna by Shri Jaya Prakash Narayan. Thereafter the Prime Minister Shri Morarji Desai inaugurated it at Dabu where he was detainded. Ninety thousand Public Health Visitor are being trained. 80 thousand villages with population of 9 crores area are being covered under it.

Telephone Connection in Saharsa District, Bihar

*143. **Shri Vinayak Prasad Yadav:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the citizens, business organisations and the Member of Lok Sabha from Karjaine Bazar, Simrahi Bazar and Pratap Ganj in Saharsa District in Bihar had represented to him for the provision of telephone connections there;

(b) whether he had given assurance in his letter for making arrangements for telephone connections there without any delay; and

(c) whether no telephone connections have been provided so far and if so, by when this facility would be extended?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma): (a) Yes Sir.

(b) No Sir.

(c) The proposals to open public call offices at these stations will be sanctioned shortly and the works will be included in the programme for 1978-79.

Shri Vinayak Prasad Yadav: The places mentioned in the question are situated at Indo-Nepalese border which are principle centres of jute trade. There is a Railway station also. So we apprcached the then, Communication Minister and asked him to allow a Telephone connection for the area. He assured for the same on receipt of written demand. We wrote a letter and were assured that a conneation within a month. Now the Minister of communication has stated that no assurance was given whereas I have got a letter. The Minister assured a telephone connection shortly. What does 'shortly' means— ten days, fifteen days or a month.

Shri Brij Lal Verma: The Hon. Member mentined about a one place. I assure him that next year we are giving public call offices to all these three places.

Shri Vinayak Prasad Yadav: The hon. Minister has stated about opening of public call offices. May I know as to what arrangements are being made for opening telephone exchange. Thousand of jute dealers live there who have to communicate with Calcutta and other places day and night.

Shri Brij Lal Verma: First P.C.O. would be opened there. If more than fifty persons would seek telephone connections than an exchange would be set up.

Shri Nathu Singh: Is there any plan of the Government to give telephone connections early to towns with schools and hospitals. If so, by when the telephone facility would be provided ?

Shri Brij Lal Verma: Our plan is to give telephones to all District, Tehsil, sub-Tehsil, Block Headquarters, Police Stations and villages with over 5 thousand population within two years.

Shri Harikesh Bahadur: The telephone system in our country is very bad specially where there is no dialing systems. Is there any proposal under consideration of the Government to make major changes in the system.

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं; वैसे यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Virender Prasad: Is there any plan with the Government to link District Headquarters with Tehsils?

Shri Brij Lal Verma: Yes, Sir, We have a plan to link every district with Tehsil and Block Headquarters.

Chaudhry Balbir Singh: Will the Hon. Minister arrange to remove the existing deficiencies in Telephone system before giving new telephone connections.

This is question of policy of the Department **(interruption)** He is mentioning of new connections but what about bringing about improvement in the system?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shri Mohan Lal Pipil: I have written three letters to the Hon. Minister to set right the telephone connections in Jewar, Radhupur and Denkaur towns. He assured to improve them and to change the instruments first. But just the reverse is happening there.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर दे सकते हैं तो अवश्य दें।

संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के बारे में हिन्द महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों से परामर्श

144. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र बनाये रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के संकल्प की व्यवहारिक क्रियान्विति के बारे में भारत ने हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों से परामर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) हिन्द महासागर को तनाव और सैनिक लड़ाइयों से मुक्त रखने के लिये भारत द्वारा किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (क) भारत सरकार संयुक्त-राष्ट्र और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा द्विपक्षीय रूप से भी हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखने के संबद्ध प्रस्तावों की क्रियान्विति के बारे में समान विचारधारा वाले राज्यों से तथा हिन्द महासागर के तटवर्ती एवं पश्च राज्यों और गुट-निरपेक्षों वर्ग के दूसरे सदस्यों के साथ भी संपर्क बनाए हुए है।

(ख) हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती एवं पश्च राज्य तथा गुटनिरपेक्ष वर्ग के अन्य सदस्य राज्य इस विषय में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को शीघ्र क्रियान्वित किए जाने के प्रश्न पर भारत की ही तरह चिन्तित हैं।

(ग) भारत सरकार का विचार इस प्रस्ताव पर अमल कराने की दिशा में बड़े राष्ट्रों का तथा नौवहन की दृष्टि से हिन्द महासागर का प्रमुख रूप से उपयोग करने वाले देशों का सहयोग लेने के लिए सभी उपलब्ध मंचों का उपयोग करते रहने का है। भारत सरकार यह अनुभव करती है कि संसार के सभी शान्तिप्रिय देशों के सक्रिय समर्थन से और समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सहयोग से ही इस विचारधारा को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

श्री पी० के० कोडियन : इस प्रश्न का हमारे लिए बहुत महत्व है। जब तक हिन्द महासागर में तनाव सैनिक संघर्ष बने रहते हैं तब तक हमारी सुरक्षा खतरे में है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार समान विचाराधाराओं वाली सरकारों से तथा हिन्द महासागर के तटवर्ती एवं निकटवर्ती देशों तथा गुट-निरपेक्ष वर्ग के दूसरे सदस्य देशों के साथ भी सम्पर्क बनाये हुए है। इस निरन्तर सम्पर्क से अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले। प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर में उन्होंने बताया कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर अमल कराने के लिए बड़े राष्ट्रों से सहयोग का उपयोग करती रहेगी। क्या सरकार की यह नीति है कि जब तक बड़े राष्ट्र हिन्द महासागर में विसैन्यकरण पर सहमत नहीं होते तब तक भारत जैसे लोग कुछ भी ठोस कार्य नहीं कर सकते ? हमारी इस नीति

में क्या गलती है। क्या भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि बड़े देशों का कुछ भी रवैया हो, हिन्द महासागर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार एक सम्मेलन बुलाये ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संयुक्त राष्ट्र संघ की तदर्थ समिति ने, जिसका कि भारत एक सक्रिय सदस्य है, निर्णय किया है कि तटवर्ती देशों का एक सम्मेलन या दूसरे शब्दों में तटवर्ती देशों की एक बैठक बुलाये जिसके फलस्वरूप सम्मेलन बुलाया जा सके जिसमें सभी देश जिनमें बड़े देश भी सम्मिलित हों। इस प्रकार भारत तथा अन्य राष्ट्रों के विचारों में कोई अन्तर नहीं है। सम्मेलन बुलाने मात्र से क्या लाभ है ? माननीय सदस्य तथा सरकार भी ठोस परिणाम में रुचि रखती है ।

श्री पी० के० कोडियन : यह प्रश्न केवल विसैन्यकरण तथा तनाव घटाने का ही नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है प्रश्न दियोगो गार्सिया जैसे अड्डों के समाप्त किये जाने का है---हिन्द महासागर के बारे में सोवियत संघ तथा अमरीका के बीच जो बातचीत हो रही है मेरे विचार में इसमें दियगो गार्सिया जैसे सैनिक अड्डों का प्रश्न शामिल नहीं है। यह भी बताया गया है कि वे हिन्द महासागर में नौसेना की संख्या को कम करना चाहते हैं। मैं इस सीमित वार्ता और इन शक्तियों द्वारा नौसेना की संख्या में सीमित कमी पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं जबकि इसके साथ-साथ वे दियगो गार्सिया जैसे सैनिक अड्डे भी बनाये हुए हैं। क्या भारत सरकार दियगो गार्सिया के प्रश्न पर विशेष रूप से बातचीत करेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम हिन्द महासागर को दियगो गार्सिया सहित सभी विदेशी सैनिक अड्डों से मुक्त करना चाहते हैं।

दूसरे भारत की राय है कि तटीय देश हिन्द महासागर में जहाजरानी की स्वतंत्रता की गारन्टी दे सकते हैं और बड़ी ताकतों को वहां पर अपने सैनिक रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि शस्त्रों पर प्रतिबन्ध से समाधान नहीं हो सकता, परन्तु यदि शस्त्रों पर प्रतिबन्ध से सभी अड्डे समाप्त हो जाते हैं तो भारत उन्हें एक अवसर देने के लिये तैयार है। भारत तटीय देशों का एक सम्मेलन बुलाने की पहल कभी भी करने को तैयार है, परन्तु बड़ी शक्तियां, जो हिन्द महासागर में सैनिकीकरण के वास्तव में उत्तरदायी हैं, के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : कांग्रेस सरकार ने हिन्द महासागर में अपने अड्डे स्थापित करने के मामले में दोनों सुपर शक्तियों को बराबर नहीं माना, परन्तु मास्को में प्रधान मंत्री ने हाल में दिये अपने वक्तव्य में दोनों सुपर शक्तियों को हिन्द महासागर के मामले में बराबर माना है। दूसरी ओर माननीय विदेश मंत्री ने सभा में और सभा से बाहर कई बार कहा है कि भारत सरकार की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से हिन्द महासागर में दोनों सुपर शक्तियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहूंगा और क्या भारत सरकार ने कभी भी दोनों शक्तियों को हिन्द महासागर से दूर रहने के लिये कहा था ताकि इसे शान्ति क्षेत्र बनाया जा सके ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्द महासागर में दोनों सुपर शक्तियां मौजूद हैं । कुछ अन्य शक्तियां भी अपनी नौसेना सुदृढ़ कर रही हैं और हिन्द महासागर को अपनी स्पर्धा का क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही हैं । इसी कारण भारत और अन्य तटीय देश अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिन्द महासागर शांति क्षेत्र बन सके ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं अभी-अभी बताया है कि बड़ी शक्तियों को अस्त्र-शस्त्र कम करने के लिये कहने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता । मूल प्रश्न यह है कि गत तीन-चार वर्षों के अनुभव के बाद भारत सरकार को अपना अधिकार जताना होगा कि क्या हम स्थिति में नहीं पहुंचे कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों में इस प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता दें । क्या वार्ता तथा चर्चा के माध्यम से हम इस प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये तैयार हैं ताकि उन्हें हिन्द महासागर में इस प्रकार के सैनिकीकरण से शर्म महसूस हो ? दियगो गार्सिया में उनकी उपस्थिति से राष्ट्र की सुरक्षा को सतत खतरा है ।

मेरा प्रश्न यह है : क्या बड़ी शक्तियों के साथ वार्ता में यह प्रश्न उठाया गया है और या क्या भारत सरकार राष्ट्रपति कार्टर की आगामी भारत यात्रा के दौरान इस प्रश्न को प्राथमिकता देने और इस प्रश्न पर इस हद तक दबाव देने का प्रस्ताव रखती है जिससे हमें कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त हो सकें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के प्रश्न को भारत अत्यधिक महत्व देता है । हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे के रूप में किसी भी शक्ति की विद्यमानता से न केवल तनाव पैदा होता है अपितु समूचे क्षेत्र को खतरा हो जाता है । इसी कारण से हम मांग करते आ रहे हैं कि सभी सैनिक अड्डे समाप्त किये जाने चाहियें । हम इसके लिये सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में मांग करते आ रहे हैं । वाशिंगटन या मास्को में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में यह प्रश्न उठाया जाता है । वास्तव में हमने इन शक्तियों को बताया है कि यद्यपि हम अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने संबंधी वार्ता के विरुद्ध नहीं है तथापि हम सभी सैनिक अड्डों को हटाया जाना चाहते हैं । इस प्रश्न पर प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की मास्को यात्रा में चर्चा की गई और इस पर उस समय भी चर्चा की जायेगी जब राष्ट्रपति कार्टर भारत आयेंगे ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या यह सच है कि भारतीय कूटनीतिज्ञों के प्रयासों और निरगुट तथा अन्य देशों के नैतिक दबाव के कारण सुपर शक्तियां अपनी स्थिति को इस समय ज्यों का त्यों बनाये रखने के लिये सहमत हो गई हैं और आशा है कि वे हिन्द महासागर से अपने सैनिक अड्डे हटाने के लिए फिर से सोच विचार करें ? क्या यह सच है या नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों बड़ी शक्तियां ऐसा करने के लिये सहमत नहीं हुई हैं । वे ऐसा करने का विचार रखती है परन्तु निरगुट देशों के दबाव और तटीय देशों की राय दोनों बड़ी शक्तियों द्वारा महसूस की जा रही है और संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति ने तटीय देशों की एक बैठक बुलाने का निर्णय किया है जिसमें हिन्द महासागर के प्रश्न पर विचार किया जायेगा और उस बैठक में एक सम्मेलन बुलाये जाने का निर्णय किया जायेगा जिसमें अन्य शक्तियों को भी बुलाया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उस सम्मेलन की बैठक के लिये दबाव डालना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम उस तदर्थ समिति के एक अंग है । हम वहां सक्रिय हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सम्मेलन के लिये मांग कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम ऐसी मांग कर रहे हैं ।

श्री चित्त बसु : हमारे देश के प्रधान मंत्री ने 1 नवम्बर को कहा था कि वह हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की विद्यमानता को कम करने और अन्ततोगत्वा शांति स्थापित किये जाने के पक्ष

में हैं । माननीय विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अमरीका और सोवियत संघ भी कुछ वार्ता कर रहे हैं और अनुभव किया गया है कि यह वार्ता हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की दिशा में पहला कदम है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तदर्थ समिति की बैठक पर निर्भर करने के बजाय द्विपक्षीय वार्ता के मामले में पहल करेगी ? क्या आप एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के मामले में अमरीका और सोवियत संघ के साथ सीधे द्विपक्षीय वार्ता करने की स्थिति में हैं और क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अमरीका और सोवियत संघ से सीधे वार्ता करने का विचार रखते हैं और क्या आपके पास कोई और जानकारी है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी नही ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस संबंध में निम्न-लिखित सम्भावनाओं पर विचार कर रही है :

(क) भारत और संबंधित तटीय देशों के बीच कूटनीतिज्ञ और सीधे शिखर वार्ता बढ़ाना जब उन्हें और प्रधान मंत्री को पड़ौसी देशों में जाने पर अवसर मिला था ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय राय सुदृढ़ बनाने के लिये इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सज चल रहा है । एक ओर ऐशिया के देशों के साथ चर्चा और दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा से सुपर शक्तियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना । क्या ऐसी चर्चा हो रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने सभा को सूचित किया है कि संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति मामले पर विचार कर रही है । समिति परामर्श कर रही है। इसने एक प्रारूप संकल्प तैयार किया है जिसे महासभा में भेजा जायेगा और जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि हिन्द महासागर के तटीय देशों की एक बैठक हिन्दमहासागर के संबंध में प्रस्तावित सम्मेलन पर प्रारम्भिक वार्ता के रूप में बुलाई जाये । भारत उस समिति का एक सदस्य है और हम यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं।

काठमांडु या रंगून या काबुल में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में हिन्द महासागर के प्रश्न पर प्रायः चर्चा की जाती है और कुछ मामलों में इस बारे में एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की जाती है । वास्तव में इस प्रश्न के बारे में भारत और उसके कुछ पड़ौसी देशों में कोई मतभेद नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात का वितरण

***154. डा० बसंत कुमार पंडित :**

श्री नटवर लाल बी० परमार :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस्पात के व्यापारियों को इस्पात की सप्लाई करने के पुराने ढंग में परिवर्तन किये हैं।

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन क्या हैं और किन कारणों से किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई माडर्न मर्चेन्ट्स एसोसियेशन ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात की सप्लाई का अचानक स्टाक कर लिये जाने तथा व्यापारियों की सलाह लिये बिना नीति में प्रमुख परिवर्तन किये जाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है, और

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि 'बल्क' उपभोक्ता सरकार की नीति का दुरुपयोग कर रहे हैं जबकि साधारण उपभोक्ता पर गलत नीति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(घ) 'बल्क' उपभोक्ताओं द्वारा दुरुपयोग के विशेष मामले सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं। सरकार की नीति उपभोक्ता-उन्मुख है और इसलिए गलत नीति के कारण उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of new Steel Plant

*146. **Shri Rameshwar Patidar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have a scheme to set up a new steel plant during the current year; and

(b) if so, complete details of the scheme?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) and (b) The question of setting up new steel plants is under consideration of Government.

मैग्नेसाइट श्रमिकों को निम्नतम मंजूरी

*147. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत सेलम, तमिलनाडु में मैग्नेसाइट श्रमिकों के लिए निम्नतम मजूरी निर्धारित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे देश में सम्पूर्ण मैग्नेसाइट उद्योग के श्रमिकों पर प्रभावी बनाने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने 4 दिसम्बर, 1976 को भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित मैग्नेसाइट खानों और केल्सिनेशन तथा रिफ्रैक्टरी निर्माण प्लाण्टों के कतिपय नियोजकों के अधीन नियोजित कुछ श्रेणियों के श्रमिकों के संबंध में मूल मजदूरी-दरों तथा मंहगाई भत्ते को विनियमित किया था । आपात् स्थिति समाप्त कर दिए जाने के बाद यह अधिसूचना अब लागू नहीं की जा सकती । अब सरकार देश भर में मैग्नेसाइट खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी-दरें अधिसूचित करने के बारे में विचार कर रही है ।

औद्योगिक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना

*148. **श्री वसंत साठे :**

श्री चतुर्भुज :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) समाज सुरक्षा की वर्तमान योजनाओं की पुनरीक्षा करने और समाज सुरक्षा योजनाओं को समेकित करने की वांछनीयता तथा लाभों की जांच करने आदि के लिए समिति के गठन का प्रश्न विचाराधीन है ।

शिशु कल्याण योजना

*149. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंटरनेशनल कांग्रेस आफ पीडियाट्रिक्स" के हाल में हुये 15वें सम्मेलन में यह बताया गया था कि भारत में शिशुओं की मृत्यु उनका स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण होती है तथा अंधे होने वाले बच्चों की संख्या भारत से अधिक है और अधिकांश भारतीय शिशु कमजोर होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार युद्ध-स्तर पर शिशु कल्याण योजनाएं बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) बाल रोग विशेषज्ञों के पन्द्रहवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यवृत्त अभी तक सरकार को नहीं मिला है । वैसे, सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में बच्चे अधिक संख्या में बीमार पड़ते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं तथा बहुत से बच्चों को बीमारी तथा मृत्यु से बचाया जा सकता है ।

(ख) और (ग) सरकार की नीति परिवार कल्याण के सभी पहलुओं को बढ़ावा देने की है, विशेषकर उन पहलुओं को जो माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं । सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि माताएं और बच्चे जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग हैं और उन पर बीमारी का असर शीघ्र होता है तथा उनके

स्वास्थ्य में सुधार लाने और उनके कल्याण के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किये हैं। इन कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) **माताओं और बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधार-भूत ढांचे को मजबूत बनाना** :—ग्रामीण बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राइमरी हैल्थ सेंटरों तथा सब-सेंटरों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के पीछे एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर और प्रत्येक 10,000 की आबादी के पीछे एक सब-सेंटर खोलने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक ब्लाक में एक एक और प्राइमरी हैल्थ सेंटर और प्रत्येक सब-सेंटर द्वारा जनसंख्या को घटाकर उसे 5000 प्रति सब-सेंटर सेवित करने की भावी योजना भी है। प्रत्येक सब-सेंटर में दो कार्यकर्ताओं का दल होगा जिसमें एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। पर्यवेक्षी दल को भी सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रत्येक चार कार्यकर्ताओं के कार्य की एक पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) निरीक्षण कर सके। प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में उपयुक्त साज-सज्जा वाले एक प्रसव कक्ष और वार्ड का निर्माण कर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से चिकित्सा देख-रेख की सुविधाओं में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

777 ब्लाकों में जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत 1000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक जन-स्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था की गयी है। वे कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी प्रकार पारम्परिक दाइयों को भी प्रशिक्षण देकर प्रति 1000 की आबादी के पीछे एक दाई के हिसाब से सरकारी संगठनों में लगाया जाएगा।

(2) **रफरल सेवाएं** :—प्राइमरी हैल्थ सेंटर/सब-सेंटर अधिकतर निरोधक और संवर्धक सेवाएं प्रदान करेंगे। वे गंभीर रोगियों के इलाज के लिए बहुत ही कम क्षमता रखते हैं। वे उन माताओं और बच्चों का पता लगाएंगे जिन्हें विशेष देखरेख और इलाज की जरूरत होती है और जिसकी व्यवस्था अस्पतालों में ही होती है। इस समय ऐसी रेफरल सेवाएं जिला मुख्यालय अस्पतालों में उपलब्ध हैं। भविष्य में रेफरल सेवाएं तालुक या सबडिविजन के अस्पताल के स्तर पर प्रदान की जाएंगी या बड़े-बड़े कस्बों के प्राइमरी हैल्थ सेंटरों का दर्जा बढ़ाकर उनमें दी जाएंगी। इन अस्पतालों में काम करने वाले बालरोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ नियमित रूप से प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में जायेंगे, रोगियों को सलाह-मश्विरा देंगे और आगे उन्हें अस्पतालों में भेजेंगे।

(3) **माताओं और बच्चों के लिए विशेष क्लीनिक** :—सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में माताओं के लिए विशेष क्लीनिक और पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए क्लीनिक खोले जाएंगे। सामान्य आउट-डोर प्रणाली वाले क्लीनिकों से भिन्न होने के नाते इन क्लीनिकों में या तो गर्भवती महिलाओं को या 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को देखा जाएगा। बच्चों का इलाज करने के अलावा इन सेंटरों में माताओं को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी, रोगों से बचाने के लिए टीके लगाए जायेंगे तथा पूरक भोजन दिया जायेगा।

(4) साधारण संचारी रोगों से बचाने के लिए बच्चे को रोगक्षमीकरण (रोग निरोधी) टीके लगाए जाते हैं।

(5) **पोषण की कमी से उत्पन्न रोगों से बचाव** :—बच्चों को अपोषण अरक्तता, विटामिन 'ए' की कमी, प्रोटीन-केलोरी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचाने के लिए उन्हें औषधियां और पूरक भोजन दिएं जाते हैं।

(6) **कार्मिकों का प्रशिक्षण** :—बहुपंथी कार्यकर्ताओं (पुरुषों और महिलाओं), सुपरवाइजरों (पुरुषों और महिलाओं), डाक्टरों, बाल रोग विशेषज्ञों, प्रसूति-विशेषज्ञों आदि को बुनियादी प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। डाक्टरों और नर्सो को जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के बारे में सेवाकालीन अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(7) **माताओं को स्वास्थ्य और पोषाहार के बारे में जानकारी देना** :—सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जनता को, विशेषकर माताओं को स्वास्थ्य और पोषाहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

(8) **अन्तरविभागीय सहयोग** :—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग जैसे सरकार के अन्य विभागों के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है।

(9) **स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करना** :—बच्चों को देख-रेख की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद् और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जैसे स्वैच्छिक संगठनों से, जो माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं आदि देने के काम में जुटे हुए हैं, सहायता प्राप्त की जाती है।

विदेशों में नौकरी खोजने वाले भारतीयों का भारत लौटना

*150. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नौकरी की खोज में विदेश गए अनेक मूल भारतीय निराश होकर वापस लौट आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से वे वापस लौट रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी आयु और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है ?

(क) और (ख) जी हां, पिछले कुछ महीनों में, कुछ भारतीयों को वापिस आना पड़ा, क्योंकि वे कुछ बाहर के देशों में रोजगार प्राप्त करने में असफल रहे।

निराश लौटे भारतीयों की कुल संख्या के संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। फिर भी, पिछले कुछ महीनों में (जुलाई, 1977—अब तक) उनकी संख्या जिन्हें सरकार के खर्चे पर स्वदेश लौटना पड़ा, निम्नानुसार थी :—

देश का नाम		स्वदेश लौटाए गए व्यक्तियों की संख्या
अफगानिस्तान		105
तुर्की		60
सीरिया		44
लेबनान		41
बलगारिया		10
	योग	260

(ग) विदेशों से निराश होकर लौटे व्यक्तियों सहित सभी रोजगार चाहने वाले सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Mobile Dispensaries/Clinics in Backward Rural Areas

*151. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government's proposal to run mobile dispensaries/clinics in backward rural areas has been finalised; and

(b) if so, the outlines thereof ?

Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) & (b) There is presently no proposal to run mobile dispensaries/clinics in backward rural areas by the Government of India. There is, however, a proposal to attach three Primary Health Centres to each of the 106 Medical Colleges in the country and to provide one mobile clinic to each of these Primary Health Centres. A few States/Union Territories namely, Gujarat, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, Mizoram and Dadra & Nagar Haveli have mobile dispensaries and mobile health units to provide health care to tribal and backward areas.

केरल और अन्य राज्यों के नगरों को कोचीन और त्रिवेन्द्रम के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से जोड़ना

*152. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के ऐसे नगरों के नाम क्या हैं जहां से कोचीन और त्रिवेन्द्रम को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन किया जा सकता है; और

(ख) अन्य राज्यों के किन-किन नगरों को 1977-78 के दौरान डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से कोचीन और त्रिवेन्द्रम से जोड़ने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) केरल राज्य में अलेप्पी, कालीकट, कोट्टायम, नरक्कल पालघाट, क्विलोन और त्रिचूर नगरों से कोचीन और त्रिवेन्द्रम के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) हैदराबाद को कोचीन और त्रिवेन्द्रम के साथ हाल ही में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिये जोड़ दिया गया है । आशा है कि बंगलूर को भी मार्च 1978 से पहले उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पर जोड़ दिया जाएगा ।

Proficiency in Foreign Languages for candidates selected for Foreign Services

†*153. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether successful candidates of Joint Services Examinations and candidates selected for serving in Indian Embassies abroad are required to have proficiency in foreign languages; if so, names of foreign languages and standard of proficiency required;

(b) whether candidates having no proficiency in any one or more foreign languages and also appointed for service in Indian Embassies abroad, and if so, number of such persons appointed during the last three years;

(c) whether any arrangements exist for teaching foreign languages to the candidates and to serving Government employees and if so, the details thereof; and

(d) standard of proficiency required for those officers who translate from the foreign languages into Indian languages and vice-versa and the arrangements for testing their proficiency?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) Yes Sir. All officers recruited through IAS and Allied Services Examination for the Indian Foreign Service are required to attain proficiency to an advance level in one of the compulsory foreign languages, a list of which is placed on the Table of the House.

(b) Every candidate appointed to the Indian Foreign Service is given language training at Jawaharlal Nehru University, Delhi and/or posted to a Mission abroad as a probationary language trainee. No officer can be confirmed and appointed to a duty post abroad without passing his compulsory language examination.

(c) Yes, Sir, arrangements exist both for probationers and serving Government employees to study foreign languages abroad and at Headquarters sponsored by Government as per details below:

(A) For IFS Probationers:—

(i) At J.N.U. , New Delhi

(ii) Through approved courses at Language Training Institutions abroad

(iii) Through special tuitions abroad

(B) For other officers:—

(i) At School of Foriegn Languages, Ministry of Defence, New Delhi.

(ii) At special classes in Missions abroad which are financed by Government.

(iii) By reimbursing tuition fees in deserving cases.

(d) Ministry of External Affairs has 27 posts of India-based interpreters-cum-translators who have passed the interpreter-level examination for their language. Each of them knows at least one Indian language. However, they would not be able to interpret/translate from all Indian languages to foriegn language or vice-versa. A scheme for developing a high level interpreter cadre has been approved and is being initiated.

STATEMENT

(1) Amharic
(2) Annamese
(3) Arabic
(4) Bulgarian
(5) Burmese
(6) Chinese (either Mandarin or Cantonese)
(7) Czechoslovak
(8) Danish
(9) Dutch
(10) French
(11) German
(12) Hungarian
(13) Italian
(14) Japanese
(15) Indonesian
(16) Kiswahili
(17) Malay
(18) Modern Greek
(19) Norweigian
(20) Persian
(21) Polish
(22) Portuguese
(23) Rumanian
(24) Russian
(25) Serbo-Croatian
(26) Spanish
(27) Swedish
(28) Sinhalese
(29) Tibetan
(30) Thai (Siamese)
(31) Turki
(32) Turkish
(33) Gurkhali
(34) Japanese/Bhasa.

Propagation of Mock Parilament in Country

*154. **Shri Sushil Kumar Dhara:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether the response of some States has been encouraging to the Mock Parliaments organised in various States;

(b) the efforts being made to make this programme popular in all the States;

(c) whether this experiment has shown encouraging results in Delhi; and

(d) if so, whether Government propose to make available larger amount of grants to meet the expenditure involved thereon?

Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): (a) So far, five States viz. Andhra Pradesh, Haryana, Kerala, Tripura, and Uttar Pradesh have arranged Youth Parliament Competitions in their respective States on the pattern of the Scheme in the Union Territory of Delhi. The State Governments of Punjab, Gujarat, Bihar, Orissa, Goa, Daman & Diu, Pondicherry, Nagaland and Manipur have also agreed to implement the Scheme in their respective States.

(b) The Central Government has been advising the State Governments from time to time to arrange Youth Parliament Competitions in the recognised schools in the States on the pattern of the Youth Parliament Competition Scheme, for recognised educational institutions in the Union Territory of Delhi. A scheme of financial assistance has also been circulated to the State Governments under which expenditure incurred by each State upto a ceiling of Rs. 1000/-will be reimbursed by the Department of Parliamentary Affairs Government of India for each Annual Competition.

(c) Yes, the results have been encouraging.

(d) Government is watching the response from other States before considering any increase in the assistance.

शिक्षित बेरोजगार

*155. **श्री हितेन्द्र देसाई :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है ; और

(ख) बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) भारत के प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की वर्तमान संख्या के सही प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना 30 जून, 1977 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित (मैट्रिक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त) नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित है । यह सूचना सभा की मेज पर रखे जाने वाले विवरण में दी गई है।

(ख) आगामी पंच वर्षीय योजना में उच्च रोजगार तत्व होने की आशा है । पंच वर्षीय योजना को सूत्रबद्ध करते समय शिक्षित नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों सहित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार देने वाली निश्चित नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे।

विवरण

भारत के प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 30-6-1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त) नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या।

(हजारों में)

क्रमांक राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिक्षित नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (अ)
1	2
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	351.3
2. असम	88.9
3. बिहार	545.1
4. गुजरात	224.8
5. हरियाणा	134.9
6. हिमाचल प्रदेश	43.9
7. जम्मू व काश्मीर	20.0
8. कर्नाटक	294.9
9. केरल	449.4
10. मध्य प्रदेश	272.8
11. महाराष्ट्र	485.4
12. मणिपुर	29.8
13. मेघालय	5.3
14. नागालैण्ड	1.0
15. उड़ीसा	133.9
16. पंजाब	157.7
17. राजस्थान	134.2
18. सिक्किम*	—
19. तमिलनाडु	467.7
20. त्रिपुरा	30.9
21. उत्तर प्रदेश	651.6
22. पश्चिम बंगाल	630.7

1	2
संघ शासित क्षेत्र	
1. अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.7
2. अरूणाचल प्रदेश	—
3. चंडीगढ़	21.8
4. दादर व नागर हवेली*	—
5. दिल्ली	178.5
6. गोआ	17.1
7. लक्षद्वीप	0.7
8. मिजोरम	3.0
9. पाण्डिचेरी	13.1
अखिल भारतीय योग :	5,389.2

नोट :-- 1. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं।

2. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना मार्गदर्शन केन्द्र से संबंधित आंकड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

3. इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

अ--अनंतिम

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम

*156. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री दयाराम शाक्य :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों ने एक विस्तार योजना सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नर्सों की शिक्षा, रोजगार तथा सेवा शर्तों के लिये आयोग की स्थापना

*157. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्सों की शिक्षा, रोज़गार और सेवा शर्तों की जांच करने के लिए एक आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि को ोकने के लिए उपाय

*158. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत सात महीनों के दौरान पिछले दो वर्षों की तुलना में जन्म-दर क्या थी;

(ख) क्या सरकार का विचार जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि रोकने हेतु जन्म-दर को नियंत्रित करने के लिए समेकित तथा व्यापक उपाय क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि के खतरे को कम करने के लिए की गयी और आगे की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन योजना से प्राप्त जन्म-दर के नवीनतम उपलब्ध अनुमान के अनुसार वर्ष 1974 और 1975 की क्रमशः 34.5 और 35.2 प्रति हज़ार जन्म-दरों के मुकाबले वर्ष 1976 की जन्म-दर 34.3 प्रति हज़ार (अनन्तिम) है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार ने अपना वायदा फिर दोहराया है कि जन्म-दर 1984 तक घटाकर के 25 प्रति हज़ार के स्तर पर लाई जायेगी । परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाना है जिसमें जोर-जबरदस्ती का लेशमात्र भी नहीं होगा । 29 जून, 1977 को घोषित किए गए नीति सम्बन्धी वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध है और लोगों का अपने हित में, अपने बच्चों के हित में और राष्ट्र के व्यापक हित में इसे स्वेच्छा से अपनाने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी । सरकार की नीति पूर्णतया शैक्षिक और स्वैच्छिक होगी । गर्भरोधन के सभी तरीकों को, जिनमें स्वैच्छिक नसबन्दी भी शामिल है, को बढ़ावा दिया जाना है ताकि स्वीकारकर्ता जो तरीका उन्हें अनुकूल पड़े उसे वे अपना सकें । राज्य सरकारों, संघ शासित सरकारों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर की गई अन्य एजेंसियों से यह अनुरोध किया जा चुका है कि वे इस कार्यक्रम को उच्चतम महत्व दें और इसे जोरदार ढंग से चलाएं । इस कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों से विशेष आग्रह किया गया है

कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की क्रियान्विति में किसी प्रकार की सुस्ती अथवा उदासीनता नहीं आनी चाहिए । मजदूर संघों के नेताओं, कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों द्वारा छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाए जाने का प्रचार-प्रसार करने में सहायता करें । इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य विधान सभा के सदस्यों तथा संसद् सदस्यों से छोटे परिवार के आदर्श को स्वीकार करने के लिए उत्साहित करने का अनुरोध किया है । जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में भी, जो 2 अक्तूबर, 1977 से 777 प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में चलाई गई है, इन रक्षकों द्वारा ग्रामीण लोगों को परिवार कल्याण के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई है ।

Indo-US Joint Commission

†*159. **Dr. Henry Austin :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Indo-US Joint Commission held its meeting in the month of November, 1977;

(b) if so, what were the decisions arrived at; and

(c) whether earlier decisions taken by the Commission have not been implemented so far ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) No, Sir. The meeting has been postponed and is likely to be held at a mutually convenient date in the near future.

(b) Does not arise.

(c) Generally satisfactory progress continues to be made by the concerned Sub-commissions in implementation of the decisions taken at the first meeting of the Indo-US Joint Commission in October 1975.

संसदीय सलाहकार समितियों की स्थापना

*160. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए अब संसदीय सलाहकार समितियां बना दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक समिति की कब स्थापना की गई तथा इनकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त समितियों की बैठक कुछ समय बाद नियमित रूप से होती है तथा एक कलेण्डर वर्ष में इनकी कितनी बार बैठक होती है तथा कहां होती है तथा क्या उन समितियों की बैठक दिल्ली से बाहर भी होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार के मंत्रालयों के लिए अब तक 21 सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है । इनमें से सात का मई के महीने में और शेष का अगस्त, 1977 में गठन किया गया था । 14 समितियों के गठन में विलम्ब

इस कारण हुआ कि इस सम्बन्ध में सदस्यों की प्राथमिकताएं केवल उस समय तक ही ज्ञात हो सकी थी ।

(ग) और (घ) सामान्यतः प्रत्येक सत्रकाल के दौरान में और प्रत्येक अन्तःसत्रकाल के दौरान में समिति की एक-एक बैठक की जाती है । यदि समिति के चेयरमैन निर्णय करें तो समिति वर्ष में एक बार दिल्ली से बाहर भी बैठक कर सकती है । गठन के पश्चात् अब तक इन समितियों द्वारा की गई बैठकों की तारीख और स्थान अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

विवरण

क्रमांक	मंत्रालय का नाम	बैठक की तारीख	स्थान
1.	कृषि और सिंचाई	7-10-77	नई दिल्ली
		2-11-77	नई दिल्ली
2.	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता .	30-5-77	नई दिल्ली
		9-8-77	नई दिल्ली
		12-10-77	नई दिल्ली
3.	संचार .	28/29-9-77	नई दिल्ली
4.	रक्षा .	24-10-77	नई दिल्ली
5.	शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति	31-5-77	नई दिल्ली
		31-10-77	नई दिल्ली
6.	ऊर्जा	29-10-77	नई दिल्ली
7.	वैदेशिक कार्य .	21-5-77	नई दिल्ली
		21/22-6-77	नई दिल्ली
		1/2-11-77	नई दिल्ली
8.	वित्त	12/13-9-77	नई दिल्ली
		31-10-77	नई दिल्ली
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1-11-77	नई दिल्ली
10.	गृह कार्य .	5-8-77	नई दिल्ली
		4-11-77	नई दिल्ली
11.	उद्योग .	31-10-77	बंगलौर
12.	सूचना और प्रसारण	9-8-77	नई दिल्ली
		7/8-10-77	शिलांग
13.	श्रम	31-10-77	नई दिल्ली
14.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य	27-10-77	नई दिल्ली

क्रमांक	मंत्रालय का नाम	बैठक की तारीख	स्थान
15.	पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक . . .	25-10-77	नई दिल्ली
		26-10-77	नई दिल्ली
		5-11-77	नई दिल्ली
16.	योजना	5-10-77	नई दिल्ली
17.	रेल	6-8-77	नई दिल्ली
		7/8-10-77	बंगलौर
18.	नौवहन और परिवहन	28/29-9-77	बम्बई
19.	इस्पात और खान	19-9-77	नई दिल्ली
20.	पर्यटन और नागर विमानन . . .	5-11-77	बंगलौर
21.	निर्माण और आवास तथा पूर्ति एवं पुनर्वास . .	24-10-77	नई दिल्ली

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी लागू करना

*161. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित न्यूनतम मजूरी की क्रियान्विति के बारे में राज्यवार क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि अब तक कोई प्रगति हुई तो क्या सरकार उससे सन्तुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन के बारे में नवीनतम उपलब्ध स्थिति विवरण-1 में दी गई है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई व्यवस्थाएं विवरण-2 में दी गई हैं । इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही की सतत पुनरीक्षा की जाती है, ताकि उनका पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1174/77]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित कचाल रबड़ बागानों में श्रमिक असन्तोष

1393. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित कचाल रबड़ बागान में श्रमिक असन्तोष की सरकार को जानकारी है; और

(ख) उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अण्डमान और निबोकार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्लांटेशन लेबर यूनियन, कचाल ने मजदूरी में वृद्धि, समुद्री यात्रा के दौरान ज्वाइनिंग टाइम, पदोन्नतियों सम्बन्धी मामलों, आकस्मिक छुट्टी के दिनों की संख्या में वृद्धि, समुद्री यात्रा के लिए क्रेडिट नोट की सुविधाओं, बाल शिक्षा भत्ते और बोनस आदि के बारे में एक मांगपत्र पेश किया था ।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र ने समझौता कार्यवाही की, जो विफल रही । समझौता विफलता रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दी गई है जो यह जानने के लिए इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या इसे न्यायनिर्णय के लिए भेजा जा सकता है ।

Nuclear test by China

+1394. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether China conducted her 22nd nuclear test in September, 1977; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Government has seen Press reports to the effect that China had conducted a nuclear weapon test in the atmosphere at its test site near Lop Nor on 17 September, 1977.

(b) Government remains totally opposed to any nuclear weapon test conducted by any State anywhere and in any environment.

डियुलबेरा कोलियरी लेबर यूनियन की मांगें

1395. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डियुलबेरा कोलियरी लेबर यूनियन द्वारा दिये गये हड़ताल के नोटिस और 11 सूत्री मांगपत्र पर समझौता अधिकारी भुवनेश्वर द्वारा समझौता असफल रहने के समाचार श्रम मंत्रालय को मिले हैं;

(ख) क्या डियुलबेरा कोलियरी लेबर यूनियन के प्रधान से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें अन्य बातों के साथ वर्तमान विवादों को शीघ्र हल करने और यूनियन को पुनः मान्यता देने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ताकि हड़ताल न होने पाये ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) डियुलबेरा कोलियरी लेबर यूनियन (हिन्द मजदूर सभा) के 11-सूत्री मांगपत्र से सम्बन्धित समझौते के असफल रहने की रिपोर्ट 19-9-1977 को प्राप्त हुई । (यह मांगपत्र उक्त यूनियन के तारीख 23-4-77 के नोटिस से सम्बन्धित था, जो

15-5-1977 से हड़ताल पर जाने के बारे में था) । समझौता असफल रहने की एक अन्य रिपोर्ट 13-9-1977 को मिली जो पूर्वोक्त रिपोर्ट में समाविष्ट पाइन्टों में से एक पाइन्ट के बारे में थी ।

(ख) यद्यपि प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट 11-सूत्री मांगपत्र में डियुलबेरा कोलियरी लेबर यूनियन को पुनः मान्यता देने सम्बन्धी मांग भी शामिल थी, तथापि इस सम्बन्ध में यूनियन से कोई अलग ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ग) सरकार सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर से प्राप्त हुई समझौता असफल रहने की रिपोर्टों पर विचार कर रही है ।

रत्नगिरी जिले में उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा

1396. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रत्नगिरि जिले में ऐसे कितने उप-डाकघर हैं जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है और क्या सरकार का विचार इन उप-डाकघरों में 1977-78 के दौरान यह सुविधा उपलब्ध करने का है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : रत्नगिरि जिले के 20 उप-डाकघरों में अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा नहीं दी गई है । वर्ष 1977-78 के दौरान इनमें से 4 उप-डाकघरों में यह सुविधा देने का प्रस्ताव है ।

Size of the Postcard

1397. **Shri S. S. Somani:**
Shri C. K. Jaffer Sharief:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to change the present size of the postcard; and

(b) what will be its form and size and how much additional space will become available for use ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश में रात्रि डाक-घर सेवा

1398. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा और मण्डी में रात्रि डाकघर सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेलीफोन उद्योगों की स्थापना

1399. श्री **माधवराव सिन्धिया** : क्या **संचार** मंत्री 7 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक स्थानों में टेलीफोन उद्योगों की स्थापना के बारे में इस बीच अन्तिम चयन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नए एककों के लिए स्थान तय करने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है । इसका निर्णय निकट भविष्य में लिये जाने की सम्भावना है ।

P.C.O. and S.A.X. in Kota, Bharatpur and Jaipur Divisions

†1400. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telephone exchanges, Public Call Offices and Small Automatic Exchanges functioning in these areas of Kota, Bharatpur and Jaipur Telegraph Divisions (Rajasthan) which come under the Sawai-Madhopur District; and

(b) whether most of these Public Call Offices and Small Automatic Exchanges remain out of order and if so, the details of each of these Public Call Offices and Small Automatic Exchanges remaining out of order as per fault register of last year?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Kota Engineering Division has one C.B. Telephone Exchange, 3 small automatic exchanges and 7 Public Call Offices, Bharatpur Telegraph Division has 3 C.B. exchanges, 6 small automatic exchanges and 25 PCOs. and Jaipur Telegraph Division has no CB exchange or small automatic exchange but has one Public Call Office in Sawai Madhopur District.

(b) No, Sir. The Public Call Offices and Small Automatic Exchanges do not remain out of order for long periods.

बेलगाम के लेखा अधिकारी के पास जमा ट्रंक काल डिपोजिट के बारे में अभ्यावेदन

1401. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेलगाम (कर्नाटक) के लेखा अधिकारी के पास जमा 'ट्रंक काल डिपोजिट' के बारे में 2 जुलाई, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) शायद इसका आशय टेलीफोन नं० बी० एम० 21932 के उपभोक्ता मैसर्स एम० के० महानडेल ट्रान्सपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड, बेलगाम के तारीख 2-7-77 के पत्र से है, जो बेलगाम के मण्डल इंजीनियर तार को प्राप्त हुआ था ।

(ख) मण्डल इंजीनियर तार, बेलगाम ने 19-7-77 को उस पत्र का उत्तर भेज दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि जमा की रकम प्राप्त करना विभागीय नियमों के अनुसार सही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राफ ग्रायुर्वेद स्थापित करने के लिये केरल से प्राप्त प्रस्ताव

1402. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में पूजापुरा में एक नेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राफ ग्रायुर्वेद स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार के प्रस्ताव में निम्नलिखित चार संस्थाओं को मिलाकर भारत सरकार की सहायता तथा राज्य के धन से एक स्वायत्त निकाय गठित करने का विचार है:—

(1) ग्रायुर्वेद कालेज, त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर केन्द्र—केन्द्र पोषित योजना;

(2) केरल सरकार द्वारा चलाया जा रहा भेषज-ग्रभिज्ञान (फार्माकागनोजी) यूनिट, पूजापुरा ;

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की केन्द्रीय ग्रनुसंधान परिषद् के ग्रधीन केन्द्रीय ग्रनुसंधान संस्थान, पूजापुरा ;

(4) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की केन्द्रीय ग्रनुसंधान परिषद् के ग्रधीन केन्द्रीय ग्रनुसंधान संस्थान (ग्रायुर्वेद), चेरुतुरति ।

राज्य सरकार अधिक ग्रच्छा तालमेल तथा प्रबन्ध करने के लिये उपर्युक्त पहले तीन संस्थानों को एक ही भवन में रखना चाहती है । उन्होंने यह भी बताया है कि इस संस्थान के साथ ही 12..9 एकड़ भूमि उपलब्ध है जहां पर नये संगठन के ग्रन्तर्गत चलाये जाने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा ग्रन्य यूनिटों को स्थान देने के लिये नये भवनों का निर्माण किया जा सकता है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव का उद्देश्य इस समय कार्य कर रहे विभिन्न यूनिटों की गतिविधियों में ताल-मेल करना तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाग्रों में व्यापक ग्रनुसंधान और गहन ग्रध्ययन करना है । इस संस्थान का प्रशासन पूर्ण रूप से इस संस्थान के लिये गठित किये जाने वाले प्रबन्ध निकाय के हाथ में होगा और इस प्रबन्ध निकाय को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें धन देंगी।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

वरकाला, केरल में एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1403. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से उस राज्य में वरकाला में एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुग्रा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव में दो जनरल वार्ड और 20 काटेजों का, जिनमें कुल मिलाकर 50 पलंग लगे हों, निर्माण करने, 36 चिकित्सा, परा-चिकित्सा और लिपिक-वर्गीय स्टाफ की भरती करने, चिकित्सा

उपकरणों, फर्नीचर, वर्दियां, बिस्तर और कपड़े आदि खरीदने के लिए 10.90 लाख रुपये के अनावर्ती और प्रतिवर्ष 3.10 लाख रुपये के आवर्ती खर्च का प्रावधान करने का उल्लेख किया गया है ।

(ख) फिलहाल, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा सकती हो । तथापि, सहायता के एक निर्धारित पैटर्न के अनुसार केन्द्र द्वारा स्वैच्छिक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

Hindus from Bangladesh

†1404. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the number of Hindus who crossed over to India from Bangladesh during the last five years, year-wise?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : Because of the length of the Indo-Bangladesh border and the nature of the terrain through which it passes, it is impossible to detect every Bangladeshi national who crosses over to India illegally. Even among those who have come to India over the years with valid documents, there were some who did not return and stayed illegally. It is difficult to trace these illegal migrants because of their common ethnic origin. It is, therefore, not possible to provide figures on the number of Bangladeshi nationals who crossed over to India during the last five years.

चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री द्वारा भाग लिया जाना

1405. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के निकट आने के संकेत मिलते हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीन की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी हां ।

(ख) 1976 में भारत और चीन के बीच राजदूतों की अदला-बदली के बाद दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई और कदम उठाये गए हैं । भारत में कतिपय संस्थाओं के नियंत्रण के उत्तर में चीनी पक्ष की ओर से भी यात्रायें हुई हैं और दोनों देशों के बीच पारस्परिकता तथा आपसी लाभ के आधार पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया चल रही है ।

American Arms Supply to China

†1406. **Shri Ram Naresh Kushwaha:**
Shri Daya Ram Shakya:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been invited to the news item published in the 'Hindustan' dated the 13th September, 1977 under the caption "Chin Ko Ameriki Ayudh Sainya Upkaran' (American arms and ammunition to China);

(b) if so, its impact on the security of India and Indo-American relations; and

(c) the impact of this exchange of military hardware between America and China on the international balance?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Government have seen the news item.

(b) & (c) The Government is trying to find out the truth in this regard. As far as we know, no such decision has been taken.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा रोष व्यक्त किया जाना

1407. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री मनी राम बागड़ी :
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के दौरे के समय श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा भारत की घटनाओं पर बोलते हुए दिये गये वक्तव्य पर रोष व्यक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इन देशों पर इस प्रकार के आरोप निरन्तर लगाती रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनको इस प्रकार के वक्तव्य देने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) हाल ही में जब मैं न्यूयार्क की यात्रा पर गया था, उस समय श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के इस कथित वक्तव्य पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि उनके अपने-अपने देशों में सरकारों में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें विदेशी हाथ था ।

(ग) यह सरकार भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार का सम्मान करने के प्रति वचनबद्ध है और किसी को इस प्रकार के वक्तव्य देने से रोक नहीं सकती । लेकिन हम यह उम्मीद अवश्य करते हैं कि ऐसे वक्तव्य देने में संयम बरता जाएगा जिनकी ऐसे देशों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है जिनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं ।

Statement by Chinese Deputy Foreign Minister

†1408. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his reaction in Calcutta to the recent statement by Chinese Vice Foreign Minister has been very warm which, from the political angle, can neither be called cautious or balanced nor in conformity with his previous statements;

(b) whether it is a fact that the Chinese authorities have objected even to the border dispute being termed as a dispute;

(c) whether it is a fact that Sino-Indian border dispute has been continuing for the last 15 years and if so, the total area of Indian territory which is under Chinese occupation; and

(d) if replies to the above are in affirmative, whether any definite policy is being pursued to recover the Indian territory under illegal occupation of China, and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) When questioned by the Press in Calcutta on August 16 about his reaction to a reported statement made by the Chinese Vice Foreign Minister on China's willingness to have a negotiated settlement on the India-China border question, Foreign Minister had stated that if China took the initiative to have a negotiated settlement, India would fully respond. Our consistent policy, as stated on several occasions, by Foreign Minister, has been tnat India stands by the principle of resolving all outstanding issues, including India-China border question through peaceful bilateral negotiations on the basis of the Five Principles and in conformity with India's honour, dignity and interests.

(b) It is acknowledged by both sides that there exists unresolved differences on the India-China border question.

(c) Differences on the India-China border have existed for more than 15 years. The Chinese are, at present, in occupation of approximately 14,500 sq. miles of Indian territory.

(d) India is committed to resolving differences on the India-China border question by peaceful bilateral negotiations.

मार्शल टीटो की चीन यात्रा

1409. **श्री चित्त बसु :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्शल टीटो की चीन यात्रा के पश्चात् भारत और चीन के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की नई सम्भावनाएं पैदा हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) हाल ही में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो की पीकिंग यात्रा के समय बताया जाता है कि चीन के नेताओं ने आमतौर से भारत के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने की इच्छा व्यक्त की थी। 1976 में दोनों देशों के बीच राजदूतों की अदला-बदली के बाद चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की कोशिशें चलती रही हैं। बाद में दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डल एक-दूसरे के यहां आये-गये हैं और दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध, जिसमें जहाजरानी सम्बन्ध भी शामिल हैं, स्थापित हुए हैं। सरकार ने दोनों देशों के बीच पारस्परिकता तथा आपसी लाभ के आधार पर सम्बन्ध बढ़ाने की दिशा में बहुत से कदम अपनी ओर से उठाए हैं।

Legislation on Adulteration in Food Stuffs

1410. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2852 on the 7th July, 1977 re: setting up of Testing Laboratories in Districts and State, whether sometimes adulteration results in serious consequences and whether Government propose to enact a legislation to take action against the persons indulging in adulteration in foodstuffs so as to save human life?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): Yes, Sir. Adulteration in foodstuffs is a health hazard and in some cases may cause death. To protect the consumer against any hazards arising out of adulteration or contamination of foods, a legislation known as "Prevention of Food Adulteration Act" was enacted in 1954 and amended in 1964 and 1976. If any person contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder he is liable to punishment with imprisonment or fine or both as provided in Section 16 of the said Act.

फैक्टरियों में प्रशिक्षुकों के लिए उपबन्ध

1411. **श्री निहार लास्कर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार इस उपबन्ध को अनिवार्य बनाने का है कि प्रत्येक फैक्ट्री प्रत्येक वर्ष कुछ प्रशिक्षु रखे जिससे युवकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : शिक्षु अधिनियम, 1951 के अधीन प्रत्येक नियोजक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के अनुसार कुछ शिक्षुओं को रोजगार प्रदान करे और उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक शिक्षु को अपने व्यवसाय में व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रदान करे।

स्कटर्स इंडिया द्वारा तालाबन्दी

1412. **श्री सौगत राय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया ने 30 अक्तूबर, 1977 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तालाबन्दी के क्या कारण हैं तथा उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) वस्तुतः यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार से, जो इस मामले में सम्बन्धित सरकार है, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 24 अक्तूबर, 1977 से श्रमिकों द्वारा अभिकथित गैर-कानूनी हड़ताल करने पर प्रबन्धकों ने 30 अक्तूबर, 1977 को रात के 10.00 बजे से तालाबन्दी घोषित कर दी। तालाबन्दी 5 नवम्बर, 1977 से हटा दी गई है और कारखाने में सामान्य रूप से कार्य चल रहा है।

महाराष्ट्र कार्य गारंटी योजना अधिनियम का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारण

1413. **श्री के० रामसूर्ति :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र कार्य गारन्टी योजना की रूपरेखा क्या है और क्या इसके अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारण तथा कार्यान्वयन की कोई योजना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महाराष्ट्र राज्य में इस समय कार्यान्वित की जा रही कार्य गारन्टी योजना ग्रामीण और "सी" क्लास नगरपालिका क्षेत्रों में सभी अकुशल व्यक्तियों को शारीरिक कार्य (जो व्यक्ति के लिए लाभदायक और समाज के लिए उत्पादक हो) में रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना करती है, जिनको रोजगार की जरूरत है और जो शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। अभी इस योजना को अन्य राज्यों में विस्तार करने के लिए सरकार के पास विचारार्थ कोई सुझाव नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण योजना को छोटे इस्पात संयंत्रों पर लागू करना

1414. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया के इस अनुरोध पर विचार किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण योजना को छोटे इस्पात संयंत्रों पर भी लागू किया जाये जिससे उन्हें भी कम ब्याज पर और अधिक अवधि में वापस भुगतान की सुविधा सहित वित्तीय सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और छोटे इस्पात संयंत्रों की सहायता के लिये सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है जिससे वे अधिक उत्पादन कर सकें ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सरकार स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया के इस अनुरोध पर विचार कर रही है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण योजना को छोटे इस्पात संयंत्रों पर भी लागू किया जाये जिससे उन्हें भी कम ब्याज पर और अधिक अवधि में भुगतान की सुविधा सम्बन्धी वित्तीय सहायता मिल सके ।

सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं—जैसे सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से बनाए जाने वाले पिण्ड/बेलित उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करना, मेल्टिंग स्क्रैप पर आयात-शुल्क समाप्त करना, सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त किये जाने वाले हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करना । यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि योजना की अर्थक्षमता को देखकर उत्पादन में विविधता लाने के लिए वित्तीय संस्थाएं लघु इस्पात संयंत्रों से ऋण के लिये प्राप्त हुए आवेदनों पर भी अनुकूल कार्रवाई करने पर विचार करें ।

इसके अतिरिक्त लघु इस्पात संयंत्रों को कुछ ग्रेडों का मिश्र-इस्पात तैयार करने की भी अनुमति प्रदान की गई है । कुछ चुने हुए लघु इस्पात संयंत्रों को बेलन सुविधाओं की स्थापना करने की भी अनुमति दी गई है ।

उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में लघु इस्पात-संयंत्रों से इस्पात की कुल उपलब्धि में वृद्धि हुई है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की गिरफ्तारियां

1415. **श्री श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :**
डा० हेनरी आस्टिन :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने 97 भारतीयों को तब गिरफ्तार किया जब वे अक्तूबर 1977 में लेनाशिया एशियन डिस्ट्रिक्ट में एक बैठक में भाग ले रहे थे; और

(ख) यदि हां तो, इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, लेनाशिया (जोहानीसबर्ग उपनगर की एक भारतीय कालोनी) के 97 एशियाई लोगों को, जो कि बंटू शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए सोवेतो के रहने वालों के साथ आ गए थे, 21 अक्तूबर को, इस क्षेत्र में सभा करने के विरुद्ध निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बन्द रखने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया था।

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, भारत ने बहुत पहले ही दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लिए थे। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों की ऐसी घृणास्पद और दमनकारी कार्रवाइयों की सदा भर्त्सना की है और बराबर इस बात का प्रयत्न करती रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे कारगर और पर्याप्त प्रतिबन्ध लगाये कि जिनसे मजबूर होकर दक्षिणी अफ्रीकी सरकार जातीय पृथग्वासन की अपनी नीतियां छोड़ दे। हाल ही में, 4 नवम्बर, 1977 को सुरक्षा परिषद् ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव, संख्या 418(1977), पारित करके दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर प्रदेशात्मक शस्त्र प्रतिबन्ध लगाया था। हम आशा करते हैं कि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया जाएगा, न केवल सैनिक क्षेत्र में बल्कि नाभिकीय, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी और यह बहिष्कार तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार अपनी वर्तमान अमानवीय नीतियों को बदल न दे।

Use of National Language in Official Work of Indian Embassies Abroad

†1416. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to ensure the use of the national language in the official work of the Indian Embassies abroad within a specified period; and

(b) if so, the number of years within which the scheme would be implemented?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) & (b) All efforts are being made to increase the use of Hindi in the working of our Missions abroad, in keeping with the policy of the Government on this subject.

राजधानी में नकली दवाइयों का पकड़ा जाना

1417. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1977 के महीने में राजधानी में एक लाख रुपये से अधिक कीमत की नकली दवाइयां पकड़ी गई थीं ;

(ख) नकली दवाइयों के निर्माण और/अथवा बिक्री में लगे कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किए गए ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ; लगभग एक लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां, पैकिंग सामान और एक अम्बेसेडर कार जब्त की गई थी।

(ख) एक ।

(ग) दिल्ली पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया है।

दुर्गापुर में कोलतार कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

1418. **श्री अमर राम प्रधान :**

श्री सी० आर० महाटा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने एच० एस० एल० की भागीदारी में दुर्गापुर में एक कोलतार डिस्टिलेशन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में हिन्दुस्तान स्टील लि० की भागीदारी में दुर्गापुर में एक कोलतार डिस्टिलेशन कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गापुर केमिकल्स लि० (राज्य सरकार का एक उपक्रम) ने दुर्गापुर में कोलतार कम्पलेक्स की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र प्राप्त कर लिया है। यह प्रायोजना इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि इसे टिस्को और इस्को का कोलतार कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो जायेगा। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रायोजना पर आगे और कार्यवाही करने से पहले उसे इस मामले पर आगे टिस्को तथा इस्को दोनों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। इस मंत्रालय ने भी इस विषय पर दोनों इस्पात कारखानों से लिखा-पढ़ी की है।

विदेश मंत्री की बर्मा यात्रा

1419. **डा० मुरली मनोहर जोशी :**

श्री शंकर सिंहजी बाघेला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1977 में अपनी बर्मा यात्रा के दौरान उन्होंने किन विषयों पर विचार-विमर्श किया;

(ख) क्या बर्मा के अधिकारियों के साथ उन्होंने बर्मा के साथ साझी सीमा की समस्या पर भी बातचीत की, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विद्रोही तत्वों द्वारा सीमा पार करने की समस्या को सुलझाने पर भी चर्चा की गई और यदि हां, तो अनधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए क्या निर्णय किए गए ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) संक्षेप में, मैंने बर्मा के नेताओं के साथ भारत और बर्मा की हाल की घटनाओं के विषयों में, द्विपक्षीय प्रश्नों, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समस्याओं और समान हित के राजनैतिक और आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया।

(ख) जी, हां। इस बात पर सहमति हुई कि 1967 के करार के अन्तर्गत भारत-बर्मा सीमा के शेष भाग का शीघ्र सीमांकन किया जाएगा और अंडमान सागर और मर्तबान की खाड़ी में समुद्री सीमा के परिसीमन पर तकनीकी बातचीत शीघ्र ही पुनः शुरू की जाएगी।

(ग) जी, हां। दोनों सरकारों ने सदा ही अपनी धरती पर दूसरे पक्ष के विद्रोही तत्वों की गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष में एक-दूसरे का सहयोग किया है। कोई भी पक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी धरती का उपयोग उसके मित्र पड़ौसी के विरुद्ध गतिविधियों के लिए किया जाए।

विदेश स्थित भारतीय राजदूतों अथवा उच्चायुक्तों का संसद् सदस्यों तथा मंत्रियों के स्वागत के लिये आना

1420. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के राजदूत अथवा उच्चायुक्त उन देशों में आने वाले संसद् सदस्यों और भारत सरकार के मन्त्रियों का स्वागत करने हवाई अड्डों पर आते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो आने वाले ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के पदनाम क्या हैं जिनके स्वागत के लिए वे हवाई अड्डों पर आते हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों को दिए गए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्यपालों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संसद् अध्यक्ष की आगवानी के लिए सामान्यतः मिशन-प्रमुख को जाना चाहिए। अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में जिनमें संसद् सदस्य भी शामिल हैं, मिशन प्रमुख को अपने ववेक से मिशन के किसी भी उपयुक्त अधिकारी को यह काम सौंपने की स्वतन्त्रता है।

गंधमर्दन में बाक्साइट अयस्क का निकाला जाना

1421. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गंधमर्दन पर्बत में बाक्साइट अयस्क निकालने के कार्य को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस अयस्क का औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग में लाने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान) ने गंधमार्दन बाक्साइट निक्षेपों के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार से खनन पट्टा मंजूर होने की प्रतीक्षा है। इस बीच, गंधमार्दन बाक्साइट निक्षेप को खनिज गवेषण निगम के प्रोन्नत खोज कार्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक कार्यों में अयस्क के उपयोग के बारे में आगामी खोज कार्य तथा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की खनन पट्टा मंजूर हो जाने के बाद ही फैसला किया जाएगा।

Grants to States for Procurement of Hospital Equipments

1422. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state whether Government propose to provide special grants to the States for procurement of equipments for hospitals?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): There is no proposal to provide special grants. However, under various Centrally Sponsored Schemes the Government of India affords suitable assistance to the States for procurement of equipments.

Encouragement to Doctors and Vaidyas to Serve in Villages

1423. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to encourage efficient doctors and vaidyas for their working in rural areas; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State for H lth and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) There is no schemes as such to encourage efficient doctors and vaidyas only for their working in the rural areas. The Government, however, intends to reorient medical education so as to bring about attitudinal changes regarding service in rural areas. It is also intended to initiate a system of continuous dialogue and contact between the medical colleges, district hospitals, civil dispensaries, and Primary Health Centres. To start with, it is proposed to attach 3 Primary Health Centres to each medical college. These centres will avail the expertise and assistance of the medical college in different fields.

Further, under the Community Health Workers Scheme which has been introduced in the selected Primary Health Centres in the country there is a provision of appointment of one additional doctor to each such Primary Health Centre, preferably from the doctors of the Indian System of medicine. Besides the above, the nationalised banks in the country are already extending various facilities to the doctors of different systems of medicine for setting up practice in rural areas.

STD from Bareilly to Delhi and Between District Heaquarters of U.P.

1425. **Shri Brijraj Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the time by which STD system is likely to be provided between Delhi and Bareilly; and

(b) whether the Ministry have under their consideration any scheme to provide direct dialling system between district headquarters and other important cities of Uttar Pradesh and Delhi or between the district headquarters and the important cities of the State and if so, the details thereof?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) S.T.D. system between Delhi and Bareilly is likely to be provided by March, 1979.

(b) Yes Sir. Direct dialling between Delhi and district headquarters of Uttar Pradesh within 300 kms. of Delhi is being introduced progressively. S.T.D. between Delhi and other important cities of U.P. is also being provided subject to technical feasibility and financial viability. Direct dialling from 14 cities/towns of U.P. to Delhi is alredy available.

District Headquarters of the State are also proposed to be connected to Lucknow—the State Capital—on direct dialling. Six District Headquarters already have STD to Lucknow. Direct dialling amongst the cities of the State is also being extended progressively.

देश में यूनानी संस्थान की स्थापना

1426. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री ग्रहमद एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक यूनानी संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां। आयुर्विज्ञान और आयुर्वैज्ञानिक इतिहास संस्थान, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के अहाते में यूनानी का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

चिकित्सकों को बाल-रोग प्रशिक्षण

1427. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए बाल-रोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्सिज के प्रोफेसर डा० ओ० पी० घई ने यह विचार व्यक्त किए थे कि हमारे चिकित्सा स्नातकों को बाल-स्वास्थ्य परिचर्या के मामले में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य चिकित्सकों को बाल-रोग प्रशिक्षण देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) नई दिल्ली में हुए बाल चिकित्सकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अधिवेशन में डा० घई ने ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया था।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मेडिकल कालेजों से यह सिफारिश की है कि बाल स्वास्थ्य में प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि होनी चाहिए और बाल चिकित्सा को एम. बी. बी. एस. की अंतिम परीक्षा में चिकित्सा के एक अनिवार्य अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में बाल चिकित्सा विज्ञान का विषय होना चाहिए जिसमें सामाजिक बाल चिकित्सा विज्ञान और नवजात विज्ञान (निओनोटोलाजी) तथा पोषण शामिल हों। इस क्रमबद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में बच्चों की बढ़ोतरी और विकास, शैशव काल और बाल्यावस्था के रोगों की चिकित्सा, बाल शल्य चिकित्सा, सामाजिक बाल चिकित्सा और पोषण भी शामिल होंगे। सामान्य चिकित्सकों के लिए बाल स्वास्थ्य में अनवरत शिक्षा (नवीकर पाठ्यक्रम) (क) इंडियन अकादमी आफ पेडियाट्रिक्स, (ख) कुछेक मेडिकल कालेजों और (ग) कालेज आफ जनरल प्रैक्टिशनर्स आफ इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन द्वारा दी जाती है।

सावधि संचयी जमाखातों और आवर्ती जमाखातों के लिए पास बुकों की कमी

1428. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सावधि संचयी जमाखातों और आवर्ती जमाखातों के लिए दिल्ली के डाकघरों में पास बुकों की भारी कमी है;

(ख) तत्संबंधी क्या कारण है; और

(ग) पास बुकों की उक्त कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) जी नहीं। दिल्ली के डाकघरों में पास बुकों की कोई कमी नहीं है।

केन्द्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान कार्य पर व्यय

1429. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) केन्द्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त तीन वर्षों में अनुसंधान कार्य पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) अनुसंधान कार्य पर इतनी कम राशि व्यय किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) चिकित्सा अनुसंधान के लिए धन का नियतन संसाधनों की सम्पूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

विवरण

वर्ष	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान को आबंटित की गई राशि	अनुसंधान कार्य पर खर्च की गई राशि
1974-75	255.00 लाख रुपये	251.30 लाख रुपये
1975-76 .	320.00 लाख रुपये	328.96 लाख रुपये
1976-77	425.81 लाख रुपये	423.25 लाख रुपये

अमरीका में भारतीय अध्ययनार्थियों को वीजा न दिया जाना

1430. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य को जानती है कि हाल में अमरीका की सरकार ने वीजा देने के मामले में एक कठोर प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाई है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने उन भारतीय अध्ययनार्थियों को, जिन्हें असिस्टेंटशिप और फैलोशिप प्रदान किए गए हैं, वीजा नहीं दिया है ;

(ख) क्या उसे यह भी पता है कि इस प्रकार के 30 मामले फाइल में विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) सरकार का विचार उन भारतीय अध्ययनार्थियों की, जो आगे अध्ययन के लिए अमरीका जाना चाहते हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है, सहायता करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां । इस प्रकार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) सरकार सही तौर पर यह नहीं बता सकती कि ऐसे कितने मामले अभी निर्णयार्थ रुके पड़े हैं क्योंकि इनकी सही संख्या केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के पास ही उपलब्ध होगी।

(ग) सरकार ने नई दिल्ली में और वाशिंगटन में भी राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इस संबंध में अपनी चिन्ता से अमेरिका को अवगत कराया है।

सेलम इस्पात संयंत्र

1431. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल रूप में निर्धारित किया गया सेलम इस्पात संयंत्र परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक पूरे हुए परियोजना के चरण कौन-कौन से हैं और बाकी चरणों के पूरा करने के लिए समय-सीमा क्या है;

(ग) विभिन्न चरणों पर कितना व्यय हुआ है और बाकी चरणो के लिए आगे कितना खर्च होने का विचार है;

(घ) क्या यह परियोजना संशोधित की गई है; और

(ङ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) शक्यता प्रतिवेदन के आधार पर मई, 1972 में सेलम् में निम्नलिखित के उत्पादन के लिए एक कारखाना लगाने का निर्णय लिया गया था :--

बेदाग इस्पात	70,000 टन प्रतिवर्ष
मिलिकन इस्पात	75,000 टन प्रतिवर्ष
विशेष इस्पात	50,000 टन प्रतिवर्ष
	1,95,000 टन प्रतिवर्ष

स्टील अथारिटी आफ इंडिया का पुनर्गठन

1432. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का पुनर्गठन करने के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे तथा इसके कार्यकरण की पूरी तरह समीक्षा करने से यह महसूस किया गया है कि इस्पात उद्योग की कार्यकुशलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों को एक समग्र कम्पनी के सर्वोपरि नियंत्रण में

लाया जाए ताकि यह एक सर्वतोमुखी इस्पात कम्पलैक्स के रूप में कार्य कर सके और उन सभी कार्यों को, जिनका इस्पात उत्पादन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए।

प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लि०, सेलम स्टील लि०. सेल इन्टरनेशनल लि०, भिलाई इस्पात लि०, राउरकेला इस्पात लि० और दुर्गापुर मिश्र इस्पात लि०, जो कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के पूर्ण स्वामित्व में इसकी सहायक कम्पनियां हैं, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) में मिला दी जाएंगी और ये कम्पनियां सेल के प्रभाग के रूप में कार्य करेंगी।

2. इस समय इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० में सरकार के जो शेयर हैं उनको सेल को अन्तरित कर दिया जाएगा और यह कम्पनी सेल की एक सहायक कम्पनी बन जाएगी। वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पार्टियों द्वारा लिए गए शेयरों के अधिग्रहण के पश्चात् इसको भी सेल का एक प्रभाग बन जाएगी ।

3. मैटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्सट्स (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील-वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड और राष्टीय खनिज विकास निगम, जो कि सेल के पूर्ण स्वामित्व में इसकी सहायक कम्पनियां हैं, इस्पात विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतन्त्र कम्पनियां बन जायेंगी। लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की किरिबुरु और मेघाटाबुरु लोह अयस्क की सेल को अन्तरित कर दी जायेंगी और ये खानें बोकारो इस्पात कारखाने की रक्षित इकाईयां होंगी।

4. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, जो कि बोकारो स्टील लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में उसकी एक सहायक कम्पनी है, और अन्य सभी उष्मसह इकाईयां इस्पात विभाग के सीधे नियंत्रण में आ जायेंगी।

5. दुग्दा, भोगडीह और पाथरडीह में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की केन्द्रीय कोयला शोधनशालाएं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को अन्तरित कर दी जायेंगी।

6. सेल में कार्यात्मक प्रभाग होंगे जो इसकी विभिन्न इकाईयों के कार्यों को करेंगे और निगम स्तर पर नीति सम्बन्धी मामले निपटायेंगे।

7. विभिन्न इकाईयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जायेगी ताकि इन इकाईयों के काम में अधिकतम कुशलता आ सके।

8. इन प्रस्तावों को विधान द्वारा लागू करने का प्रस्ताव है।

नई स्वास्थ्य संरक्षक योजना आरम्भ करना

1433. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अक्तूबर, 1977 से एक नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या समस्त देश को उक्त योजना के अंतर्गत लाया गया है और यदि नहीं तो इस समय राज्यवार काम कर रहे प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत एक हजार जनसंख्या वाले गांव अथवा समाज से कहा जायेगा कि वे अपने गांव में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो वहां का निवासी हो, समाज या गांव की सेवा करना चाहता हो तथा उनका विश्वास-पात्र हो। इस व्यक्ति (पुरुष अथवा महिला) को जन स्वास्थ्य रक्षक कह कर पुकारा जायेगा। 30 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तरजीह दी जायेगी। उसे साक्षर होना चाहिए जो लिख पढ़ सकता हो। इस व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा कम से कम छठी कक्षा तक होनी चाहिए। लोग ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जो किसी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस कर रहा हो या जो इससे अधिक पढ़ा-लिखा हो। इन कार्यकर्त्ताओं को प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में तीन-तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में एक अतिरिक्त डाक्टर नियुक्त कर दिया जायेगा प्रशिक्षणकाल में इन कार्यकर्ताओं को 200 रुपये प्रतिमास की दर से स्टाइपेंड दिया जायेगा। तत्पश्चात् उन्हें समाज में काम करने के लिए प्रति वर्ष 600 रुपये का भत्ता और साथ ही हर वर्ष 600 रुपये के मूल्य की दवाइयां भी दी जायेंगी। चूंकि ये जन स्वास्थ्य रक्षक जनता के आदमी ही होंगे इसलिए वे अपना सामान्य कारबार करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। अपने अवकाश के समय में वे प्रति दिन 2-3 घंटे तक जन स्वास्थ्य का काम करेंगे। सामान्य सीमाओं के भीतर उनके काम के लिए समाज उत्तरदायी होगा।

(ग) फिलहाल यह योजना उन 28 जिलों में शुरू की गई है जहां बहुधंधी कार्यकर्ताओं को विषय-परिचायक ज्ञान देने का काम पूरा हो चुका है। शेष प्रत्येक जिले में यह योजना एक-एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में चलाई गई है। इसी प्रकार वर्तमान चरण में यह योजना कुल 777 प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में चलाई जायेगी। कर्नाटक और तमिल नाडु के सिवाए शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। इस समय लगभग 15000 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस्पात का उपयोग

1434. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**
श्री के० मायातेवर :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न संयंत्रों में इस्पात के स्टाक में वृद्धि देश में मन्दी का संकेत करती है ;

(ख) यदि हां, तो स्टाक के एकत्रित होने सम्बन्धी असमानता के क्या कारण हैं जबकि विकास प्रयासों के लिए जितना इस्पात मिल सके उतना ही कम है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस्पात के उत्पादन का तुरन्त उपयोग करने की कोई ठोस योजना तैयार की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत जनवरी, 1977 से मुख्य उत्पादकों के स्टाक में क्रमिक रूप से लगभग 5 लाख टन की कमी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां कहीं देशीय मांग की पूर्ति के बाद इस्पात बच जाता है उसके निर्यात के लिए व्यवस्था की जाती है।

समेकित औषध प्रणाली

1435. **श्री बापू कालदाते :**

श्री युवराज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध की विभिन्न प्रणालियों का समन्वय करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या भारतीय औषध प्रणाली के रूप में जाने वाली किसी समेकित प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों की विभिन्न गतिविधियों में तालमेल बिठाती है लेकिन विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण का कोई विचार नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज का आयात

1436. **श्री हरिविष्णु कामथ :** क्या **संचार** मंत्री दिल्ली और बम्बई में क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंजों के आयात के बारे में 4 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6151 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी क्रास-बार एक्सचेंजों का आयात किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां उक्त क्रास-बार एक्सचेंजों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां उक्त क्रास-बार एक्सचेंजों ने असन्तोषजनक सेवा प्रदान की है; और

(ङ) उनके असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

एक्सचेंज का नाम	टाइप	निर्माता	लाइनें	कैफियत
1. कलकत्ता—तिरेत्ता बाजार II, III, बंबई—मलाबार हिल I, II अहमदाबाद—रेलवे-पुरा III	सी-400	छिताची	50,000	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 5वें ऋण के अधीन 28-11-75 को आर्डर दिया गया था ।

एक्सचेंज का नाम	टाइप	निर्माता	लाइनें	कैफियत
2. दिल्ली—हौजखास II दिल्ली—तीस हजारी III दिल्ली—शक्ति नगर II	सी-400	एन०ई०सी०	30,000	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 5वें ऋण के अधीन 26-12-75 और जून 1976 को आर्डर दिया गया था।
3. बंबई—मझगांव II बम्बई—घाटकोपर III बंबई—प्रार्फादेव I	सी-400	हिताचीपेक	30,000	येन ऋण के अन्तर्गत 30-9-77 को आशय-पत्र जारी किया गया। आर्डर दिए जा रहे हैं।
4. दिल्ली—तीस हजारी II दिल्ली—नेहरू प्लेस दिल्ली—राजौरी गार्डन	सी-400	एन०ई०सी० मेक	30,000	येन ऋण के अन्तर्गत 30-9-77 को आशय-पत्र जारी किया गया। आर्डर दिए जा रहे हैं।

(ग) मालूम हुआ है कि ऊपर बताई गई दोनों जापानी कम्पनियों द्वारा बनाए गए इसी प्रकार के क्रासबार एक्सचेंज निम्नलिखित देशों में कार्य कर रहे हैं :—

(1) बाहरीन
(2) ब्राजील
(3) साइप्रस
(4) ग्वाटेमाल
(5) जापान
(6) कीनिया
(7) कुवैत
(8) न्यूजीलैंड
(9) काटार
(10) सीशेल्स
(11) श्रीलंका
(12) स्वाजीलैंड
(13) तैवान
(14) तंजानिया
(15) थाइलैंड
(16) उगांडा
(17) संयुक्त राज्य अमरीका
(18) जंजीबार।

सेवा दे रही लाइनों की कुल संख्या इस प्रकार बताई गई है :—

हिताची	45 लाख 60 हजार लाइनें
एन०ई०सी०	63 लाख 80 हजार लाइनें

जापान के सी-400 एक्सचेंजों के कार्यकारण के कार्य स्थल पर अवलोकन करने और इन एक्सचेंजों का इस्तेमाल करने वाले प्रशासनों के साथ बात चीत करने के लिए भारतीय इंजीनियरों के दल 1975 में कीनियां, कुवैत, थाइलैंड और जापान गए थे। उन दलों की रिपोटों के अनुसार इन देशों में ये एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहे थे।

(घ) इस प्रकार के उपस्कर के असन्तोषजनक कार्यकरण की कोई खास रिपोर्ट अभी तक सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक व तार विभाग में सतर्कता कक्ष

1437. **श्री मनी राम बागड़ी :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक व तार विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से एक सतर्कता कक्ष स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या डाक व तार के कुछ अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं जो टेलीफोन तथा अन्य सेवाओं में सुधार करने के विभाग के प्रयासों में सभी प्रकार की बाधायें उत्पन्न कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो क्या ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, सतर्कता कक्ष पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ख) विभाग को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Recognition of Indian Medical Degrees by Foreign Countries

1438. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Indian Medical Degrees are recognised in England, U.S.A. and U.S.S.R and

(b) the names of other countries which recognise these degrees and the number of countries with which arrangements have been made to accord recognition to the Indian Medical degrees?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Indian Medical Qualifications of about 55 Medical Colleges continue to be recognized

in U.K. when granted on or before 22nd May, 1975 and person who obtains Medical Degree of any of these colleges in India after 22nd May, 1975 is to appear for a test to be conducted by the Temporary Registration Assessment Board to enable them to get temporary registration in U.K. Similarly in U.S.A. holders of Indian Medical qualifications are required to appear in the E.C.F.M.H. examination before getting right to practice in Institutions. As regards U.S.S.R. even Soviet doctors are not allowed private practice in U.S.S.R. However, they allow holders of Indian Medical Qualifications to pursue Post-graduate studies in U.S.S.R.

(b) At present we have no reciprocity in regard to the mutual recognition of medical degree with any country in the world. Every country has its own Rules and Regulations for recognising foreign medical qualifications. However, the holders of Indian Medical Qualifications are being allowed registration in countries like Australia, Canada, West Germany etc. on the basis of their Rules and Regulations and on the basis of individual merits.

निर्धनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य न्यास की स्थापना

1439. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन लोगों को बेहतर ढंग से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य न्यास की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं । अलबत्ता, एक प्राइवेट लोक चिकित्सा ट्रस्ट हाल ही में बनाया गया है ।

(ख) प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई इस लोक चिकित्सा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके अन्य सदस्य निम्नलिखित है :—

(1) श्री चरण सिंह, गृह मंत्री ;

(2) श्री राज नारायण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ;

(3) श्री रवि रे, संसद सदस्य ; और

(4) श्री जगदीश गुप्त

शुरू-शुरू में यह ट्रस्ट गरीबों को हृदय रोग, गुर्दे के रोग और कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज में सहायता करेगा ।

Functioning of Kasba Telephone Exchange, Bihar

+1440. **Shri L.L. Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Kasba telephone exchange in Purnea District in Bihar Circle is a Small Automatic System;

(b) whether this telephone exchange has not been functioning properly for the past one year; and

(c) if so, action proposed to be taken by Government to ensure smooth functioning thereof?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes Sir, Kasba is a 25 lines small automatic exchange.

(b) No Sir, the exchange is functioning properly.

(c) Does not arise.

समेकित ग्रामीण विकास के लिए मजदूर नेताओं का सम्मेलन

1441. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास में श्रमिक संगठनों एवं श्रमिक शिक्षा के योगदान पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में होने वाले चार दिवसीय सम्मेलन में 31 देशों के मजदूर नेता भाग लेंगे ;

(ख) यदि हां, तो बैठक कब होने की संभावना है ; और

(ग) उसमें किन-किन विषयों पर विचार होगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क), (ख) और (ग) : हमें ऐसे सम्मेलन के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

मद्रास मेडिकल जनरल अस्पताल में गुर्दा रोपण संयंत्र की स्थापना

1442. **श्री सी० ए० विश्वनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारत में विभिन्न अस्पतालों में कितने गुर्दा-रोपण संयंत्र हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार मद्रास मेडिकल जनरल अस्पताल में गुर्दा-रोपण संसंत्र स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जहां तक सरकारी/संविधिक अस्पतालों/आयुर्विज्ञान संस्थाओं का संबंध है, गुर्दा-रोपण सम्बन्धी सुविधाएं दो स्थानों में अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान अस्पताल, चंडीगढ़ में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि यह पता चला है कि तमिलनाडु सरकार ऐसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

Functioning of Narayanpur Telephone Exchange

†1443. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Narayanpur Telephone Exchange under the Navgachia Telephone Exchange does not function when there is no power supply; and

(b) if so, whether, in order to remove the inconvenience caused to the subscribers, battery will be provided there to ensure uninterrupted telephone service?

Minister of State for Communictions (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b): Yes Sir, Narayanpur Exchange works off a battery eliminator only after the exchange had been shifted to a new premises after the old building having been washed away during recent floods. A new battery will be provided shortly to ensure uninterrupted telephone service.

बड़ाजामदा तथा बैलारीहोस्पेट क्षेत्रों में लौह अयस्क निक्षेप

1444. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क बोर्ड ने बड़ाजामदा तथा बैलारीहोस्पेट क्षेत्रों में लौह अयस्क के कुछ निक्षेपों के समेकित विकास की दृष्टि से कुछ अध्ययन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत चार वर्षों के दौरान इंडियन ब्यूरो आफ माईन्ज ने 4313 गैर-सरकारी खानों का निरीक्षण किया था जिसमें 7119 उल्लंघनों का पता चला था ; और

(घ) यदि हां, तो इन उल्लंघनों का स्वरूप क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) लौह अयस्क बोर्ड ने बड़ाजामदा और बैलारीहोस्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों का अध्ययन करने के लिए दो समितियों का गंठन किया था । इन समितियों ने अपनी रिपोर्टों में घरेलू तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कुछ क्षेत्रों का पता लगाया था, क्रशिंग संयंत्रों तथा परिष्करण सुविधाएं लगाने, नक्शे बनाने तथा समन्वेषण के कार्यक्रमों में तेजी लाने, संरक्षण उपायों आदि के लिए उपाय सुझाए थे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) खनिज संरक्षण तथा विकास निगम, 1958 के मुख्य उल्लंघन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1. नियम 13 के अधीन स्टोपिंग नोटिस प्रस्तुत न करना ।
2. योग्य प्राप्त तकनीकी कार्मिक भर्ती न करना ।
3. नियम 23 के अधीन जारी किए गए निर्देशों का पालन न करना ।
4. नियम 24 के अधीन विकास योजना प्रस्तुत न करना ।
5. अन्य कानूनी विवरणियों और नोटिस को प्रस्तुत न करना ।

इन उल्लंघनों को दूर करने के लिए खान मालिकों से कहा गया था । 40 मामलों में मुकदमे दायर किए गए थे और 24 मामलों में खान मालिकों को सजा दी गई है ।

Opening of Hospitals in Backward Areas

1445. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open big hospitals in the backward areas of the country during the next three years; and

(b) if so, the number and the locations thereof?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The Government of India have no such proposals under consideration.

(b) Does not arise.

Problems of Indians Settled Abroad

†1446. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are looking into the problems of Indians settled abroad; and

(b) if so, the action taken so far on the ill treatment meted out to them in various countries?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) & (b) Government of India and our Missions abroad take an interest in Indians settled abroad, especially as, regardless of their citizenship, most of them cherish their cultural and religious links with India. Indian Diplomatic Missions aborad, however, can only render assistance to Indian nationals in the country of their accreditation. This they do wherever possible in the appropriate manner.

Publications of Telephone Directories by States

1447. **Shri S.S. Das:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there has been discrimination in publication of telephone directories in various States and the reasons for the same;

(b) whether the subscribers in Bihar had to use the telephone directory published in 1973 till the first week of October, 1977 and as a result No. 197 had to be dialled compulsorily for which charges were made as per decision taken during emergency; and

(c) if so, whether Government propose to do away with discriminatory policy and refund the money to the subscribers charged as fee for the public utility calls made on No. 197?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The July 1973 issue of Bihar Circle telephone directory was brought out in February, 1974. Thereafter, no directory could be published due to disputes between the Department and the Printers and advertising agents. A decision to terminate the contract with the Printers and the Advertising Agents has been taken on 13-4-1977 in consultation with the Ministry of Law. Thereafter fresh tenders were called for and the contracts awaited. The 1977 issue is under print and is expected to be brought out by the end of December, 1977. '197' is a metered service which is available for directory enquiries. People dial '197' service even if the information is available in the directory. It is not possible to distinguish between calls made on '197' which pertain to entries existing in the directory and those which pertain to new or changed numbers.

(c) As already stated, there has been no discrimination and refund of charges due to calls made on '197' is not feasible.

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज, जनपथ में दैनिक मजदूरी पर काम कर रही महिला एटेंडेंट

1448. **श्री के० ए० राजन :** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज, जनपथ, नई दिल्ली में दैनिक मजूरी पर कितनी महिला अटेंडेंट काम कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार की नीति सभी दैनिक मजूरी पर काम करने वाले लोगों को स्थायी बनाने की है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) तीन।

(ख) दैनिक मज़दूरी पर काम करने वाले कामगारों को ग्रुप 'ग' की नियमित जगहों में खपाने के बारे में विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कुछ शर्तें पूरी करते हों।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में डाक तथा तार विभाग में सुधार

1449. **श्री राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के डाक तथा तार कार्यालयों में सुधारों का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों का अनुमोदन कर दिया है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आदिलाबाद, खमाम, वारंगल और विशाखापत्तनम जिलों के 32 आदिवासी विकास केन्द्रों में दूरसंचार की सुविधाएं देने का सुझाव दिया है।

(ख) ऊपर बताए गए 32 विकास केन्द्रों में से 8 स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंजों और 9 स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था कर दी गई है। अन्य 9 स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी दे दी गई है और बाकी 6 स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के मामलों की जांच की जा रही है।

Appointment in CMPF Office, Jabalpur by bypassing Employment Exchange

1450. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state whether the selection for appointment in the Coal Mines' Provident Fund Office, Jabalpur was made without the Employment Exchange issuing the letters of interview to candidates?

Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): The requisite information is being collected from the Coal Mines Provident Fund authorities and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

हैजे का नया टीका लगाया जाना

1451. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा हैजे का नया टीका, जिसमें "अल्युमिनियम फोस्फेट" है 61,000 बच्चों सहित 200,000 लोगों को लगाया गया है ;

(ख) क्या इस टीके का परीक्षण किसी सरकारी प्रयोगशाला में किया गया था और संबन्धित अधिकारी द्वारा इसे आम लोगों को लगाए जाने से पूर्व इसका अनुमोदन कर दिया गया था ; यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या आम लोगों को लगाए जाने से पूर्व वयस्कों और बच्चों को लगाए जाने वाली मात्रा के बारे में भी परीक्षण कर लिया गया था और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या इस टीके के हानिकारक उपयोग के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों ने प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं, और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और हैजे के नए टीके की इस परियोजना पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने कितना खर्च किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, कसौली ने वैक्सीन तैयार कर उसकी जांच की थी और उसने ही वैक्सीन की क्षमता और विषैलेपन के परीक्षण किए थे। वैक्सीन के परिणामों से पता चला कि चेचक वैक्सीन सहोषध एल्यूमिनियम फोस्फेट विषैली नहीं है और इसलिए चेचक अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के परीक्षण करने से पहले ही केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने इसे प्रयोग के लिए पास कर दिया था।

(ग) जी हां। परीक्षण में चेचक वैक्सीन की सामान्य माला का उपभोग किया गया था।

(घ) परीक्षण की योजना तथा बाद में की गई उसके परिणामों की व्याख्या के बारे में कुछ विरोधी आलोचना हुई। तथापि, अगस्त, 1977 में चेचक अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता की बैठक में इस आलोचना पर पुनर्विचार किया गया। समिति ने अपनी पहली सिफारिशों को दुहराया कि स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में चेचक से बचाव के लिए पारम्परिक वैक्सीन के स्थान पर एल्यूमिनियम फोस्फेट सहौषध वैक्सीन का उपयोग किया जाए। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने परीक्षण किए थे जिनमें 62,209 रुपये के मूल्य के वैक्सीन का प्रयोग हुआ।

लौह अयस्क खनन तथा उसका सरकारी क्षेत्र में निर्यात

1452. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क का लगभग 60 प्रतिशत खनन कार्य तथा उसका निर्यात व्यापार गैर-सरकारी खान मालिकों के हाथ में है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या समूचे लौह अयस्क खान उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1976 के दौरान सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन/निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

(मिलियन टन)

	उत्पादन (1976)	निर्यात (1976-77)
अखिल भारतीय	43.9	23.20
सरकारी क्षेत्र	20.4	11.80
गैर-सरकारी क्षेत्र	23.5	11.40

(ग) जी, नहीं।

लैन्स बनाने के लिये खिड़कियों के शीशों का उपयोग

1453. **श्री अनन्त दवे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक "ब्लिट्ज" दिनांक 16 जुलाई, 1977 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में लेंस बनाने के सामान की गंभीर कमी को पूरा करने के लिये बेईमान चश्माकार चश्मों के बढ़िया शीशे के स्थान पर खिड़कियों के साधारण शीशों का बढ़ा-चढ़ा उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी हां।

(ख) सहायक नेत्र-कार्मिकों के व्यवसाय और प्रैक्टिस को तथा चश्मे और एनकें देने के कार्य को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का विचार है। राज्य सरकारों से इस बारे में परामर्श लिया जा रहा है।

Employment Guarantee Scheme

1454. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce an employment guarantee scheme in view of the growing unemployment in the country; and

(b) if so, the time by which it would be implemented in Bihar and other parts of the country and the efforts being made for the purpose?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) & (b) No such proposal is under Government's consideration at present. However, Government propose to make all possible efforts to solve the problem of unemployment in the country in the next ten years. The next five year plan which is currently being formulated is expected to have a high employment content. Concrete policies and programmes are proposed to be formulated as part of the Plan.

Direct Telephone Line between Vanthali and Rajkot and Veraval

†1455. **Shri Dharma sinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the action taken by Government so far to provide direct telephone lines between Vanthali (Sorah), which is a taluka headquarter in Junagarh District and Rajkot and Veraval;

(b) when this work is likely to commence and when will it be completed; and

(c) whether a survey has been conducted in this regard and if not, when it will be conducted?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) The existing traffic does not justify a direct circuit between Vanthali and Rajkot; and Vanthali and Veraval.

(b) & (c) Do not arise.

New Post Office Building in Gorakhpur

†1456. **Shri Harikesh Bahadur:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government are taking any steps to construct a new building for main Post Office, Gorakhpur; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त को प्राप्त धमकी भरे पत्र

1457. क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय में दो पत्र, एक प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को संबोधित और दूसरा उच्चायुक्त श्री एन०जी० गोरे को संबोधित, प्राप्त हुए थे जिनमें यह कहा गया था कि आपातस्थिति के दौरान जो कुछ श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, यदि उसे रद्द नहीं किया गया तो उसके गंभीर परिणाम निकलेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां। इस पत्र के संगत अंश की ठीक-ठीक शब्दावली इस प्रकार है : "सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में आपने श्रीमती गांधी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में उनके अनुचरों की विगत कार्रवाइयों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है"। धमकी-भरे इस पत्र में श्री पी०आर० सरकार की रिहाई की मांग की गई है जो कि हत्या के आरोप में दोषी सिद्ध किये जाने के बाद जेल में सजा काट रहे हैं। सरकार हिंसा की धमकियों के आगे झुक नहीं सकती।

(ख) हमारे कार्मिकों और हमारी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व सम्बद्ध सरकार पर है। विभिन्न सरकारों की प्रतिक्रिया बहुत संतोषजनक रही है। चुने हुए मिशनों में भारत-आस्थानी सुरक्षा-गार्डों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त हमने अपने सभी मिशनों को यह सलाह भी दी है कि वे :—

(i) उन सुरक्षा संबन्धी उपायों पर अमल करें और उन्हें सख्त कर दें जिनके लिए अनुदेश मिशनों में पहले ही उपलब्ध हैं ; और (ii) विदेश कार्यालयों के माध्यम से स्थानीय सुरक्षा अभिकरणों के साथ निकट संपर्क रखें।

Royalty of Mines

1458. **Shri Brij Bhushan Tiwari:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have made a demand for reviewing the rates of royalty of mines; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) and (b) The Government of Bihar have made a proposal for enhancement of rates of royalty on coal, copper ore, iron ore and sand for stowing. Under the provisions of section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, enhancement in the rates of royalty in respect

of minerals can be effected only once in 4 years. Rates of royalty of coal have been revised with effect from 1-8-1975 and cannot be enhanced further before 1-8-1979. In respect of iron ore, copper ore and sand for stowing the review of rates is due and the question of revisions of rates is under examination.

हिन्द महासागर के बारे में अमरीका और सोवियत संघ के बीच वार्ता

1459. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्द महासागर के बारे में सोवियत संघ और अमरीका के बीच वार्ता हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हां।

(ख) हिन्द महासागर में शस्त्र परिसीमन के विषय में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की इस बातचीत का हमने स्वागत किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय में उन दोनों के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप हिन्द महासागर में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति क्षेत्र विषयक प्रस्तावों के अनुरूप, उनकी नौसनिक उपस्थिति उत्तरोत्तर कम होगी और अन्ततः समाप्त हो जाएगी। हमें इस बात की भी बराबर उम्मीद बनी है कि ये दोनों तथा अन्य बड़ी शक्तियां और नौवहन की दृष्टि से इसका उपयोग करने वाले प्रमुख देश संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, दोनों ने ही बातचीत की प्रगति के विषय में सरकार को सामान्य रूप से सूचित रखा है। इस समय यह सूचना देना सरकार के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को सप्लाई की जाने वाली होम्यौपैथिक औषधियों की जांच

1460. **श्री डी०जी० गवई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में उपयोग के लिए सप्लायरों द्वारा उसे सप्लाई की जाने वाली होम्योपैथिक औषधियों की किस्म पर कोई नियंत्रण रखती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं कि सप्लायरों ने घटिया अथवा निष्प्रभावी औषधियों की सप्लाई नहीं की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) होम्योपैथी की औषधियों में मदर टिंक्चर और डाइल्यूशन टाइटुरेशन होता है। केवल मदर टिंक्चर और ट्राइटुरेशन की क्वालिटी की कुछ पोटेंसी तक ही होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद में, आवश्यकता पड़ने पर, जांच की जा सकती है। डाइल्यूशन के परीक्षण की कोई विधि अभी तक नहीं

निकाली गई है । जो डाइल्यूशन्स और ट्राइटुरेशन्स वितरकों से प्राप्त किए जाते हैं और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को सप्लाई किए जाते हैं उनकी क्वालिटी का क्लिनिकी परीक्षणों से पता लगाया जाता है ।

बड़ौदा में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाओं की व्यवस्था

1461. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से बड़ौदा को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली से बड़ौदा के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा मार्च, 1979 तक दे देने की योजना बनाई गई है ।

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में कौबाल्ट थैरापी यूनिट की स्थापना

1462. **श्री आर० डी० गट्टानी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में कोबाल्ट थेरापी यूनिट की स्थापना करने के कार्य में विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में कोबाल्ट थेरापी यूनिट स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता का भुगतान इसलिए नहीं किया जा सका कि राज्य सरकार को अभी तक इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भवन और आवश्यक स्टाफ का इन्तजाम करना शेष है।

(ख) केन्द्रीय सहायता के भुगतान के प्रश्न पर केवल राज्य सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

पलायमकोट्टी में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाओं की व्यवस्था

1463. **श्री के० डी० कोसलराम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पलायमकोट्टी में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने के केन्द्र के लिए भवन का निर्माण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध न करने के क्या कारण है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पलायमकोट्टी में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग एक्सचेंज के लिए किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया गया है । तिरुनेलवेलि नगर में आटोमेटिक एक्सचेंज की इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ख) तिरुनेलवेलि में आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित हो जाने के बाद उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा चालू की जा सकती है ।

मंडी, थाना, ब्लाक, जिला और पंचायत स्तर पर टेलीफोन सुविधा

1464. **श्री छबिराम अगले** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 हजार की आबादी वाली मंडियों, थाना, ब्लाक जिला और पंचायत स्तर पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है अथवा बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस समय तक ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) 5000 या इससे अधिक (पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामले में 2500 या इससे अधिक) आबादी वाले सभी स्थानों, खंड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में घाटा उठाकर भी टेलीफोन सुविधाएं देने का एक कार्यक्रम है। दारोगा या उससे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारियो के चार्ज में आने वाले थाना स्टेशनों के मामले में यह सुविधा दे दी जाएगी, बशर्ते कि उनसे होने वाली आय सेवाओं के रख-रखाव पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत हो। पिछड़े इलाकों के मामले में यह प्रतिशत कम करके 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के मामले में 10 प्रतिशत कर दिया गया है । पंचायत समितियों को भी यह सुविधा देने के बारे में विचार किया जा रहा है। अगले दो वर्षों में अधिकांश जिला मुख्यालयों, तालुक मुख्यालयों, उपतहसील मुख्यालयों, खंड मुख्यालयों और 5000 से अधिक आबादी वाले स्थानों में टेलीफोन सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। थाना-स्टेशनों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

उत्तर प्रदेश स्थित स्कूटर कारखाने में हड़ताल

1465. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में स्कूटर कारखाने के कामगार अवैध हड़तालें, घेराव और प्रदर्शन कर रहे हैं तथा कारखाने के परिसर में और कार्य के घन्टों के दौरान बैठकें आयोजित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों से कितने श्रम घन्टों की हानि हुई है तथा इससे उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) ऐसी गतिविधियो को समाप्त करने तथा कारखानों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार है, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इस कारखाने के श्रमिकों ने 12 अक्तूबर, 1977 से बारी बारी हड़ताल करनी शुरू कर दी तथा प्रदर्शन और घेराव करने भी प्रारम्भ कर दिये । प्रबन्धकों के कथनानुसार श्रमिकों ने 24 अक्तूबर, 1977 से गैर-कानूनी हड़ताल शुरू कर दी । 30 अक्तूबर, 1977 को रात की 10 बजे से प्रबन्धकों ने तालाबन्दी घोषित कर दी । यह तालाबन्दी 5 नवम्बर, 1977 से समाप्त की जा चुकी है और तब से इस कारखाने में काम चल रहा है ।

हड़ताल/तालाबन्दी के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या तथा उत्पादन की हानि के बारे में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के 32वें वार्षिक अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधियों की अर्हताएं

1466. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें वार्षिक अधिवेशन के लिये भारतीय प्रतिनिधियों के नाम, अर्हतायें और अनुभव क्या हैं; और

(ख) अब तक इस शिष्टमण्डल के एक अथवा इससे अधिक सदस्यों ने किन-किन विषयों और सत्रों में भाग लिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें वार्षिक अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के गठन का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) शिष्टमण्डल के सदस्यों द्वारा समितियों तथा पूर्णाधिवेशनों में अब तक विचार किये गये विषयों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

नाम	पृष्ठभूमि	अब तक विचारित मसले
श्री समरेन्द्र कुण्डू .	विदेश राज्य मंत्री	प्रथम समिति में निरस्त्रीकरण पर मुख्य वक्तव्य तथा पूर्णाधिवेशन में मेयोते पर वक्तव्य ।
श्री एच० वी० कामथ .	संसद सदस्य	चौथी समिति के मसले (उपनिवेशवाद को समाप्त करने से सम्बद्ध मामले) तथा पूर्णाधिवेशन में नामीविया ।
श्री राम धन . .	संसद सदस्य	निरस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य राजनीतिक मामलों से सम्बद्ध मसले प्रथम समिति में (राजनीतिक मामले) ।
श्री के० ए० मिर्जा .	संसद सदस्य	विशेष राजनीतिक समिति में मसले, जैसे— अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन की सुरक्षा ।
श्री एस० कुलकर्णी .	संसद सदस्य	तृतीय समिति के मसले (सामाजिक, मानवी तथा मानव-अधिकार के मसले) और पूर्णाधिवेशन में अधिकृत अरब प्रदेशों में इजराइली बस्तियों का प्रश्न ।
श्री ए० सी० जार्ज .	संसद सदस्य	प्रशासनिक तथा बजट सम्बन्धी मामलों पर पांचवीं समिति में मसले ।
श्री एन० ए० पालखीवाला	संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत	पूर्णाधिवेशन में जातीय पृथग्वासन का प्रश्न ।
श्री इन्दरजीत . .	पत्रकार संपादक, आई० एन० एफ० ए०	छठी समिति के मसले (कानूनी मामले) तथा पूर्णाधिवेशन में साइप्रस समस्या ।
प्रो० जे० डी० सेठी .	ऐसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स	आर्थिक मामलों पर द्वितीय समिति में मसले ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का गठन

प्रतिनिधि

1. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री, प्रतिनिधि मण्डल के नेता*
2. श्री एच० वी० कामथ, संसद सदस्य
3. राम धन, संसद सदस्य
4. श्री एन० ए० पालखीवाला,
   संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत
5. श्री आर० जयपाल,
   संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि

वैकल्पिक प्रतिनिधि

1. श्री ए० सी० जार्ज, संसद सदस्य
2. श्री कजीम अली मिर्जा, संसद सदस्य
3. श्रीमती एस० कुलकर्णी, संसद सदस्य
4. प्रो० जे० डी० सेठी
5. श्री इन्दरजीत

विशेष सलाहकार

1. श्री अरुण सोरी

वरिष्ठ सलाहकार

1. श्री एन० पी० जैन	संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र) विदेश मंत्रालय।
2. डा० एस० पी० जगोटा	संयुक्त सचिव (विधि एवं सन्धि) विदेश मंत्रालय।
3. श्री सी० आर० गारेखां	संयुक्त राष्ट्र जनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि।
4. श्री के० श्रीनिवासन	भारत के प्रधान कौंसल, न्यूयार्क।
5. श्री सलमान हैदर	संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि

सलाहकार

1. श्री आर० एन० मुलये, परामर्शदाता, पी०एम०ओ०, न्यूयार्क।
2. श्री गौरी शंकर, परामर्शदाता, पी०एम०आई०, न्यूयार्क।
3. श्री ए० मुबई, विदेश मंत्री के विशेष सहायक।
4. श्री सुशील दुबे, प्रथम सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क।
5. श्री जी० एस० अय्यर, प्रथम सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क।
6. श्री शशांक, प्रथम सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क।

*श्री समरेन्द्र कुण्डू, राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, 30 अक्तूबर से 8 नवम्बर, 1977 तक संयुक्त राष्ट्र में अपनी यात्रा के दौरान इस प्रतिनिधि मण्डल के नेता रहे।

7. श्री पी० जे० राव, प्रथम सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

8. श्री जी० एस० राजू, प्रथम सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

9. श्रीमती नीना सिब्बल, द्वितीय सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

10. श्री के० एच० पटेल, अनुसंधान अधिकारी, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

11. श्री कर्ण चड्ढ़ा, अताशे तथा निजी सचिव, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

12. श्री एम० एल० जायसवाल, अताशे, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

13. श्री डी० सी० सरकार, अताशे, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

14. श्री के० एन० श्रीवास्तव, अताशे, पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

15. श्री बी० एल० शर्मा, अताशे पी०एम०आई०, न्यूयार्क ।

बिहार में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण मंडल

1467. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण' संस्था के अनेक 'क्वान्टर्नरी' भू-विज्ञान मण्डल खोलने की कोई परियोजना भूतकाल में थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले पटना में स्थापित किये गए एकक को 1 अक्तूबर, 1977 से कलकत्ता स्थानान्तरित किया जा रहा है जबकि राज्य के आधे से अधिक भाग का अभी भी मानचित्रण होना है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) यदि यह कदम प्रभावी तकनीकी नियंत्रण रखने के लिये है, तो रांची अथवा पटना में कार्य करने के लिये क्यों एक पूर्ण निदेशालय की स्थापना नहीं की जाती ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (ग) जी नहीं ।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण के क्वान्टर्नरी भू-विज्ञान मण्डल केवल क्षेत्रीय मुख्यालयों में है लेकिन क्वान्टर्नरी भू-विज्ञान मण्डल, पूर्वी क्षेत्र, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, के कुछ अधिकारी पटना में तैनात हैं और वहीं से ही इलाके का सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं । पटना में कार्य कर रहे कुछ अधिकारियों को समय-समय पर कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से बदला जाता रहा है ।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठता ।

कैन्सर विशेषज्ञ का स्थानान्तरण तथा नियुक्ति

1468. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्सर विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक प्रोफेसर एस० एन० मुखर्जी को, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैलोशिप की अवधि पूरी कर ली है, को फाइलों का काम करने के लिए मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे सक्षम विशेषज्ञ को इस पद पर स्थानान्तरित किए जाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में 1800—2250 रुपये के वेतनमान में प्रसूति और स्त्री रोग के प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ ग्रेड-I के एक अधिकारी डा० एस० एन० मुखर्जी का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 2250—2500 रुपये के वेतनमान में उपायुक्त परिवार कल्याण के पद पर, जो सुपरटाइम ग्रेड-1 का पद है, नियमित पदोन्नति पर स्थानान्तरण किया गया था ।

भारत में बी०बी०जी० वैक्सीन की सप्लाई के लिए अन्य देशों से अनुरोध

1469. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने बी०सी०जी० वैक्सीन सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फालतू बी०सी०जी० वैक्सीन का अन्य देशों को निर्यात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या बी०सी०जी० वैक्सीन लेबोरेटरी गुण्डी मद्रास की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी देश ने अनुरोध नहीं किया ।

(ख) इसकी सम्भावना का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

महक में स्थायित्व और पायसी कारकों के बारे में नियमों को अंतिम रूप देना

1470. **श्री निहार लास्कर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महक के स्टेबलाईजिंग और इमल्सीफाइंग एजेन्ट्स (स्थायित्व और पायसी कारकों) के उपयोग के बारे में नियम 61-क और 61-ख प्रारूप को अन्तिम रूप देने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) नियमों के प्रारूप को जांच पड़ताल के लिये विधि मंत्रालय के पास कब भेजा गया था; और

(ग) इनके कब तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने तथा सभा पटल पर रखने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) मसौदा नियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सूझावों पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति और विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया था। अन्तिम अधिसूचना का मसौदा विधि मंत्रालय को

19 अक्तूबर, 1977 को भेजा गया था। इस मंत्रालय द्वारा संवीक्षित किया हुआ अधिसूचना का यह मसौदा इस मंत्रालय में 15 नवम्बर, 1977 को मिला था और उसे राजभाषा आयोग को 17 नवम्बर, 1977 को हिन्दी रूपान्तर के लिए भेज दिया गया था। राजभाषा आयोग से हिन्दी रूपान्तर मिलते ही अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। मुद्रणालय से मुद्रित प्रतियां मिलने के बाद इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के डाकखानों में बचत बैंक सुविधा आरम्भ किया जाना

1471. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सभी डाकखानों में डाकघर बचत बैंक सुविधा आरम्भ किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुख्य) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के सभी डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

भारतीय डाक्टरों को चीन द्वारा सूचीवेध चिकित्सा में प्रशिक्षण

1472. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने दो भारतीय डाक्टरों को सूचीवेध चिकित्सा प्रशिक्षण देने की पेशकश की है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त आमन्त्रण स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उन डाक्टरों के नाम क्या हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोजेक्ट और चीन ने भारत से एक प्रत्याशी के लिए चीन में सूचीवेध चिकित्सा में तीन महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पेशकश की थी। इस पेशकश को स्वीकार कर लिया गया तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ की निश्चेतक डा० प्रोमिला चारी को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश में प्राप्त पारपत्र आवेदन पत्रों की संख्या

1473. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **विदेश** मंत्री मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी का कार्यालय खोले जाने के बारे में 4 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से 1 जनवरी, 1977 से अब तक कितने पारपत्र आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं,

(ख) उनमें से कितने आवेदकों को कितने पारपत्र जारी किए गए हैं; और

(ग) अक्तूबर, 1977 के अन्त तक कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया तथा कितने अनिर्णित पड़े हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क), (ख) और (ग) मध्य प्रदेश से 1 जनवरी, 1977 से 15 नवम्बर, 1977 के बीच पासपोर्ट के लिए 9,436 आवेदन प्राप्त हुए थे। 4967, को पासपोर्ट जारी कर दिए गये थे। कोई भी पासपोर्ट आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया। 1 नवम्बर, 1977 को मध्य प्रदेश से पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों में विचारार्थ आवेदनों की संख्या 4,727 थी जबकि 15 नवम्बर, 1977 को इन विचारार्थ आवेदनों की संख्या, 4,469 थी।

स्मारक डाक टिकट जारी करना

1474. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, को मई, जून, जुलाई, 77 के महीने में "घाइसास गुरुजी वेदपाठशाला; पुणे" (महाराष्ट्र) से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें वेदाचार्य गोविन्द भट्ट भीकमभट्ट पारक गुरुजी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जन्म दिन की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भविष्य निधि की बकाया राशि

1475. **श्री वयालार रवि** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि की कुल बकाया राशि कितनी है जो इस समय नियोजकों से वसूल की जानी है;

(ख) क्या भविष्य निधि आयुक्तों के सम्मेलन में इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार का अग्रेतर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) 30-6-1977 को 1930.11 लाख रुपए।

(ख) जी हां।

(ग) भविष्य निधि आयुक्तों ने अगस्त, 1977 में हुए अपने सम्मेलन में बकाया राशियों की शीघ्र वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में निम्नलिखित परिवर्तनों का सुझाव दिया :—

(1) आयुक्तों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन एक स्वतंत्र वसूली मशीनरी की व्यवस्था करने के लिए आयकर, 1961 की धारा 223 आदि के आधार पर अधिनियम में संशोधन किया जाए।

(2) आर्थिक अपराध (सीमा की अप्रयोज्यता) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में अधिनियम सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अधीन

मकदमें आपराधिक कानून के उपबन्धों की सीमा के अंतर्गत न आ यावें इसके विकल्प के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम का ही समुचित संशोधन किया जा सकता है।

(3) आयुक्तों ने मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन अपराध संबंधी मुकदमे चलाने के लिए सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों पर विशेष न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश भी की है। इन पर केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड द्वारा 5 दिसम्बर 1977 को होने वाली अपनी बैठक में विचार करने का प्रस्ताव है।

देश में बाक्साइट के निक्षेप की खोज

1476. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाक्साइट के निक्षेपों की खोज करने के लिए कोई व्यापक योजना आरम्भ करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना में केरल के त्रिवेन्द्रम और कन्नानोर जिलों में बाक्साइट के विदित निक्षेपों के वाणिज्यिक उपयोग को भी शामिल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

राज्य मंत्री, इस्पात और खान मंत्रालय (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) देश में बाक्साइट की खोज समय-समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत की जा रही है। भारतीय भू-सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम ने उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में पूर्वी घाट के बाक्साइट भंडारों की खोज के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया है जिसके फलस्वरूप इस इलाके में लगभग 1600 मिलियन टन बाक्साइट भंडार होने का अनुमान है। आगे का खोज कार्य चल रहा है। इसके अलावा, 1977-78 के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण का बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में बाक्साइट के लिए खोज करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी नहीं। ये भंडार फिलहाल वाणिज्यिक आधार पर खुदाई के उपयुक्त नहीं समझे गए हैं।

केरल में खनिजों के लिये खोज

1477. **श्री बी० एम० सुधीरन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में खनिज संसाधनों संबंधी खोज-कार्य को तेज करने का है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर पहले ही क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, इस्पात और खान मंत्रालय (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भू-सर्वेक्षण का 1977-78 के क्षेत्रगत के दौरान केरल के विभिन्न भागों में भू-वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने के अलावा, खनिज मिट्टी, ग्रेफाइट, कांच-रेत, कीमती धातुओं, चूना पत्थर और लोह अयस्क के लिए खोज कार्य करने का भी प्रस्ताव है। एर्नाकुलम जिले के वडाकेडे क्षेत्र में ग्रेफाटइ के लिए ड्रिलिंग द्वारा खोज का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार संगठनों द्वारा कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी की अदायगी

1478. **श्री चित्त बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न कृषि कार्यों के लिए कृषि श्रमिकों को काम देने वाले केन्द्रीय सरकार संगठनों ने विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित न्यूनतम वेतन अधिनियम के उपबन्धों को अभी भी कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कठोरता से पालन के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जिन प्रतिष्ठानों के लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है उनमें कार्य करने वाले कृषि श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम की कियान्विति न किये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

गोआ में कृषि दासता प्रथा की विद्यमानता

1479. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री जी० एम० बनतवाल :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'गोआ में प्रकाशित सभी पुरातन प्रणालियों के साथ कृषि दासता प्रथा की विद्यमानता' के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रकार की प्रथा देश के किन्हीं अन्य भागों में भी विद्यमान हैं और यदि हां, तो देश से उक्त प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) जी हां, गोवा, दमन तथा दीव प्रशासन का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक केवल आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उतर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने ही अपने यहां बंधित श्रमिकों के विद्यमान होने की सूचना दी है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बंधित श्रम प्रणाली के उन्मूलन की व्यवस्था की गई है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शारीरिक शोषण को रोका जा सके। इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन/कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों को केन्द्र तथा राज्यों की चालू योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत पुनः बसायें।

पासपोर्ट के फार्मों का सत्यापन

1480. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**
श्री पी० के० कोडियन .

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने हेतु फार्म सत्यापित करने के लिए कुछ वर्गों के सरकारी अधिकारियों और संसद् संदस्यों के अधिकार वापस लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लाभान्वित होने वालों के लिए असमर्थता योजना

1481. **श्री वसन्त साठे :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभान्वित होने वालों के लिए असमर्थता योजना आरम्भ करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है / करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामकृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है—

(क) जी हां।

(ख) इस संबंध में सुझाव यह है कि अशक्तता लाभ के बारे में कोई ऐसा उपबन्ध बनाया जाये जो रोजगार के दौरान लगी चोट से भिन्न कारणो से होने वाली अशक्तता के मामलों पर लागू हो। (रोजगार के दौरान लगी चोट के मामले में पहले ही अधिनियम की परिधि में आते हैं)।

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक होगा। यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ भेजा जा रहा है।

शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में बदलना

1482. **श्री बापु साहिब परुलेकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रत्नगिरि जिले में शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में बदलने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे पोस्टल एजेन्सी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : जी नहीं। रत्नगिरि जिले में 686 शाखा डाकघर हैं और सभी डाकघर बचत बैंक की सुविधाएं देते हैं।

Assistance to Persons affected by Forced Sterilization

1483. **Shri Vinayak Prasad Yadav :**
Shri Bhagat Ram :
Shri Ram Lal Rahi :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of persons, among those adversely affected by forced sterilization, given financial assistance by the Health Department in each State so far and the amount of assistance given to each of such persons;

(b) the number of persons died in each State due to forced sterilization and the total amount of assistance given to their families in each State ; and

(c) the number of persons who have undergone sterilization operation voluntarily since the formation of the present Janata Government to date ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) (a) It is not the policy of the Government to give any cash compensation to a person who claims to have been subjected to sterilisation forcibly. The Government, however, have a scheme for providing recanalisation facility to those who seek it and free treatment of post-operative complications. There is also a provision for ex-gratia payment to the dependents of those who die as a result of post-sterilisation complications.

(b) The information is being collected from the States and will be laid on the Table of the House.

(c) A total number of 346,255 (62694 male and 283,561 female) persons opted for sterilisation in the country during the period April, 1977 to September, 1977.

1977-78 के दौरान नये डाकघर खोलना

1484. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977-78 में सरकार का विचार नये डाक घर खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिमी बंगाल और विशेषकर 24-परगना जिला में खोले जाने वाले नये डाक घरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये डाकघर कब खोले जायेंगे ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में 137 डाकघर और 24-परगना में 34 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) 1-4-1977 से लेकर 30-9-77 तक पश्चिम बंगाल राज्य में 27 डाकघर और 24-परगना जिले में 2 डाकघर खोले गए हैं। आशा है कि पश्चिम बंगाल राज्य और 24-परगना जिले में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य में जो डाकघर रह जाएंगे वे 31-3-1978 तक खोल दिए जाएंगे।

विदेशों से आने वाले पत्रों के स्थान पर जाली पत्र रखना

1485. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ओर से आने वाले पत्रों को बीच में रोक लेता था और उनके स्थान पर जाली पत्र भेजता था जिनमें यह अनुरोध किया जाता था कि पत्र में उल्लिखित व्यक्ति को 5000 रुपयों से लेकर 10,000 रुपयों तक राशि दे दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक और तार विभाग के कर्मचारी इस गिरोह में शामिल थे; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पुलिस ने जो मामले पकड़े हैं उनमें 7 कर्मचारी ग्रस्त थे। ये कर्मचारी मुअतिल कर दिए गए हैं। पुलिस द्वारा तफतीश चल रही है।

अधिक मूल्य वाले स्मारक डाक टिकट जारी करना

1486. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल में उत्तरोत्तर अधिक मूल्य वाले विशेष स्मारक डाक टिकट जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975, 1976 और 1977 में जारी किये गये इन डाक टिकटों का पूरा ब्यौरा क्या है तथा 25 पैसे और इससे कम मूल्य वाले डाक टिकटों तथा एक रुपया और उससे अधिक मूल्य वाले डाक टिकटों का अनुपात क्या है;

(ग) अधिक मूल्य वाले अधिक डाक टिकट जारी करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान इन डाक टिकटों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख)

वर्ष	डाक-टिकटों की कुल संख्या	25 पैसे या 50 पैसे के टिकटों की संख्या	1 रु० या इससे अधिक मूल्य के डाक टिकट	3 और 4 के बीच की अनुपात
1	2	3	4	5
1975	43	35	8	9 : 2
1976	37	28	9	3 : 1
1977 नवम्बर, 77 तक	31	16	15	1 : 1

(ग) ऊंचे मूल्य के डाक टिकट सामान्य रूप से किसी डाक टिकट माला के अंग के रूप में जारी किए गए हैं, जिसमें चार या छह डाक-टिकट शामिल होते हैं, उदाहरणार्थ विषय प्रधान डाक टिकट, जैसे कि भारतीय पक्षी, भारतीय नृत्य, भारतीय फूल, रेल इंजन आदि, या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की स्मृति में जारी किए गए डाक टिकट जैसे कि "अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह" "फोनोग्राफ के सौ वर्ष" आदि। ऊंचे मूल्य के डाक टिकट इस तथ्य को ध्यान में रख कर जारी किए जाते हैं कि ऐसे डाक टिकट हवाई डाक के शुल्क के लिए और ऊंची दरों वाली अन्तर्देशीय डाक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकें।

(घ) विभाग द्वारा विदेशों में नियुक्त किए गए एजेन्टों के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनियों में और विदेशों से डाक के जरिये प्राप्त आर्डरों के आधार पर भारत के डाक टिकटों की बिक्री से वर्ष 1975 और 1976 में क्रमशः 4,26,00 रु० और 6,54,579 रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। प्रत्येक डाक टिकट की बिक्री के विदेशी मुद्रा में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

48 नागरिकों के पासपोर्टों का वापस लौटाया जाना

1487. **श्री आर०के० महालगी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के वकील ने 19 अक्तूबर, 1977 को बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का वक्तव्य दिया था कि उन 48 नागरिकों के पासपोर्टों को बिना शर्त वापस दे दिया जायेगा जिन्हें बम्बई के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों ने जब्त कर लिया था; और

(ख) 5 सितम्बर, 1977 को उक्त यात्रियों को हुई असुविधा के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) 5 सितम्बर, 1977 को उत्प्रवासी संरक्षक, बम्बई को यह पता लगा कि 48 उत्प्रवासी, उत्प्रवास औपचारिकताएं पूरी किये बिना, जो उन्हें उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के अधीन पूरी करनी चाहिएं थी, सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे थे। अतः उन्हें जाने नहीं दिया गया और उनके पासपोर्ट जब्त करके उत्प्रवास प्राधिकारियों ने अपने पास रख लिये।

बाद में, श्री चाको मघाई और दूसरे लोगों ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की और 19 अक्तूबर, 1977 को सरकारी वकील ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह बताया कि सरकार को इस अधिनियम के अधीन यह अधिकार है कि उत्प्रवास अधिनियम, 1922 का उल्लंघन करके देश छोड़कर विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले को वह रोक ले। उन्होंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि सरकारी कार्य-पद्धति के अनुसार, ऐसे अवैध उत्प्रवासियों के पासपोर्ट उत्प्रवास प्राधिकारी अपने पास रख लेते हैं और बाद में उन्हें इस चेतावनी के साथ लौटा दिये जाते हैं कि उत्प्रवास से पहले वे अधिनियम के अधीन आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी करें।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई द्वारा सभी पासपोर्ट सम्बद्ध व्यक्तियों को लौटा दिये गए हैं।

Waiting List of Patients in All India Institute of Medical Sciences

1488. **Shri R. L. P. Verma :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of beds in the Akhil Bharatiya Ayurvigyan Sansthan (All India Institute of Medical Sciences, New Delhi) and the average beds made use of daily from March to September, 1977 ; and

(b) whether any waiting list of patients is maintained for admission to general wards and if not, the reasons therefor?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadev) : (a) Total number of beds is 899 (inclusive of 29 project beds in the All India Institute of Medical Sciences and 120 beds in Dr. Rajendra Prasad Centre for Opthalmic Sciences).

Average occupancy rate during March, 1977 to September, 1977 was as follows:—

A.I.I.M.S.	**Dr. R. P. Centre**
Ranging from 91.4% to 96.9% per month.	102 per day

(b) The position regarding All-India Institute of Medical Sciences is as follows:—

No Central waiting list is maintained in the Hospital Central Admission Office for admissions to the General Wards. The patients are admitted through Central Admission Office on the recommendations of the treating units. However, there are certain disciplines (mostly surgical) where it is possible to advise dates for probable admission, such procedure is followed as far as possible and practicable. In other disciplines, maintaining a waiting list is impractical, because of the uncertainty of availability of a bed in a predictable fashion owing to heavy pressure of admission for acute cases and availability of limited number of beds.

The position regarding Dr. Rajendra Prasad Centre for Opthalmic Sciences is as follows:

There are 4 units at present working at Dr. Rajendra Prasad Centre for Opthalmic Sciences. Every Unit In-charge maintains the waiting list of the patients requiring admission and they are given approximate date for seeking admission.

However, the All-India Institute of Medical Sciences has been advised to main a waiting list and make admissions according to it, as far as possible.

क्रोमाइट अयस्क खनन के लिए पट्टा

1489. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मिश्री लाल जैन को उड़ीसा स्थित सरबी ग्राम में 1954 में क्रोमाइट अयस्क खनन का 20 वर्ष के लिए पट्टा दिया गया था तथा मई 1974 में पुनः अगले 20 वर्ष के लिए उसका नवीकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो खानों का क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) पट्टे के नवीकरण का निर्णय किस स्तर पर किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) सरुआबिल गांव के 640 एकड़ क्षेत्र में क्रोमाइट का खनन पट्टा 15-5-1954 से 20 साल के लिए श्री मिश्री लाल जैन को मंजूर किया गया था। ये पट्टा राज्य सरकार द्वारा 15-6-1972 से मैसर्स मिश्री लाल माइन्स (पी०) लि० के पक्ष में कर दिया गया। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर 15-5-1974 से उसका 20 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए मैसर्स मिश्री लाल (पी०) लिमिटेड के पक्ष में नवीकरण किया गया था, श्री मिश्री लाल जैन के पक्ष में नहीं। चूंकि क्रोमाइट खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल है अतः राज्य सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति ले ली थी।

नुआशाही, क्योंझर में खनन के लिए पट्टे

1490. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी को नुआशाही जिला क्योंझर (उड़ीसा) में दिसम्बर, 1954 और अगस्त, 1955 में दिए गए पट्टे क्रमशः नवम्बर, 1974 और अगस्त, 1975 में समाप्त हो गये थे लेकिन पट्टाधारी कम्पनी खानों में काम करती रही थीं;

(ख) क्या पट्टों का नवीकरण किया गया है; और

(ग) क्या खानों में अवैध रूप के काम करने के लिए कम्पनी को कोई दण्ड दिया गया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) क्योंझर जिले में लगभग 100-100 एकड़ से अधिक क्षेत्र (नुआशाही ओल्ड तथा नुआशाही न्यू) में मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी द्वारा क्रोमाइट के लिए धारित दो खनन पट्टों की अवधि क्रमशः 30-11-1974 तथा 8-8-1975 को समाप्त हो गई थी। प्रथम पट्टे (नुआशाही ओल्ड) की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार ने, नवीकरण होने तक 30-6-1976 को 'खनन की अनुमति' दे दी थी और कुछ शर्तों के साथ कम्पनी को 1-7-1976 से खान में खुदाई की इजाजत दे दी थी। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी पार्टी द्वारा दायर रिट याचिका पर स्टे-आर्डर दे दिया।

दूसरे पट्टे (नुआशाही न्यू) के लिए पुनरीक्षण आवेदन-पत्र को राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया है। लेकिन उड़ीसा उच्च न्यायालय में दायर एक अन्य रिट याचिका पर स्वीकृत 'स्टे' के फलस्वरूप नुआशाही न्यू एरिया पर कम्पनी का कब्जा बना हुआ है। फिर भी पार्टी को खान में खुदाई का काम करने की इजाजत नहीं दी गई है।

अब यह तय हुआ है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8(2) के अधीन पहले पट्टे (नुआशाही ओल्ड) के नवीकरण के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनी को नुआशाही (ओल्ड) खान में काम करने की अनुमति मिल गई है, राज्य सरकार ने ऐसे काम के लिए कम्पनी पर कोई दण्ड नहीं लगाया है। जहां तक नुआशाही (न्यू) खान पर 'कब्जा' का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्टे-आर्डर को देखते हुए इस बारे में सवाल ही नहीं उठता।

बाह्य संसाधनों से इस्पात संयंत्र स्थापित करना

1491. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 30 लाख टन की क्षमता वाला एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः बाह्य संसाधनों से किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) 30 लाख टन की क्षमता वाले ऐसे इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई है जिसके लिए धन की व्यवस्था पूरी तरह बाह्य स्रोतों से की जायेगी? लेकिन सरकार विशाखापत्तनम्, मंगलौर और पारादीप के बन्दरगाह वाले नगरों में इस्पात कारखाने लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। इस बारे में सोवियत संघ की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सोवियत सरकार द्वारा हाल में दिए गए ऋण के उपयोग से ऐसा एक कारखाना लगाने और इसके बदले में धमन भट्टी कम्पलैक्स में तैयार किए जाने वाला कच्चा लोहा बड़ी मात्रा में खरीदने की संभावना पर भी बात-चीत की गई है।

देश में लघु इस्पात संयंत्र

1492. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित लघु इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है और उन पर कुल कितनी लागत आई है ;

(ख) इन संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) इस समय उसका कितने अनुपात में उपयोग किया जाता है;

(घ) अब तक कितने संयंत्र बन्द पड़े हैं; और

(ङ) लघु इस्पात संयंत्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) देश में सितम्बर, 1977 तक प्लेन कारबन स्टील इन्गाट/बिलेट के उत्पादन के लिए कुल 120 लाइसेंसीकृत विद्युत चाप भट्टी इकाइयों (साधारण भाषा में जिन्हें लघु इस्पात कारखाने कहते हैं) की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका था जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(ख) अनुमान है कि इन कारखानों की स्थापित क्षमता लगभग 30 लाख टन तरल धातु तैयार करने की होगी।

(ग) सितम्बर, 1977 में चल रहे लघु इस्पात कारखानों में क्षमता का औसतन उपयोग लगभग 51 प्रतिशत था।

(घ) सितम्बर, 1977 में 33 कारखाने बन्द पड़े थे।

(ङ) इस समय लघु इस्पात कारखानों को मुख्य रूप से जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन में इन कारखानों के उत्पादों की मांग कम होना, बिजली और ग्रेफाइड इलैक्ट्रोड की अपेक्षित मात्रा में उपलब्धि न होना, मालिक-मजदूर संबंधी समस्याएं, अकुशल प्रबन्ध और वित्तीय कठिनाइयां हैं। लघु इस्पात कारखानों के प्राडक्ट-मिक्स को सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के प्राडक्ट-मिक्स से युक्ति-संगत बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लघु इस्पात उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिन में पिण्ड/बेलित उत्पादों के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करना, मैल्टिंग स्क्रैप पर आयात-शुल्क समाप्त करना, सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त किए जाने वाले हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करना आदि शामिल है। यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि वित्तीय संस्थान लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन में विविधता लाने के लिए उनकी योजनाओं को आर्थिक सक्षमता को देखते हुए उनके आवेदन पर सहानुभूति से विचार करे। इस के अतिरिक्त लघु इस्पात संयंत्रों को कुछ ग्रेडों का मिश्र इस्पात तैयार करने की भी अनुमति दे दी गई है। कुछ चुने हुए लघु इस्पात संयंत्रों को बेलन सुविधाओं की स्थापना करने की भी अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप लघु इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार होने की आशा है।

One Union in One Industry

1493. **Dr. Ramji Singh:**
Shri S. R. Damani:

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government agree to the principle of 'one union in one industry' from the point of view of a healthy labour movement;

(b) if so, whether talks have been held with various trade unions in this connection and if so their reaction ; and

(c) whether Government propose to enact any legislation in this regard and if so, when?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) to (c) The entire question is under examination in the light of the views contained in the Report of the Tripartite Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and Composition of the Indian Labour Conference.

Temporary Employees of P & T Department

†1494. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of temporary employees working at present in the Posts and Telegraphs Department in India, category-wise;

(b) the number of employees out of them who have been working there for over one two, three, four and five years separately;

(c) whether Government propose to confirm them and if so, the policy of Government in this regard; and

(d) the total number of such temporary employees in Bihar and when they will be made permanent ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a), (b) & (d) Relevant information is being collected and the same will be laid on the table of the House as soon as it is received.

(c) According to the existing instructions, the cases for confirmation of temporary officials in a particular cadre are considered by the Departmental Promotion Committee which meets periodically. The Departmental Promotion Committee makes an overall assessment of the Confidential Reports of the Officials and other conditions of eligibility prescribed for confirmation. For example, in some cadres such as Time Scale clerks/ Sorters etc. in operative offices, the officials have to pass a confirmation examination in departmental rules and regulations before they are considered for confirmation in clerical cadre. In some cadres officials are confirmed after they have successfully completed the period of probation. Confirmation is made in the order of seniority from among temporary officials only on availability of permanent vacancies.

भारत का भूवैज्ञानिक मानचित्र

1495. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को भारत के भूवैज्ञानिक मानचित्र में सम्मिलित करने की योजना बनाई है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों को भारत के भूवैज्ञानिक मानचित्र के वर्तमान संस्करण में 1 : 2 मिलियन और 1 : 5 मिलियन के पैमानों पर पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के कुल 8293 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में से लगभग 3618 वर्ग कि० मी० क्षेत्र 1960 से 1:31680 और 1:25000 के पैमानों पर भूवैज्ञानिक मानचित्र में शामिल है। मानचित्र का काम जारी रहेगा।

अण्डमान और निकोबार में टेलीफोन केन्द्र खोलना

1496. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या **संचार मंत्री** अण्डमान और निकोबार में टेलीफ़ोन केन्द्र खोलने के बारे में 14 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर स्वचालित टेलीफ़ोन केन्द्र में दो उपकरण रैकों को बदलने और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में नया मेक्स-III किस्म का केन्द्र खोलने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : पोर्ट-ब्लेयर आटोमेटिक टेलीफ़ोन एक्सचेंज के दो उपस्कर रैक अक्तूबर, 1977 में बदले गए हैं।

प्रस्तावित चार नए एम०ए०एक्स०-III टाइप एक्सचेंजों में से मायाबंदर और नानकौरी स्थानों पर टेलीफ़ोन एक्सचेंजों के इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है। आशा है कि कैम्पवेल-बे और डिगलीपुर नामक स्थानों पर बाकी के दो टेलीफ़ोन एक्सचेंज अगले वर्ष चालू हो जाएंगे।

अण्डमान और निकोबार के अस्पतालों और औषधालयों में डाक्टरों के रिक्त पद

1497. **श्री मनोरंजन भक्त** :क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के चिकित्सा विभाग और अस्पतालों/औषधालयों में जूनियर डाक्टरों और विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र के लिये सरकारी आरक्षित मेडिकल सीटों की सूची में कुल कितने डाक्टर हैं और उनमें से कितने डाक्टर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सात।

(ख) सर्जन का एक पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिश मिल गई है और आशा है कि चुने गए प्रत्याशी को शीघ्र ही इस पद का नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। जूनियर एनिस्थोटिस्ट के दो पदों और जूनियर पेथालोजिस्ट के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त की सिफ़ारिशें प्राप्त हो गई हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। जूनियर मेडिकल अफ़सरों के पदों के नियुक्ति-प्रस्ताव पहले ही जारी किए जा चुके हैं और आशा है कि वे शीघ्र ही अपना कार्य भार ग्रहण कर लेंगे।

(ख) दस। सभी डाक्टर इस समय अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आयोग की डिस्पेंसरियों को दवाओं की सप्लाई

1498. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों में दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिस्पेंसरियों में सप्लाई की जाने वाली अधिकांश दवायें घटिया तथा नीचे दर्जे की होती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या किसी डिस्पेंसरी को दवायें सप्लाई करते समय वहां आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखा जाता है और यदि नहीं, तो वे किस आधार पर सप्लाई की जाती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां इस बारे में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) औषधालयों में जो दवाइयां अस्थायी रूप से स्टाक में नहीं होती हैं; उनके स्थान पर रोगियों को चिकित्सा की दृष्टि से समान उपयोगी दूसरी दवाइयां दिलवाने का अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपो से नुस्खे में लिखी दवाइयां उपलब्ध करने का और इन डिपुओं से भी न मिलने पर स्थानीय खरीद के जरिये उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इन दवाइयों के उपर्युक्त जगहों से न मिलने पर, संबंधित रोगी वही दवाई बाजार से खरीदने का हकदार रहता है तथा उसे दवाई के मूल्य की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

(घ) जी, हां।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

1499. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नये सार्वजनिक टेलीफ़ोन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) किन-किन स्थानों से इसके लिये मांग की गई है और उनको मांगें पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उत्तर प्रदेश के जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोलने का प्रस्ताव है, उनके नाम संलग्न अनुबन्ध में दे दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी०/1175/77]

(ख) सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोलने के लिए जनता से जो भी मांगें आती हैं, उन सभी मांगों पर विचार किया जाता है और विभाग की उदार नीति के अनुसार घाटा उठा कर जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर की सुविधाएं देने का औचित्य सिद्ध होता है, उन सभी स्थानों पर ये सुविधाएं देने की मंज़ूरी दे दी जाती है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोलने का कार्यक्रम विभिन्न चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है।

कोल्हापुर में टेलीफोन सेवा में सुधार

1500. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1977 को मानव चालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज के स्वचालित एक्सचेंज में बदले जाने के बाद टेलीफ़ोन सेवा एक दम ठप्प हो गई है;

(ख) क्या इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों को अनेक शिकायतें मिली हैं जिन पर या तो एक सप्ताह तक कोई कार्यवाही नहीं की गई अथवा मरम्मत के बाद टेलीफोनों ने केवल कुछ घंटों तक ही काम किया था;

(ग) क्या कुछ प्रयोक्ताओं ने पहले से दिये गये टेलीफोन के बिलों की राशि वापस मांगी है और विभाग को कहा है कि भविष्य में नियमित बिल न भेजे जाएं;

(घ) क्या कोलहापुर की अनेक एसोसिएशनों ने 1 सितम्बर, 1977 को सरकार को अभ्यावेदन भेजा है जिसमें इस व्यवस्था के असफल रहने की उच्चस्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) मेनुअल एक्सचेंज को आटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने के बाद कोलहापुर में टेलीफोन सेवा पूरी तरह ठप्प नहीं हो गई थी। अलबत्ता, 29 और 30 मार्च, 1977 को भारी वर्षा होने से केबुल में खराबियां पैदा हो जाने के कारण टेलीफोन सेवा में व्यवधानों की संख्या बढ़ गई थी। इनमें से अधिकांश को दो दिन के भीतर ही ठीक कर दिया गया था और शेष खराबियां 3 से लेकर 7 दिन की अवधि में दूर कर दी गई थीं। कुछ मामलों में खराबियां दूर करने में विलम्ब हो गया था, इसका कारण यह था कि खराबियां विविध प्रकार की थीं और रुक-रुक कर वर्षा हो रही थी, जिससे खराबियां ठीक करने के काम में बाधा पड़ी।

(ग) महाराष्ट्र दूर संचार सर्किल के कुछ संघों से संयुक्त रूप में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें किराये की वापसी और आगे के बिल जारी न करने के संबंध में प्रार्थना की गई थी। चूंकि नियमों के अनुसार इस बात की अनुमति नहीं है कि जिस अवधि में टेलीफोन खराब रहें, उस अवधि का किराया वापस कर दिया जाए, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी। इसके अलावा टेलीफोन सेवाओं में अलग-अलग बाधाएं बहुत थोड़े समय तक रहीं।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के महाप्रबन्धक को संयुक्त रूप से भेजे गए अभ्यावेदनों में से एक अभ्यावेदन में यह प्रार्थना की गई थी कि टेलीफोन प्रणाली की खराबियों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच बैठाई जाये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी खराबियां तुरन्त दूर कर दी गई थीं और टेलीफोन प्रणाली सामान्य हो गई थी, आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। यह टेलीफ़ोन प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है और रोजाना की शिकायतें और खराबियां पूरी तरह नियंत्रण-सीमाओं के भीतर हैं।

स्टेनलेस स्टील का आयात

1501. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिश्र धातु इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने इस भय से स्टेनलेस स्टील के आयात अथवा इस पर से आयात शुल्क हटाने का विरोध किया है क्योंकि ऐसा करने से कम्पनी का घाटा बढ़ जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) और (ख) मिश्रित इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने बताया था कि बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के आयात को उदार बनाने तथा आयात शुल्क में कमी करने से कारखाने की लाभदायकता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। फिर भी निर्माताओं, पुर्नबेलकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर वर्तमान नीति बनाई गई है।

Satellite Link with Pakistan and Middle East Countries

1502 : **Shri S. S. Somani and D. B. Chandra Gowda :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have explored the possibilities of linking India and Pakistan through satellite;

(b) whether possibilities of linking India with Iraq, Saudi Arabia or with any other country through statellites (tele-communications) have also been explored; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes, Sir. Following the signing of the Indo-Pakistan Telecommunications Agreement at Islamabad on 1st October, 1977, necessary technical arrangements are being made to establish direct satellite links with effect from 1st December, 1977 for handling telegraph telephone and telex traffic between India and Pakistan.

(b) & (c): In view of her geographical position, India can see and is able to operate only with INTELSAT satellite positined over the Indian Ocean. There are 39 countries in the Indian Ocean satellite region having standard communicatin earth stations. As on 1-11-1977, India had direct satellite links with 19 of these countries. It is proposed to establish gradually direct satellite links with the remaining countries, including Iraq, Suaudi Arabia and Algeria, on installation of necessary equipment at satellite earth stations in India and the readiness of the countries concerned to establish such links.

Besides direct satellite links, India has through-put and switched circuits with a number of countries handling 99 of telephone traffic, 95% of telex and 75% of telegraph traffic *via* satellite.

"जिन्दगी और मौत के बीच झूलता आदमी"

1503. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अक्तूबर, 1977 के "नवभारत टाइम्स" में "जिन्दगी और मौत के बीच झूलता आदमी और सवाल अधिकार क्षेत्र का" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले की जांच करवाई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि अस्पताल और डाक्टर लोगों के जीवन के साथ न खेलें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) चिकित्सा विधि संबंधी मामलों को देखने के लिये सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के बीच क्षेत्रों/जोनों का पुलिस चौकी वार सीमांकन होने के कारण यह घटना घटी थी।

(ख) ऐसी घटनाएं फिर न हों इस के लिये अब आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों की संख्या

1504. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनको छुड़ाने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) और (ख) हमारी वर्तमान सूचना के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या 122 है। यह जानकारी आधिकारिक स्त्रोतों से प्राप्त सूचना तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर आधारित है। भारतीय नजरबन्दों की एक सूची भी पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकारों के परामर्श से इस सूची की जांच हो रही है। जांच का यह काम और इन नजरबन्दों के राष्ट्रीय दर्जे और अन्य विवरणों का सत्यापन हो जाने के बाद उन्हें भारत प्रत्यावर्तित करने का प्रबन्ध किया जायगा। सरकार सभी भारतीय नजरबन्दों को रिहा कराने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। 21-9-77 को पाकिस्तान द्वारा दस भारतीय नजरबन्दों को रिहा किया गया था जिन्हें भारत प्रत्यावर्तित कर लिया गया। 21-10-77 को अन्य 41 भारतीय नजरबन्दों को पाकिस्तान से भारत प्रत्यावर्तित किया गया।

केवल एक तरफ से डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था वाले नगर

1505. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल एक तरफ से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था वाले नगरों के नाम क्या हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ख) इन नगरों के बीच दोनों तरफ से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कब करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जिन शहरों के लिए उपभोक्ता ट्रक डायलिंग सुविधा केवल एक तरफ से उपलब्ध है उनके नाम नीचे दिए गए हैं:—

1. बेलगाम से बम्बई के लिए।
2. वाशी से बम्बई के लिए।
3. सिलीगुड़ी से कलकत्ता के लिए।
4. धनबाद से कलकत्ता के लिए।
5. पटना से आसनसोल के लिए।
6. छपरा से आसनसोल के लिए।
7. मुजफ्फरपुर से आसनसोल के लिए।
8. मुजफ्फरपुर से कानपुर के लिए।
9. लुधियाना से अम्बाला के लिए।
10. लुधियाना से शिमला के लिए।
11. लुधियाना से अमृतसर के लिए।
12. लुधियाना से जालधर के लिए।

13. लुधियाना से छेहरटा के लिए।

14. अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए।

15. अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए।

16. अम्बाला से जालंधर के लिए।

17. शिमला से जालंधर के लिए।

18. दिल्ली से जोधपुर के लिए।

जहां दोनों दिशाओं में यातायात के निपटारे के लिए ट्रांसमिशन और स्विचिंग उपस्कर की कमी है वहां एक मार्गी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा देने के प्रयास किए जाते हैं बशर्ते कि ऐसा करना सम्भव हो।

(ख) अतिरिक्त ट्रंक सर्किटों और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग उपस्कर की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि 1979 के अन्त तक इन मार्गों पर दोनों दिशाओं में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा दे दी जाएगी।

अमरीका में भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को वहां से निकालने सम्बन्धी नोटिस

1506. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों की बहुत सी रिपोर्टों और विशेष रूप से वाशिंगटन के संवाददाता एम० वी० कामथ की दिनांक 23 अगस्त, 1977 की इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि भारतीयों सहित 15 विदेशी छात्रों को, जिन्हें विश्व बैंक में प्रशिक्षणार्थी के रूप में नौकरी मिल गई थी, अमरीका की सरकार द्वारा अब विवासन संबंधी आदेश जारी किये गये हैं हालांकि उनका अध्ययन चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने श्री कामथ की 23 अगस्त, 1977 की रिपोर्ट देखी है।

(ख) हमारी जानकारी के अनुसार 15 विदेशी छात्रों, जिनमें कुछ भारतीय भी हैं, को विश्व बैंक में प्रशिक्षाणार्थी के रूप में अवकाशकालीन काम मिले। बताया जाता है कि यह कार्य छात्रों को संयुक्त राज्य अमरीका के लिये दिए गये वीसा की उन शर्तों के विपरीत था जिनमें इस बात की व्यवस्था है कि संयुक्त राज्य अमरीका के अप्रवास-प्राधिकारियों का अनुमति के बिना कोई छात्र कैम्पस से बाहर कोई कार्य नहीं स्वीकार कर सकता। इन छात्रों को अवैध कार्य के लिए नोटिस जारी की गई तथा उनसे संयुक्त राज्य अमरीका छोड़ने को कहा गया। अंततः संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों ने इस मामले में नरमी दिखाई और कोई भी छात्र वास्तव में उद्वासित नहीं किया गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि वे मीसा में दी गई सभी शर्तों का पालन करें।

दिल्ली और जबलपुर में टेलीफोन पूछ-ताछ केन्द्र से शीघ्र उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था

1507. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और जबलपुर और अन्य स्थानों पर भी सामान्यतया 197 और 198 नम्बर घुमाने पर दूसरी ओर से उत्तर प्राप्त करने के लिये टेलीफोन करने वाले को कम से कम 2/3 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या निकट भविष्य में ऐसे कोई प्रयास किये जाने का प्रस्ताव है जिससे उक्त नम्बर घुमाने वाले व्यक्ति को शीघ्र उत्तर मिल सके ; और

(ग) उक्त सुधार कब तक किया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। हाल के प्रेक्षण से पता चला है कि दिल्ली, जबलपुर और अन्य एक्सचेंजों में 197 और 198 सेवाओं पर की गई लगभग 80 प्रतिशत कालों का जवाब आमतौर पर 10 सेकंड के अन्दर दे दिया जाता है। सेवाओं पर अस्थायी संकुलन, आपरेटरों की भारी अनुपस्थिति आदि के कारण कुछ छुटपुट कालों में एक मिनट से भी अधिक समय लग सकता है।

(ख) और (ग) इस बात के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि सभी विशेष सेवाओं से तुरन्त जवाब मिले। इसके लिए अतिरिक्त पोजीशनों, सर्किटों और यातायात के अनुसार आपरेटरों की व्यवस्था की जाती है।

घेराव, हड़तालें तथा तालाबन्दियां

1508. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :**
श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :
श्री आर० के० महालगी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 तक कितने घेराव, हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुईं;

(ख) क्या इनकी संख्या गत तीन वर्षों की तुलना में कम है अथवा अधिक है; और

(ग) प्रबन्धक वर्ग तथा श्रमिकों के संबंधों को अच्छा बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) दो विवरण (1 और 2) सभा की मेज पर रख दिए गए हैं।

(ग) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केन्द्र तथा राज्यों में स्थापित औद्योगिक संबंध तंत्र की सहायता से देश में औद्योगिक वातावरण में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, सरकार समझौता कराने के उद्देश्य से विवादों में मध्यस्थता करती है।
घेरावों, हड़तालों, तालाबन्दियों संबंधी लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1508 दिनांक 24 नवम्बर 1977 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

भाग (क) और (ख) : वर्ष 1974, 1975, 1976(अ) और 1977(अ) के दौरान अप्रैल से सितम्बर तक के मासों में हुए उन घेरावों का ब्यौरा विवरण में दिया है जिसके कारण काम बन्दियां हुईं। अनुबन्ध 1 में अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि में हुए घेरावों के संबंध में विवरणियां प्राप्त न होने की स्थिति दर्शाई गई है। विवरण-2 में हड़तालों और तालाबन्दियों (चल रहीं) की संख्या के सम्बन्ध में मासवार इसी प्रकार का ब्यौरा दिया गया है। अनुबन्ध 2 में अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि के औद्योगिक विवादों के संबंध में विवरणियां न प्राप्त होने की स्थिति दर्शाई गई है।

विवरण 1

वर्ष 1974, 1975, 1976 (अ) और 1977(अ) के दौरान अप्रैल से सितम्बर तक के मासों में हुए उन घेरावों की संख्या जिनके कारण काम बन्दियां हुईं।

मास	वर्ष के दौरान घेरावों की संख्या (मासवार)			
	1974	1975	1976(अ)	1977(अ)
अप्रैल	--	4	—	3
मई	5	5	—	8
जून	—	5	—	7
जुलाई	—	1	—	3
अगस्त	—	3	1	1
सितम्बर	1	8	6	3
जोड़	6	26	7	25

(अ) -अनन्तिम

नोट :-- 1. ऐसे राज्यों के नाम, जिनसे अप्रैल, से सितम्बर, 1977 तक की अवधि की विवरणियां अभी प्राप्त होनी है, अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं।

2. अक्तूबर, 1977 मास की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

विवरण 2

वर्ष 1974, 1975, 1976 (अ) और 1977(अ) के दौरान अप्रैल से सितम्बर तक के मासों में हुई हड़तालों और तालाबन्दियों (समस्त मास या उसके किसी भाग के दौरान चल रही) की संख्या।

मास	(मास-वार) वर्ष में समस्त मास या उसके किसी भाग के दौरान चल रही हड़तालों की संख्या				वर्ष में समस्त मास या उसके किसी भाग के दौरान चल रही तालाबन्दियों की संख्या			
	1974	1975	1976 (अ)	1977 (अ)	1974	1975	1976 (अ)	1977 (अ)
अप्रैल	369	297	124	313	121	75	56	79
मई	313	270	137	374	114	95	65	102
जून	252	257	127	267	103	97	61	78
जुलाई	243	168	125	231	85	79	58	87
अगस्त	311	105	128	172	80	56	55	24
सितम्बर	318	108	135	74	80	47	65	8

(अ)—अनन्तिम

नोट :--1. ऐसे राज्यों के नाम, जिनसे अप्रैल से सितम्बर, 1977 तक की अवधि की विवरणियां अभी प्राप्त होनी है, अनुबन्ध 2 में दिए गए हैं।

2. अक्तूबर, 1977 मास की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

अनुबन्ध-1

घेरावों, हड़तालों और तालाबन्दियों संबंधी लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1508 तारीख 24-11-77 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए राज्य श्रम विभागों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) से 'घेरावों' के संबंध में प्राप्त न हुई विवरणियों की स्थिति।

(क) राज्य श्रम विभाग†	ऐसे मास (मासों) जिनके संबंध में विवरणियां प्राप्त नहीं हुई।
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश	सितम्बर, 1977
पंजाब पश्चिम बंगाल गोवा पांडिचेरी लक्षद्वीप	अगस्त और सितम्बर, 1977
असम गुजरात तमिलनाडु दिल्ली दादरा और नागर हवेली मिजोरम	जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1977
त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड	मई से सितम्बर, 1977
बिहार हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर केरल महाराष्ट्र मणिपुर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह चण्डीगढ़ सिक्किम	अप्रैल से सितम्बर, 1977
राजस्थान	जुलाई और सितम्बर, 1977

†11 नवम्बर, 1977 को स्थिति

(1)	(2)
(ख) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)*	
अजमेर	अप्रैल और सितम्बर, 1977
भुवनेश्वर	मई और जुलाई, 1977
बम्बई	अगस्त, 1977
धनबाद	अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितम्बर 1977
हैदराबाद	सितम्बर, 1977
जबलपुर	मई, जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1977
कानपुर	अप्रैल से सितम्बर, 1977
मद्रास	अगस्त और सितम्बर, 1977

*2 नवम्बर, 1977 को स्थिति

अनुबन्ध—2

घेरावों, हड़तालों और तालाबन्दियों संबंधी लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1508 तारीख 24-11-77 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिये राज्य श्रम विभागों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) से औद्योगिक विवादों के संबंध में प्राप्त न हुई विवरणियों की स्थिति।

(क) राज्य श्रम विभाग†	ऐसे मास (मासों), जिनके संबंध में विवरणियां प्राप्त नहीं हुई।
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान केरल उत्तर प्रदेश लक्षद्वीप पांडिचेरी . .	सितम्बर, 1977
महाराष्ट्र मनिपुर सिक्किम . . .	जून से सितम्बर, 1977 तक

(1)	(2)
असम	जुलाई से सितम्बर, 1977 तक
हरियाणा	
चण्डीगढ़	
दिल्ली	
मिजोरम	
गुजरात	अगस्त और सितम्बर, 1977
हिमाचल प्रदेश	
नागालैण्ड	
पंजाब	
तमिलनाडु	
त्रिपुरा	
पश्चिम बंगाल	
अरुणाचल प्रदेश	
जम्मू और कश्मीर . .	. जनवरी से सितम्बर, 1977
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	. मार्च, अगस्त और सितम्बर, 1977
(ख) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) *	
अजमेर	सितम्बर, 1977
कलकत्ता	
मद्रास	अगस्त और सितम्बर 1977

†11 नवम्बर, 1977 तक की स्थिति

*2 नवम्बर, 1977 तक की स्थिति

बीड़ी कर्मचारियों को बोनस

1509. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8.33 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस अदा करने के सरकार के निर्णय के अनुसार बीड़ी कारखाना मालिकों द्वारा कोई बोनस अदा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी राशि की अदायगी की जानी बाकी है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन बोनस का भुगतान करना सांविधिक दायित्व है। बीड़ी कारखानों/प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अधि-नियम के अधीन राज्य सरकारें 'समुचित सरकारें' है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

देश में संसदीय प्रणाली को लोकप्रिय बनाना

1510. **डा० बापू कालदाते : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संसदीय प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या इसमें रुचि रखने वाले नागरिकों के लिये विशेष व्याख्यान, गोष्ठियों अथवा अल्पावधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के कार्य में लगी संस्थाओं को कोई अनुदान उपलब्ध कराया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) से (घ) लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को मन में बैठाने, दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता और विद्यार्थी वर्ग को संसद के कार्यकरण के बारे में जानकारी कराने के उद्देश्य से, संसदीय कार्य विभाग, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष "युवा संसद्" प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को राज्यों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता योजना के आधार पर युवा संसद् प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की सलाह देती रही है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की एक योजना भी परिचालित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा प्रत्येक वार्षिक प्रतियोगिता के लिए किया गया व्यय 1000 रुपये की अधिकतम सीमा में रहते हुए, संसदीय कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरित किया जायेगा।

तथापि, इस विभाग ने किसी व्याख्यान, गोष्ठी अथवा अल्पावधि पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की है, और न ही इसने इस प्रकार के कार्य में लगी किसी संस्था को कोई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध कराया है।

विदेशों में देश के विकास का उचित प्रचार

1511. **डा० बापू कालदाते : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में उनके हाल के दौरों के दौरान (मई से अक्तूबर तक) उन्हें पता लगा है कि अप्रैल, 1977 से देश के विकास कार्यों के बारे में विदेशों में कोई उचित प्रचार नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशों में प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष अथवा अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत अपनी हाल की यात्रा के दौरान मुझे यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि विदेशी प्रचार माध्यमों ने भारत में हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तनों तथा देश के भीतर जनतांत्रिक शक्तियों के पुनरुत्थान को पूरी तरह सराहा है। अपनी सरकार की वास्तविक गुट-निरपेक्ष नीति पर तथा निकट पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को

सुधारने में हमें जो सफलता मिली है, उस पर भी विभिन्न देशों के प्रभावशाली वर्गों ने ध्यान दिया है और उसका स्वागत किया है ।

(ख) तथा (ग) सरकार प्रचार-प्रयत्नों को और प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी निरन्तर समीक्षा कर रही है। हमारे मिशनों से कहा गया है कि अपने साधनों के अन्तर्गत वे विदेश में भारत के सांस्कृतिक तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व को उभारने का हर संभव प्रयत्न करें।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हानि

1512. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लगातार होने वाली हानि के कारणों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक उत्पादन की आशा के बावजूद भी चालू वर्ष के अन्त में भी हानि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो यूनिट के कार्यकरण को सक्षम बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) हानि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. बिजली पर प्रतिबन्धों के कारण कम उत्पादन होना तथा क्षमता का उपयोग कम होना, कोयले की किस्म घटिया होना, मालिक-मजदूर संबंध अच्छे न होना, तथा तापीय झटकों (थरमल शाक) के कारण कोक ओवन बैटरियों में खराबी आना (परिणामस्वरूप कोक और गैस की उपलब्धि में कमी हुई और इनकी बजाय मंहगा ईंधन इस्तेमाल करना पड़ा) ।

2. कुछेक उत्पादों के मूल्य अलाभकर होना; तथा

3. कुछेक उत्पादों की विपणन में कठिनाइयां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) रेलवे को सप्लाई की जाने वाली कुछेक मदों जैसे पहियों और धुरों, स्लीपर तथा जोड़ पट्टी के मूल्य बढ़ाने के प्रश्न पर रेलवे बोर्ड और मुख्य लागत लेखा अधिकारी से परामर्श कर के विचार किया जा रहा है। इसके प्रोडक्ट-मिक्स में विविधता लाने की योजना भी विचाराधीन है।

रोडेशिया के बारे में आंग्ल-अमरीकी पैकेज योजना

1513. **श्री चित्त बसु:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोडेशिया संकट को हल करने के लिए आंग्ल-अमरीकी पैकेज योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) उस देश में बहुमत का शासन स्थापित करने की दिशा में सरकार का विचार क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) भारत सरकार समझती है कि जिम्बाववे (रोडेशिया) के सम्बन्ध में आंग्ल-अमेरिकी प्रस्ताव में अनेक ठोस तत्व हैं जैसे अवैध स्मिथ

सरकार द्वारा सत्ता का सौंपा जाना और वैधता की वापसी, 1978 के दौरान सुव्यवस्थित और शांति के साथ स्वतन्त्रता का दिया जाना और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर स्वच्छंद और निष्पक्ष चुनाव कराना आदि। भारत सरकार यह समझती है कि ये प्रस्ताव जिम्बाबवे (रोडेशिया) की स्वतन्त्रता प्रदान करने और वहां बहुमत का शासन स्थापित करने की दिशा में और आगे बातचीत का एक युक्ति-युक्त आधार प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार यह मानती है कि यदि संभव हो, तो जिम्बाबवे की समस्या को शांति के साथ और यदि अपरिहार्य हो तो सशस्त्र संघर्ष के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारत सरकार यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजी राज्य और स्वतन्त्रता आंदोलनों जैसे संबंधित पक्षों के साथ निकट संपर्क रखे हुए है और जिम्बाबवे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए यथासंभव राजनैतिक और राजनयिक सहायता तथा सहयोग देगी। भारत सरकार की यह इच्छा है कि वह अफ्रीकी एकता संगठन के सदस्यों और विशेषकर अंग्रेजी राज्यों और जिम्बाबवे के मुक्ति आंदोलनों के परामर्श से जिम्बाबवे में बहुमत के शासन की स्थापना करने के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयत्नों से उद्देश्यपूर्ण योगदान दें।

खानों में सुरक्षा व्यवस्था

1514. **श्री शंकर सिंह जी कघेला** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों में गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने तथा खनिकों के जीवन को बचाने के लिये सुरक्षा उपायों में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे कोई नियम बनाने का प्रस्ताव है कि खानों में दुर्घटनाओं के लिये किसी को उत्तरदायी माना जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खान सुरक्षा महानिदेशालय में कर्मचारियों की कार्य-कुशलता सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस संबंध में वर्तमान कानून में पहले से की गई व्यवस्था पर्याप्त है।

(घ) सरकार ने रिक्त स्थानों को भरने के लिए हाल ही में कार्यवाही की है और इस संगठन के काम में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्गठन की मंजूरी दी है।

खानों में सुरक्षा की स्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

1. कानून के अनुपालन की जांच करने, उल्लंघनों, यदि कोई हो, को बताने के लिए नेमी तथा विशेष निरीक्षण करना तथा जहां आवश्यक हो और आगे अनुवर्ती कार्यवाही करना।
2. निरीक्षणों के परिणामों के बारे में प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर आवधिक विचार-विमर्श करना।
3. दुर्घटनाओं में वृद्धि/दुर्घटनाओं की कोई असामान्य घटना की ओर प्रबन्ध का ध्यान दिलाना और दुर्घटनाओं की संख्या में ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए विशिष्ट कार्यवाही करने के कार्यक्रम के लिए कहना।

4. प्रवर्तन एजेंसी (डी०जी०एम०एस०) को सुदृढ़ बनाना। इसमें (1) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना और (2) डी जी एम एस की ओर योग्य तथा सक्षम व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए सेवा शर्तों में सुधार करना सम्मिलित है।

5. दुर्घटनोन्मुख खानों की शिनाख्त करने तथा असुरक्षित स्थितियों को दूर करने के लिए अध्ययन करने हेतु डी० जी० एम०एस० में "सेपिकम" यूनिट (दुर्घटनोन्मुख खानों का सर्वेक्षण करने और सुधारक उपायों का पता लगाने के लिए) की स्थापना करना।

6. खानों में सुरक्षा संबधी सम्मेलन और जांच न्यायालय की रिपोर्टों की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। खानों में सुरक्षा के स्तर की पुनरीक्षा करने के लिए श्रम मंत्रालय के तत्वावधान में दो उच्च स्तरीय बैठकें नवम्बर, 1977 और मई, 1977 को हुई थीं। उपरोक्त विचार विमर्श और खानों में तीसरे सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति में प्रगति की 29 अक्तूबर, 1977 को पुनर्गठित पुनरीक्षा समिति की पहली बैठक में पुनरीक्षा की गई थी।

सरकार चासनाला, केसूरगढ़ और सुदामडिह दुर्घटनाओं के बारे में स्थापित जांच न्यायालय द्वारा दी गई सिफारिशों की जांच भी कर रही है।

7. श्रमिकों में सुरक्षा जागृति लाने के लिए सुरक्षा सप्ताह मनाना।

8. डी जी एम एस की कोयला कम्पनियों में हाल ही में नियुक्त किए गए सहायक प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना।

9. सितम्बर--नवम्बर, 1977 में बी सी सी एल और सी सी एफ एल के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए खान सुरक्षा के एक साप्ताहिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

बर्मा में भारत मूलक लोगों के लिए अपरिभाषित दर्जा

1515. **श्री शंकर सिंह जी बघेला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में बड़ी संख्या में रह रहे भारत मूलक लोगों के अपरिभाषित दर्जे के बारे में बर्मा सरकार से कोई वार्ता हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) बर्मा में रहने वाले भारतीय मूल के उन लोगों के दर्जे के विषय में बर्मा सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत तो नहीं हुई है जो बर्मा या भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं है। लेकिन कई अवसरों पर दोनों देशों के नेताओं में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ है। भारतीय मूल के बहुत से लोग तो बर्मा के संविधान और वहां के कानून के अन्तर्गत तथ्यतः बर्मा नागरिक हैं चाहे बहुत से मामलों में उन्होंने अभी तक संघीय नागरिकता प्रमाण-पत्र न लिया हो।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

1516. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के आकार और कार्य में कटौती करने के लिये एक योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के प्रस्तावित पुनर्गठन के अन्तर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो इस समय सेल की एक सहायक कम्पनी है, एक स्वतन्त्र इकाई बन जायेगी। ऐसा प्रस्ताव है कि संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी मंडोवी पैलेट्स लि०, में इस समय सेल के पास जो शेयर हैं उनको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अन्तरित कर दिया जायेगा। किरिबुरू की लौह अयस्क की वर्तमान खान तथा मेघाटाबुरू लोह अयस्क की प्रायोजना जो इस समय निर्माणाधीन है तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नियंत्रणाधीन है, बोकारो इस्पात कारखाने को अन्तरित कर दी जायेगी क्योंकि इन खानों का समस्त उत्पादन बोकारो के लिए सुरक्षित रखा गया है। अन्य सभी इस्पात कारखानों के पास पहले से ही लौह अयस्क की रक्षित खानें हैं। मंशा यह है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पूरी तरह निर्यातोन्मुख अयस्क परियोजनाओं पर जिन में प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे लौह अयस्क पैलेट, पर ध्यान दे सके। खान परामर्शी सेवा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का विस्तार होगा।

Automatic Telephone Exchange at Purnea, Bihar

*1517. **Shri L. L. Kapoor :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are separate telephone exchanges in Purnea City and Gulab Bagh under Purnea Municipality in Bihar having 800 telephone lines on both the exchanges;

(b) whether there is a provision for the automatic telephone exchange if there are more than 600 lines at a place; and

(c) whether Government propose to set up an automatic telephone exchange there soon ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) There are separate telephone exchanges in Purnea City and Gulab Bagh under Purnea Municipality. The capacity of Purnea exchange is 300 lines and that of Gulab Bagh 200 lines.

(b) While it is the objective of the Government to automatize the telephone exchanges all over the country, in view of shortage of automatic exchange equipment, a phased programme of automatization is being worked out. In this programme, priority is being given to all state Headquarters in the first instance. District Headquarters are being taken up next. No specific limits of minimum number of lines have been specified for this purpose.

(c) Purnea being a District Headquarter, the Govt. is planning installation of automatic exchanges both at Purnea and Gulab Bagh. It is hoped to provide these exchanges in next three years or so.

तिरुवन्नमलई में खनिजों की खोज

1518. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवन्नमलई (तमिलनाडु का उत्तरी अर्काट जिला) में खनन सम्भावनाओं की कोई खोज की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपयोगी खनन के लिये किस प्रकार के खनिजों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी खोज आरम्भ करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) लोह अयस्क (मैगनेटाइट क्वार्टजाइट), जिसमें लगभग 40 प्रतिशत लोहा है, के लगभग 00 लाख टन संभावित भंडारों की पहले ही खोज हो गई है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

चिकित्सा सुविधा को समाजोन्मुख बनाने के लिए कार्यवाही

1519. श्री **सी०एन० विश्वनायन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा सुविधा को समाजोन्मुख बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का चिकित्सा शिक्षा के सिद्धांतों के अध्ययन को तीन वर्ष का करने और इन-टर्न तथा हाउस-सर्जन के काम के लिए दूरस्थ गांवों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक समय नियत करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कृत कार्य और प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चिकित्सा शिक्षा को समाजोन्मुख बनाने के लिए जो कदम उठाए गये हैं उनका ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) चिकित्सा पाठ्यक्रम को तीन वर्ष तक कम करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अपनी सिफारिशों में चिकित्सा शिक्षा को समाज प्रधान और ग्रामोन्मुखी बनाने पर जोर दिया है। स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को अध्यापक वर्ग के साथ प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों तथा अन्य ग्रामीण और शहरी केन्द्रों में भेजा जाता है जहां उन्हें सामुदायिक चिकित्सा में प्रशिक्षण दिया जाता है । क्लीनिक-पूर्व वर्षों के दौरान उनके इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के तीन महीने भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यतीत किये जाते हैं। परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि स्नातक पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के विस्तृत पाठ्यविवरण हेतु कम से कम अध्यापन, प्रदर्शन कार्य एवं गोष्ठी, आदि के लिये 30 घंटे रखे जायें तथा 18 महीनों में कम से कम 15 क्षेत्रीय निरीक्षणों (फील्ड विजिटों) की भी व्यवस्था की जाये। दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम (प्रोफेशनल कोर्स) की जो आवश्यकतायें हैं, उनमें से एक बात यह भी है कि वे एक महीने तक समाज में कार्य करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक मेडिकल कालेज के साथ कम से कम तीन प्राइमरी हैल्थ सेंटरों को सम्बद्ध किया जाए और उन प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं सम्बन्धी कार्य के मेडिकल कालेज के छात्र और स्टाफ इन्चार्ज होंगे। इन मेडिकल कालेजों के साथ जिला/तालुक और अन्य अस्पतालों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध रखने के लिये इन केन्द्रों में कार्य कर रहे कार्मिकों की लगातार अदला-बदली करते रहने की परिकल्पना की गई है। परिषद् ने दूसरे प्रोफेशनल परीक्षा में सामुदायिक आयुर्विज्ञान पर एक अलग परीक्षा रखी है और तीसरी प्रोफेशनल परीक्षा में बाल चिकित्सा के साथ-साथ इस विषय पर एक आधा परीक्षा पत्र रखा है ।

'बेयरफुट डाक्टर' योजना

1520. **श्री सी०एन० विश्वनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली 'बेयरफुट डाक्टर' योजना सम्बन्धी अनिवार्य सिद्धान्त तथा अन्य ब्यौरा क्या है,

(ख) इस पर कितनी राशि का निवेश करने का विचार है और अब तक वास्तव में कितनी प्रगति हुई है,

(ग) इस योजना के लिये राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार का सापेक्ष योगदान क्या है, और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना की सफलता के लिये राज्य सरकारों द्वारा सोत्साह सहयोग का सुनिश्चय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बेयरफुट डाक्टर नाम की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य रक्षक योजना नाम से एक योजना देश के चुने हुए प्राइमरी हैल्थ सैंटरों में 2 अक्तूबर, 1977 से शुरू कर दी है। इस योजना के ब्यौरे तथा सिद्धान्तों के बारे में एक नोट अनुबन्ध-I में दिया गया है।

(ख) अनुमान है कि 1977-78 के दौरान इस योजना के चलाने पर 4.26 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जायेगी।

(ग) यह शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है।

(घ) जी हां।

विवरण

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना

इस योजना के अन्तर्गत एक हजार जनसंख्या वाले गांव अथवा समाज से कहा जायेगा कि वे अपने गांव में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो वहां का निवासी हो, समाज या गांव की सेवा करना चाहता हो तथा उनका विश्वास पात्र हो। इस व्यक्ति (पुरूष अथवा महिला) को जन स्वा० रक्षक कह कर पुकारा जायेगा। 30 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तरजीह दी जायेगी। उसे साक्षर होना चाहिये जो लिख पढ़ सकता हो। इस व्यक्ति की औपचारिकता शिक्षा कम से कम छठी कक्षा तक होनी चाहिये। लोग ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जो किसी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस कर रहा हो या जो इससे अधिक पढ़ा लिखा हो। इन कार्यकर्त्ताओं को प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में तीन-तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस जन स्वा० रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये प्राइमरी हैल्थ सेंटर में एक अतिरिक्त डाक्टर नियुक्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण काल में इन कार्यकर्त्ताओं को 200 रुपये प्रति मास की दर से स्टाइपेंड दिया जायेगा। तत्पश्चात्, उन्हें समाज में काम करने के लिये प्रति वर्ष 600 रुपये का भत्ता और साथ ही हर वर्ष 600 रुपये के मूल्य की दवाइयां भी दी जायेंगी। चूंकि ये जन स्वास्थ्य रक्षक जनता के आदमी ही होंगे। इसलिये वे अपना सामान्य कारबार करने के लिये स्वतन्त्र होंगे। अपने अवकाश के समय में वे 2-3 घंटे प्रतिदिन तक जन स्वा० का काम करेंगे। सामान्य सीमाओं के भीतर उनके काम के लिये समाज उत्तरदायी होगा।

Employment on Compassionate Grounds.

+1521. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether there is a provision to give employment on Compassionate grounds to the sons of the employees working in Posts and Telegraphs Service after death ;

(b) if so, whether Government are also aware that a number of applications for employment on compassionate grounds are under consideration in Bihar ; and

(c) Whether Government propose to take any immediate action in this direction ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The Heads of Circle concerned are taking expeditious action towards finalisation of all pending cases.

देश में संचार पद्धति को सुधारने संबन्धी योजनायें

1522. **श्री के० लकप्पा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि:**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में संचार पद्धति को बेहतर तथा अधिक द्रुत बनाने के लिये तात्कालिक कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान शुरू की गई नई योजनायें क्या हैं; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान ऐसी कितनीं योजनायें शुरू की जायेंगी?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

कुल उपलब्ध साधनों की सीमाओं के भीतर देश में संचार सेवाओं का विस्तार करने और उनमें सुधार लाने के लिये सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है ।

(ख) (i) दूर संचार प्रणाली में दूरसंचार जाल में पिछले छह महीनों के दौरान अर्थात् 1-4-77 से लेकर 30-9-77 तक निम्नलिखित नई वृद्धियां शामिल की गई हैं:

क्रम संख्या	योजना	वृद्धि
1.	टेलीफोन क्षमता में वृद्धि	0.25 लाख लाइनें
2.	दूरसंचार कनेक्शन (सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़ी गई)	0.38 लाख लाइनें
3.	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज	1
4.	उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्ग (प्वाइंट टु प्वाइंट)	5
5.	मेनुअल ट्रंक बोर्ड	71
6.	को-एक्सियल केबुल प्रणालियां	558 मार्ग किलोमीटर
7.	माइक्रोवेव प्रणालियां	735 " "
8.	तारघर	112
9.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	157
10.	टेलेक्स एक्सचेंज	4
11.	टेलेक्स कनेक्शन	547

संचार सेवाओं में सुधार लाने के लिये पिछले छह महीनों के दौरान निम्नलिखित दो कार्यक्रम शुरू किये गये हैं :

1. सभी टेलीफोन प्रणालियों में आन्तरिक एक्सचेंज उपस्कर की विभिन्न चरणों में जांच और ओवरहाल।

2. उपभोक्ताओं के कम से कम 50 प्रतिशत टेलीफोनों और फिटिंग की जांच और ओवरहाल।

उपर्युक्त दोनों काम चल रहे हैं।

(ख) (ii) निम्नलिखित डाक योजनायें शुरू की गई :

1. और अधिक डाकघर खोलना।

2. बहुत से वर्तमान विभागेंतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाना।

3. 1,00,000 अतिरिक्त लेटर बक्स लगाना।

4. लगभग और 50,000 गांवों को चलते-फिरते डाकघरों के अन्तर्गत लाना।

5. गांवों में डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री के लिये और अधिक एजेंट नियुक्त करना।

6. देश के और अधिक गांवों में दैनिक डाक वितरण योजना का विस्तार करना।

(ग) (1) वर्ष 1978-79 के दौरान निम्नलिखित मुख्य दूरसंचार विकास कार्यों को शुरू करने की योजना है, बशर्ते कि परियोजनायें मंजूर हो जायें, बजट का आबंटन हो और साज-सामान उपलब्ध हों।

क्रम सं०	योजना	प्रस्तावित विकास कार्य
1.	टेलीफोन क्षमता में वृद्धि	2.10 लाख लाइनें
2.	टेलीफोन कनेक्शन (सीधी एक्सचेंज लाइनें)	1.92 लाख लाइनें
3.	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज	3
4.	उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्ग (प्वाइंट-टु-प्वाइंट)	20
5.	मैनुअल ट्रंक बोर्ड	662
6.	को-एक्सियल केबुल	2624 मार्ग किलोमीटर
7.	माइक्रोवेव प्रणालियां	3914 ,, ,,
8.	तारघर	2300
9.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	2000
10.	टेलेक्स एक्सचेंज	41
11.	टेलेक्स कनेक्शन	1800

(ग) (ii) अगले वर्ष (1978-79) के दौरान निम्नलिखित योजनायें शुरू करने का प्रस्ताव है:—

1. अधिक डाकघर खोलना जिनमें आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों को अधिक महत्व दिया जायेगा।

2. अधिक विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाना।

3. अतिरिक्त लेटर बक्स लगाना

4. अधिक विभागेतर वितरण एजेंटों की नियुक्ति करना, ताकि दैनिक डाक वितरण योजना का गठन किया जा सके और लेटर बक्सों से डाक निकालने का काम तत्परता से किया जा सके।

5. अधिक चलते-फिरते डाकघर खोलना, ताकि ज्यादा गांवों में डाक काउंटर सुविधा की व्यवस्था की जा सके।

6. गांवों में डाक टिकटों और डाक लेखन-सामग्री की बिक्री के लिये ज्यादा एजेंटों की नियुक्ति करना।

जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या

1523. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत छः महीनों के दौरान कितने पासपोर्ट जारी किये गये; और

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के छः महीनों की तुलना में इस वर्ष जारी किये गये पासपोर्टों की संख्या काफी अधिक है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्ड) : (क) 1 मई, से 31 अक्तूबर, 1977 के बीच कुल मिलाकर 4,69,770 पास पोर्ट जारी किये गये ।

(ख) जी हां, इससे पूर्व की छ : महीने की अवधि में अर्थात् 1 नवम्बर, 1976 से 30 अप्रैल, 1977 के बीच कुल मिलाकर 3,44,859 पासपोर्ट जारी किये गये थे।

Copper Plant in Malanjkhand

1524. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether Russian experts had submitted a detailed report sometime in May-June 1975 on a scheme to set up a copper plant in Malanjkhand in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details of the report ;

(c) Whether Government have taken a decision on investment in view of this report; and

(d) if so, the estimated amount to be invested for 1977-78 ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Soviet experts had submitted a Project Report for the Malanjkhand Copper Project in Madhya Pradesh, in two instalments, in January, 1975 and in January, 1976.

(b) The salient features of the report are given in the Statement attached.

(c) Yes, Sir

(d) A provision of Rs. 5.40 crores has been made during 1977-78 for the project, besides, a sum of Rs. 20 lakhs towards a loan to the State Government of Madhya Pradesh for the Banjar River Scheme which will supply water to the Malanjkhand Copper Project

Salient features of the detailed Project Report on the Malanjkhand Copper Project, prepared by the Soviet Consultants are as follows :—

1. Likely estimated cost : . .	Rs. 91.90 crores.
2. Ore Production (in the 4th year from the start of construction).	One Million Tonnes per annum (15,200 tonnes equivalent metal)
(In the 6th year from the start of construction).	Two million tonnes per annum (23,000 tonnes equivalent metal)
3. Concentrator Plant .	First phase will treat one million tonnes of ore per annum and the Second phase two million tonnes of ore. The concentrates will be transported from Malanjkhand to the Khetri Smelter.
4. Employment potential . .	Approximately 1860 persons. (At full operation stage).
5. Other features . . .	This will be the first large-sized open pit mine in hard rock in the country. Mining will be mechanised and will employ heavy earth-moving equipment. The development of the mine envisages a preparatory period of 16 months, after which the actual mine construction work will commence.

Reinstatement of Employees in Ministry of Labour

1525. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 166 on the 23rd June, 1977 regarding reinstatement of employees in Ministry of Labour and state :

(a) whether the information has since been collected; and

(b) if so, when it will be laid on the Table of the House ?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) A statement giving the required information in fulfilment of the assurance given in reply to the Starred Question No. 166 has been laid on the Table of the Sabha on 17-11-1977.

केरल के लिए बृहत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु योजना

1526. **श्री के० ए० राजन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में क्रियान्वित किये जाने के लिये कोई बृहत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने आरम्भ में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के विकल्प के रूप में एक योजना भेजी थी जिसमें भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों के और अधिक औषधालय खोलने, बच्चों के लिये सम्पूर्ण प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था। फिर भी, उस सरकार ने अब इस मामले पर पुनः विचार करके भारत सरकार को सूचित किया है कि वे जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को लागू करेंगे जिसके अन्तर्गत लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य की रक्षा करने, स्वास्थ्य को सुधारने और कुछ हद तक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये कार्यकर्ता का चुनाव करेंगे।

U.S.A. and U.S.S.R. Talks regarding Indian Ocean

†1527. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Rajkeshar Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether U.S.A. and Soviet Union had held talks during the last month to restrain their activities to make the Indian Ocean as a Zone of Peace; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Behari Vajpayee) : (a) and (b) The USA and the USSR held the second round of talks on arms limitation in the Indian Ocean in September, 1977 in New York. According to a joint statement issued, the talks have reached an advanced stage. The two powers are reported to be close to an agreement on mutual restraint in the Indian Ocean and stabilisation of their naval presence.

रंगून में नेताजी की प्रतिमा की स्थापना

1528. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगून में नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने तथा उन भारतीय स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति बनाये रखने के लिये जिन्हें मांडले जेल में नजरबन्द रखा गया था, और बर्मा में आजाद हिन्द फौज के जिन शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उनके सम्मान में स्मारक बनाने के लिये बर्मा सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने बर्मा सरकार से रंगून में नेताजी की मूर्ति स्थापित करने या बर्मा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आजाद हिन्द फौज के शहीदों के सम्मान में एक स्मारक बनाने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। जहां तक मांडले की जेल में कैद में रखे गय भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों का प्रश्न है, बर्मा की सरकार से यह अनुरोध करने पर विचार किया जा रहा है कि मांडले की जेल में 1956 में तिलक स्मारक हाल बनाया गया था, उसमें इन लोगों की स्मृति में एक नाम-पट्टिका लगाई जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता टेलीफोन के बारे में शिकायतें

1529. **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन कोई शिकायत रजिस्टर रखता है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान टेलीफोन लाइनों के काम न करने, गलत टेलीफोन नम्बर मिल जाने, गलत धनराशि के बिल बनाये जाने आदि के बारे में प्रयोक्ताओं द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में कलकत्ता टेलीफोन प्राधिकरण द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतों के आंकड़े अनुबन्ध I में संलग्न हैं।

(ग) (1) टेलीफोन प्रणाली के आंतरिक एक्सचेंज उपस्करों और बाहरी संयंत्रों का ओवरहाल करने के लिये विभिन्न चरणों में पूरा होने वाला कार्यक्रम बनाया गया है।

(2) 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के यंत्रों और फिटिंग का निरीक्षण और खराब पुर्जों को बदलने, उनका ओवरहाल करने का काम एक वर्ष में पूरा किया जायेगा, और बाकी का काम अगले वर्ष पूरा किया जायेगा।

(3) जहां भी व्यवहार्य होगा, जंक्शन और प्राथमिक केबुलों को विभिन्न चरणों में गैस प्रेशराइजेशन में रखा जायेगा।

(4) बरसात में केबुलों को क्षति कम पहुंचे, इसके लिये वितरण केबुलों में आर्द्रता रोधकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(5) उपभोक्ताओं के वितरण केबुल जाल के ऐसे भाग में, जो दाबानुकूलित (प्रेशराइज्ड) नहीं हैं, जेली भरे वितरण केबुलों का और अधिक इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

(6) जहां भी व्यवहार्य हो, कुछ दूरस्थ एक्सचेंजों को माइक्रोवेव जंक्शनों के जरिये मुख्य टेलीफोन जाल से जोड़ने का प्रस्ताव है।

विवरण

अनुबन्ध-I

उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के मासिक आंकड़े

मद सं० 1 टेलीफोन लाइनें खराब होने के सम्बन्ध में, जिनमें गलत कनेक्शन मिलना भी शामिल है, लिखित शिकायतों की संख्या।

मद सं० 2 गलत बिल बनाये जाने के सम्बन्ध में लिखित शिकायतों की संख्या।

मद सं० 3 टेलीफोन लाइनें खराब होने के सम्बन्ध में, जिनमें गलत कनेक्शन मिलना भी शामिल हैं, जबानी की गयी शिकायतों की संख्या।

महीना	महीने के आरम्भ में बाकी बची शिकायतों की संख्या	महीने में प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग	महीने में दूर की गई शिकायतों की संख्या	महीने के अन्त में बाकी बची शिकायतों की संख्या
मई, 77					
मद सं० 1 . .	2,096	7,501	9,597	7,153	2,444
मद सं० 2 . .	1,154	3,538	4,692	3,547	1,145
मद सं० 3 . .	..	1,00,958	1,00,958	1,00,958	..
जून, 77					
मद सं० 1 . .	2,444	7,238	9,682	7,290	2,392
मद सं० 2 . .	1,145	3,046	4,191	2,954	1,237
मद सं० 3 . .	..	1,10,718	1,10,718	1,10,718	..
जुलाई, 77					
मद सं० 1 . .	2,392	8,781	11,173	9,630	1,543
मद सं० 2 . .	1,237	2,652	3,889	2,850	1,039
मद सं० 3 . .	..	1,27,614	1,27,614	1,27,614	..
अगस्त, 77					
मद सं० 1 . .	1,543	7,623	9,166	7,848	1,318
मद सं० 2 . .	1,039	3,430	4,469	2,693	1,776
मद सं० 3 . .	..	1,13,392	1,13,392	1,13,392	..
सितम्बर, 77					
मद सं० 1 . .	1,318	6,363	7,681	6,532	1,149
मद सं० 2 . .	1,776	2,972	4,748	2,313	2,435
मद सं० 3 . .	..	98,670	98,670	98,670	..
अक्तूबर, 77					
मद सं० 1 . .	1,149	7,500	8,649	7,807	842
मद सं० 2 . .	2,435	3,449	5,884	3,144	2,740
मद सं० 3 . .	..	84,618	84,618	84,618	..

दिल्ली टेलीफोन विभाग के बारे में शिकायतें

1530. **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग के कार्यकरण के बारे में टेलीफोनों की असफलता, गलत नम्बर मिलना तथा अन्य अनियमितताओं के समाचारों में हाल में वृद्धि हुई है;

(ख) गत छह मास में दिल्ली टेलीफोन विभाग को मिली उक्त प्रकार की शिकायतों के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग द्वारा कोई शिकायत रजिस्टर रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो गत 6 मास में विभिन्न टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों के बारे में तथ्य क्या हैं?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद राय) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) इनके व्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और वे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

बम्बई में कपड़ा मिल कर्मचारियों को बोनस

1531. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टैक्सटाइल मिलों के कर्मचारियों ने 8.33 प्रतिशत बोनस के बारे में हड़ताल की थी;

(ख) क्या एन० टी० सी० द्वारा संचालित मिलों ने अपने कर्मचारियों के लिये 8.33 प्रतिशत बोनस की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य कपड़ा मिल प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को बोनस दिलवाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) इस मामले का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकार से है। राज्य सरकार से आवश्यक सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन बोनस का भुगतान करना सांविधिक दायित्व है और 'समुचित सरकार' द्वारा दोषी नियोजकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव

1532. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के कार्यकरण में कहां तक सुधार हुआ है;

(ख) राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा उसके पश्चात् कम्पनी का उत्पादन क्या रहा; और

(ग) क्या इसे लाभदायक कम्पनी बनाने के लिये कोई उपाय किये गये हैं; और यदि हां तो क्या ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 1972 में इस कम्पनी का प्रबन्ध आरम्भ में दो वर्ष के लिये अपने हाथ में लिया था। बाद में इसकी अवधि 3 वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई। इस बात को देखते हुए कि इस इकाई को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये कम्पनी सरकार से बड़ी मात्रा में पूंजीनिवेश के लिये कह रही थी यह फैसला किया गया कि कम्पनी पर सरकार का स्वामित्व होना चाहिये। तदनुसार राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को छोड़कर अन्य पार्टियों के पास इस कम्पनी के सभी शेयर कानून बनाकर 17 जुलाई, 1976 से प्राप्त कर लिये गये।

जुलाई, 1972 से लेकर इस कम्पनी के उत्पादन में क्रमिक रूप से सुधार हुआ है। विक्रेय इस्पात के रूप में क्षमता का उपयोग 1972-73 में 43.4 प्रतिशत से बढ़कर 1976-77 में 67.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वर्ष 1977-78 के लिये विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 6.8 लाख टन रखा गया है। यदि इस लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है तो क्षमता का उपयोग 85 प्रतिशत तक हो जायेगा।

(ग) इस कम्पनी की आर्थिक सक्षमता को सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं :—

1. इस कारखाने की क्षमता को पुनः इसके निर्धारित स्तर पर लाने के लिये 61 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र प्रतिस्थापन कार्यक्रम योजना बनाई गई है। इस योजना का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।
2. उत्पादिकता में वृद्धि करने तथा उत्पादन स्तर बनाये रखने के लिये आगामी 10 वर्षों में लगभग 42.5 करोड़ रुपये की लागत से कुछ अन्य पूंजीगत योजनायें भी बनाई गई हैं।
3. इस समय इस कारखाने में लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिये जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है वह पुरानी हो गई है। लोहा और इस्पात बनाने की सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिये भी एक योजना बनाई जा रही है।
4. कम्पनी का समन्वित विकास करने तथा प्रौद्योगिकी, उत्पादन और वित्तीय समस्याओं के लिये अच्छा प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि इस कम्पनी में केन्द्रीय सरकार के जो शेयर हैं उनको स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को अन्तरित कर दिया जाये जिस से यह कम्पनी सेल की एक सहायक कम्पनी बन जायेगी। यह भी प्रस्ताव है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य पार्टियों द्वारा लिये गये शेयर प्राप्त कर लिये जायें और उनको सेल को अन्तरित कर दिया जाये जिससे सेल का पुनर्गठन हो जाने के बाद 'इस्को' सेल का एक प्रभाग बन सके।

कोल शार्टेज से हिट स्टील प्लांट्स

1533. **श्री रामा नन्द तिवारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1977 के स्टेट्समैन में 'कोल शार्टेज में हिट स्टील प्लांट्स' के शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि गोमिया के विस्फोटक कारखाने तथा दुग्दा और भोजुडीह की शोधनशालाओं में हड़तालों तथा बिजली की कमी होने के कारण अक्तूबर, 1977 के दौरान इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। कोयले की कमी पर काबू पाने के लिये इस्पात

कारखानों में अधिक अनुपात में मध्यम दर्जे का मिश्रण योग्य कोयला स्वीकार कर लिया और कोक ओवन पुशिंग्स को विनियमित किया। चूंकि दुग्दा और भोजुडीह शोधनशालाओं में हड़ताल समाप्त हो गई है और गोमिया में विस्फोटकों का भी कुछ उत्पादन होना शुरू हो जाने से स्थिति में सुधार होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। फिर भी कोयला कम्पनियों के परामर्श से स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है।

मन्द बुद्धि व्यक्तियों के उपचार के लिए उपाय

1534. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 सितम्बर, 1977 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में '1.80 करोड़ इन इण्डिया मेन्टली रिटार्डिड' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त आंकड़े सही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के उपचार के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा किये जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) देश में मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है किन्तु किसी समुदाय में किसी निश्चित समय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार लगभग 3 प्रतिशत व्यक्ति मामूली मानसिक मन्दता से पीड़ित होंगे और इनमें केवल 10 से 15 प्रतिशत व्यक्तियों को अत्यधिक देखभाल और उनके लिये विशेष रूप से डिजाइन किये गये शिक्षा सम्बन्धी उपायों की आवश्यकता होगी।

(ग) मानसिक मन्दता केवल एक विषय की सीमा या ज्ञान के अन्तर्गत नहीं आता है । इसके लिये विभिन्न विषयों अर्थात् शिक्षा, समाज कल्याण सेवा, स्वास्थ्य सेवा और स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है।

मानसिक मन्दता की रोकथाम के लिये प्रसूति बाल कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय पहले से ही किये जा रहे हैं अर्थात् प्रसव पूर्व और शिशु की उपयुक्त देखरेख, गर्भावस्था में अच्छा पोषण, छूत की बीमारियों का नियंत्रण और रोग प्रतिरक्षण के लिये विस्तृत कार्यक्रम। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक मन्दता की समस्या के लिये एक गैर-चिकित्सकीय पद्धति अपनाने की सिफारिश की है जिसमें सामुदायिक देखरेख पर और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण के क्षेत्रों के बीच आपसी सहयोग पर अधिक जोर दिया जाए। इस समस्या के समाधान के अत्यधिक कारगर उपाय मानव के आपसी सम्बन्धी होते हैं जिनके लिये घरों, स्कूलों, औषधालयों या स्वास्थ्य केन्द्रों का सहज वातावरण अत्यधिक अनुकूल होता है। अतः समुदाय को आसानी से सुलभ वर्तमान सेवाओं के उपयोग पर इन बच्चों की सेवा के लिये उत्तरदायी विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के बीच सहयोग पर और माता-पिता में योग्यता और विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इलाज में परिवारों का सहयोग प्राप्त करने पर अधिक जोर देना पड़ेगा।

Direct Telephone Lines from Manavadar to Bombay, Ahmedabad, Junagarh, Porbandar and Dhoraji

†1535. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the action taken so far or proposed to be taken by Government on the demand made by Manavadar Chamber of Commerce of Junagarh District in Gujarat for two

or three direct telephone lines from Manavadar to Bombay, Ahmedabad, Junagarh, Porbandar and Dhoraji in place of a single one line at present as it causes inconvenience in trade; and

(b) If so, the time by which two or three direct telephone lines to the aforesaid cities would be provided ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b) At present the number of circuits working for these stations is as follows :

Manavadar	—Junagarh	—2
„	—Rajkot	—2
„	—Ahmedabad	—1
„	—Bombay	—1
„	—Dhoraji	—2

To meet the additional reqirement, a proposal for provision of a 60 channel UHF link between Manavadar and Junagarh is under examination. After approval UHF schemes take 2 to 3 years for completion.

Direct Linking of Bantwa with Junagarh, Rajkot, Dhoraji etc.

†1536. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether people of Bantwa City in Junagarh District in Gujarat have submitted demand that Junagarh, Rajkot, Dhoraji, Upleta, Veraval and Porbandar should be linked with Bantwa by direct telephone line and if so, the action taken by Government in this regard ;

(b) the time by which Bantwa city would be linked with the above mentioned cities by direct telephone line ; and

(c) whether there is a four-line telephone exchange serving Bantwa-Manavadar at present which takes a long time in getting connection and when the capacity of this four-line exchange would be expanded to eight-line service system ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Bantwa is connected with Manavadar on 4 physical junction lines. No additional junction is justified.

P.C.O. at Khageshri Village, Junagarh District, Gujarat.

†1537. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Gram Panchayat, Khageshri of Kutiyana Taluka of Junagarh District in Gujarat State has made a demand for installing a public call Office in the Village;

(b) if so, the action taken by Government so far ; and

(c) the reasons for the delay in installing a P.C.O. there and the time by which it would be installed ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): Yes, Sir.

(b) & (c) The proposal is now under examination for approval under the latest policy for provision of P.C.Os. on loss. The P.C.O. is planned to be opened in 1978-79.

Telephone Connections to Bantia, Janpodad, Nawda, Tinmas and Dungri in Junagarh District, Gujarat

†1538. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether four cooperative societies namely Bantia, Janpodad, Nawda, Tinmas and Dungri Gram Panchayat consisting of five Villages in Vantahli (Sorarh) Taluka of Junagarh District in Gujrat have deposited the required amount of telephone connections and if so, when and the amount deposited ; and

(b) the reasons for not providing telephone connections so far to these five Villages and by what time they are likely to get telephone connections ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) The four cooperative socities have deposited the amount as under :—

(i) Cooperative society Bantia Rs. 1000 on 15.12.75

(ii) Cooperative society Janpodad Rs. 1000 on 15.12 75

(iii) Cooperative society Nawda Rs. 1000 on 26.1.76

(iv) Cooperative society Tinmas Rs. 1000 on 12.12.75

(v) Cooperative society Gram Panchayat Dungri Rs. 610 on 26.5.75 and Rs. 1000 on 13.2.76.

(b) All these demands are registered under general category and are long distance connections requiring lot of store materials. These are some earlier long distance demands also pending in the Circle for want of stores. These connections will be provided on receipt of stores.

Illegal Occupation of Maharajganj Post Office Building

†1539. **Shri Harikesh Bahadur :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the land for the Post Office at Maharajganj, Gorakhpur has been illegally occupied by some other person; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes, Sir, A part of the post office land is under illegal occupation.

(b) Government are considering steps possible under the existing law of the land to get the illegal occupation vacated.

Calling of Names of Skilled Workers from Central Labour Depot, Ranchi

1540. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the Central Labour Depot is situated at Ranchi in an Adivasi area;

(b) whether ihe Ministry vide notification published on 12th July, 1977 directed that names for appointment of skilled workers will be invited from the Central Government Employment Exchange (Labour), Gorakhpur (U.P.);

(c) if so, whether any direction has been given to the public sector companies to this effect;

(d) whether the previous practice of inviting names from the local Central Labour Depot will be restored; and

(e) if so, when ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) No Only a Local Employment Exchange has been functioning in Ranchi.

(b) No. The notification issued by the Ministry is applicable only to vacancies for unskilled labour which are required to be notified to the Central Employment Exchange (Labour), Gorakhpur.

(c) Does not arise.

(d) It is presumed that the term 'local Central Labour Depot' refers to a local Employment Exchange. The practice of filling vacancies by an employer after calling for names of suitable candidates from the local Employment Exchange is not sought to be done away with.

(e) Does not arise.

Assistance to Blind Relief Camp in Bihar

1541. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have not so far supplied modern equipments, motor vehicles and all surgical appliances/material to the Bihar Government for running Blind Relief Camp;

(b) if so, when the supply of above articles will be made to the Bihar State; and

(c) if these supplies are not to be made, the reasons therefor ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) Under the National Programme for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness, it is proposed, *inter alia,* to provide 6 mobile units to the State during 1977-1983, each mobile unit to cover a cluster of about 5 districts. These units will be equipped with modern equipments, motor vehicles, all necessary surgical appliances/material for running the eye camps. The release of the mobile unit projected for 1977-78 could not be made since the State Government has so far not communicated their consent to meet certain obligations required to be fulfilled by them to qualify for the Central assistance under this Programme. The State obligations are as follows :—

1. For Mobile Unit . .	Create the various posts for the mobile unit and make appointments of the staff.
2. For Primary Health Centres .	To create the posts of ophthalmic technicians/ Assistants having recommended qualifications and post them at the identified PHCs.
3. For District Hospitals	(i) Post at least one ophthalmic Surgeon (preferably two).
	(ii) Post Ophthalmic technician/Assistant.
	(iii) Create 30 eye beds.
4. For Medical College .	(i) Matching grant of Rs. 5.00 lakhs for equipment.
	(ii) Ensure at least 7 faculty members in ophthalmic department.
	(iii) Create 75 eye beds.
	(iv) Adopt residency pattern for post-graduate studies.

(c) Does not arise.

वियतनाम के आर्थिक प्रतिनिधि मंडल का दौरा

1542. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में वियतनाम से एक आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल यहां आया था और उनके मंत्रालय में गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विषयों पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रतिनिधिमण्डल भारत के विभिन्न भागों में भी गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका मिशन तथा उद्देश्य क्या था और उनके दौरों का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विनिमय भारत तथा वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के विषय में था और दो समझौते भी हुए। पहला समझौता वियतनाम को 100,000 टन गेहूं का ऋण देने के विषय में था जिससे कि उसे अपने यहां खाद्य की अस्थाई कमी को पूरा करने में मदद मिल सके। दूसरा समझौता भारत की सहायता से वियतनाम में एक भैंस पालन केन्द्र और एक चावल अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने के विषय में था।

(ग) और (घ) इस आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की औद्योगिक और प्रौद्योगिक क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से जानने और आर्थिक सहयोग के संभव क्षेत्रों की खोज करने के उद्देश्य से दिल्ली, वाराणसी, कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई और अहमदाबाद में औद्योगिक स्थापनाओं को देखा। यह लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों के विकास की काफी संभावना है, विशेषकर परिवहन उपस्कर, धातु कर्मीय उद्योग आदि के क्षेत्रों में। उचित अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

प्रधान मंत्री के पत्र पहुंचने में सात वर्ष का समय लगना

1543. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1977 के इण्डियन एक्सप्रैस (दिल्ली संस्करण) में 'पी० एम०'स० लैटर रीचेज आफ्टर सेवन ईयर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ डाक का शीघ्र तथा सही वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) पता चला है कि उक्त लिफाफा 31-1-1970 को नई दिल्ली के एयर पोर्ट डाकघर में पोस्ट किया गया था और वह श्री पुष्कर नाथ बलहानी, मारफत मोती मेडिकल हाल, पाम्पोर (कश्मीर) के पते पर भेजा गया था। जिसके मार्फत वह पत्र भेजा गया था। उस पार्टी ने जबानी यह आरोप लगाया है कि यह लिफाफा उसे उस क्षेत्र के पोस्टमैन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के जरिये 10 या 11 अक्तूबर 1977 को या उसके आस-पास प्राप्त हुआ था । उसे यह याद नहीं है कि यह पत्र किस व्यक्ति ने दिया था। यदि यह पत्र, जिस पर 0.20 पैसे का डाक टिकट लगा है, डाकघर द्वारा अब वितरित किया गया होता, तो इस पर वर्तमान दरों के हिसाब से अधिभार वसूल किया गया होता। इसलिये निर्णायक जांच व्यवहार्य नहीं है।

(ग) डाक का वितरण शीघ्र और सही किया जाये, इस के बारे में हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं और श्री नगर के पोस्टमास्टर जनरल को हिदायत दे दी गई है कि वे डाक की प्राप्ति/वितरण पर और कड़ी निगरानी रखने के लिये पक्का इन्तजाम करें।

बम्बई प्रधान डाकघर की इमारत का निर्माण

1544. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के प्रधान डाकघर की इमारत का गुम्बद टूटी-फूटी हालत में है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) क्या अधिकारियों ने सरकार को मरम्मत की भारी लागत और प्राचीन गुम्बद को मजबूत बनाने के बारे में लिखा है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) बम्बई के प्रधान डाकघर का गुम्बद पुराना पड़ने और अपक्षय के प्रभाव से सामान्य रूप से क्षतिग्रस्त हालत में है।

(ख) और (ग) प्रधान डाकघर की पूरी इमारत को मजबूत बनाने और उसकी मरम्मत करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। गुम्बद की मरम्मत और उसे मजबूत बनाने का काम भी उस कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जा रहा है। गुम्बद की मरम्मत और उसे मजबूत बनाने पर लगभग 1 लाख रुपये की लागत आने की संभावना है।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के उपकरणों की चोरी

1545. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के प्रभाराधीन लाखों रुपये के तार टेलीफोन उपकरणों की चोरी हुई थी और यदि हां, तो इसका सही-सही ब्यौरा क्या है और यह चोरी कितने मूल्य की हुई;

(ख) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि यह चोरी किस ढंग से की गई तथा क्या इसका उत्तरदायित्व किसी पर डाला गया है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में 1 नवम्बर, 1977 तक मुअत्तिल रहे अधिकारियों को कुल कितना वेतन और भत्ता अदा किया गया ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। 1974 में नई दिल्ली टेलीफोन जिले के कुछ कर्मचारियों ने लगभग 5.5 लाख रुपये मूल्य का लगभग 31 किलोमीटर लम्बे भूमिगत केबुल का गोलमाल किया था। यह भी मालूम हुआ है कि पी० वी० सी० केबुलों की भी छुटपुट चोरियां होती रही हैं। इनके सही मूल्य का अन्दाजा लगाया जा रहा है।

(ख) जांच पड़ताल का काम पूरा हो गया है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(ग) 1,32,896.46 रुपये।

Recommendations of Wage Board for Journalist and Non-working Journalist

1546. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the reasons for delay in submitting the recommendations by the wage board in respect of journalists; and

(b) the progress made in the completion of the work by the wage board for non-working journalists ?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) The Wage Board for non-journalist newspaper employees and that for working journalists, set up on 11-6-1975 and 6-2-1976 respectively, submitted their reports on interim rates of wages in June, 1976 and October, 1976. The Wage Boards, which are currently holding meetings at various centres, have also been asked to submit their final recommendations by the end of March, 1978, if not earlier.

अतिरिक्त दूरसंचार सम्पर्कों के लिये भू-केन्द्र

1547. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के भिन्न भिन्न भागों में आन्तरिक दूरसंचार सम्पर्कों के लिये कुछ भू-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन भू-केन्द्रों की स्थापना के बारे में व्यौरा क्या है और सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अन्तर्देशीय दूरसंचार सम्पर्क के लिये 35 भू-उपग्रह केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थान हैं--नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, शिलांग, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, जलन्धर, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, लेह, गंगटोक, ईटानगर, मिजोरम, अगरतला, नागालैंड, पोर्टब्लेयर, निकोबार, जोधपुर, श्रीनगर, कवरत्ती, मिनिकाय, भुज, इम्फाल, गोवा और पांडेचेरी; इनमें 4 सड़क मार्ग से वहनीय और 2 वायु/सड़क मार्ग से वहनीय हैं।

भू-उपग्रह कन्द्रों की स्थापना के लिये 47 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा बारी बारी भूख हड़ताल

1548. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट के विद्यार्थी उनके निवास स्थान के बाहर बारी-बारी भूख हड़ताल कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त संस्थान के अधिकांश प्राध्यापकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान के कुछेक छात्रों ने रेजीडेंसी स्कीम चालू करने तथा उन्हें शिक्षावृत्तियां देने के सम्बन्ध में अपनी मांगे मनवाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के निवास-स्थान के बाहर भूख हड़ताल की थी । इस संस्थान के शैक्षिक स्टाफ़ के कुछेक सदस्यों ने भी उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने में की जा रही देरी के विरोध में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर

किया हुआ एक पत्र भी भिजवाया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि इस पत्र को उनके त्यागपत्र के लिए तीन मास की अवधि का नोटिस माना जाए जो पहली सितम्बर, 77 से प्रभावी हो।

(घ) इस संस्थान के क्षयरोग तथा वक्ष रोगों में डिप्लोमा कर रहे तथा एम० डी० (क्षयरोग तथा श्वसन रोग) के छात्रों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार-चार सौ रुपये प्रतिमास की दर से शिक्षावृत्तियां देने की व्यवस्था कर दी गई है।

इस संस्थान के शैक्षिक स्टाफ़ के इस अनुरोध पर कि उन्हें विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिए जाएं, एक दल द्वारा विचार किया गया था जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दल ने सिफ़ारिश की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने से पहले यह वांछनीय होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार संस्थान के सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारियों तथा कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के नामों को बदल कर क्रमशः प्रोफ़ेसर, रीडर तथा लैक्चरर करने की बात पर विचार करें। अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय से केवल पांच पदों के बारे में ही निर्णय प्राप्त हुआ है और शेष पदों के बारे में उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

पूर्वी तट पर अलमूनियम कारखाना

1549. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पूर्वी तट पर अलमूनियम कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रस्तावित परियोजना के लिए विदेशों में वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय, राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) पूर्वी घाट बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित निर्यात प्रधान एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कारखाने लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। परियोजनाओं का वास्तविक विस्तार संभावित मांग तथा शीघ्र शुरू किए जाने वाले साध्यता अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) चूंकि ये परियोजनाएं बड़े आकार की होंगी तथा उन्हें मुख्यतया उत्पादित माल के निर्यात हेतु बनाया जा रहा है, इसलिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी सहयोग और वित्तीय सहायता आवश्यक होगी। एल्यूमिना के निर्यात हेतु उत्पादन सहयोग के आधार पर एक एल्यूमिना कारखाना लगाने के उद्देश्य से एक परियोजना के लिए हाल में सोवियत रूस के साथ विस्तृत साध्यता अध्ययन करने का समझौता हुआ है। दूसरी परियोजना के लिए साध्यता अध्ययन रिपोर्ट बनाने हेतु विख्यात विदेशी एल्यूमिनियम निर्माताओं और उनके सहयोगियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 को कार्यान्वित न किया जाना

1550. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 को कार्यान्वित न की जाने और उसमें हो रही कठिनाइयों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं और इसकी कार्यान्वित न होने से संबंधित शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) से (ग) संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और जब वह प्राप्त हो जायेगी तो सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात का वार्षिक उत्पादन

1551. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1971 से मार्च 1977 तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में विभिन्न प्रकार के इस्पात के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितनी मात्रा में इस्पात रद्दी बेची गई ; और

(ग) ऐसी रद्दी को बिक्री का तरीका क्या था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकारी क्षेत्र के भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात कारखानों का वर्ष 1971-72 से 1976-77 की अवधि में विभिन्न प्रकार के इस्पात का उत्पादन संलग्न विवरणों-1 से 6- में दिखाया गया है । इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के बर्नपुर स्थित कारखाने के बारे में इस प्रकार को जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० 1176/77]

(ख) और (ग) जानकारी प्राप्त को जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की, कारखाना-वार उष्मसह (रिफ्रेक्टरी) सामग्री की आवश्यकता

1552. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की, कारखाना-वार, उष्मसह सामग्री को कुल वार्षिक आवश्यकता क्या है ;

(ख) स्वदेशी निर्माताओं द्वारा कुल कितनी मात्रा में उष्मसह सामग्री सप्लाई की जाती हैं तथा उसकी कितनी मात्रा आयात को जाती है ; और

(ग) क्या ऐसी सामग्री का निर्माण देश में करने की जानकारी पर्याप्त रूप से विकसित हैं जिससे सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखाने के साथ रक्षित उष्मसह एककों की व्यवस्था हो सकती ह ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उष्मसह सामग्री की वर्तमान (1977-78) वार्षिक अनुमानित आवश्यकता नीचे दी गई है :—

	टन
1. भिलाई इस्पात कारखाना	1,63,060
2. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	81,270
राउरकेला इस्पात कारखाना	70,690
4. बोकारो स्टील लि० . . .	44,250
5. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को)	92,120
6. मिश्र इस्पात कारखाना . .	9,280
7. विश्वेवरैया आयरन एण्ड स्टील लि०	29,170
कुल	4,89,840

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को देशीय निर्माताओं द्वारा लगभग 4,27,000 टन उष्मसह सामग्री सप्लाई की गई थी । वर्ष 1976-77 के दौरान मात्र 17,000 टन उष्मसह सामग्री का आयात किया गया था ।

(ग) कुछ विशेष प्रकार की तापसह ईंटों जैसे कारबन तथा इलैक्ट्रो कास्ट रिफ्रेकट्रीज आदि को छोड़कर देश में उष्मसह सामग्री का निर्माण करने की जानकारी पर्याप्त रूप से विकसित है

मध्य भारत में 'फूलन बीमारी'

1553. श्री **डी० जी० गवई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1977 में मध्य भारत से फूलन बीमारी, जो जिगर का एक रोग है तथा जिससे पेट फूल जाता है, के कितने मामलों के समाचार मिले हैं ;

(ख) इस रोग से अब तक कितने व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों का एक दल 'फूलन बीमारी' से प्रभावित क्षेत्रों में गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या सुझाव दिये हैं तथा सरकार ने उन सुझावों को कहां तक क्रियान्वित किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1973 से इस रोग के शुरू होने से लेकर जुलाई, 1977 तक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 191 रोगियों की सूचना दी थी । उपर्युक्त प्राधिकारी से जुलाई, 1977 के बाद किसी और रोगी के होने की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) 99 मौतों की सूचना दी गई थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा विशेषज्ञ ग्रुप के सुझावों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को सभी सम्भव चिकित्सा सहायता दी गई थी । 1976 के दौरान सफलतापूर्वक वोंडिंग कार्य किया गया जिस पर 800 से अधिक कार्यकर्ताओं को लगाया गया । सितम्बर, 1977 से नए वोंडिंग कार्य किए गए जिनपर 700 से अधिक कार्यकर्ताओं को लगाया गया ।

इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च इन रीप्रोडक्शन, बम्बई द्वारा पुत्र/पुत्री उत्पन्न करने की विधि का विकास

1554. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च इन रीप्रोडक्शन, बम्बई के एक चिकित्सा अनुसंधान शोधकर्ता ने एक ऐसी विधि का विकास किया है जिससे मां-बाप अपनी इच्छानुसार पुत्र अथवा पुत्री को जन्म दे सकते है ; जैसा कि 16 सितम्बर, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) संतान का लिंग शुक्राणुओं में एक्स या वाई क्रोमोजोनों की प्रधानता पर निर्भर करता है । अनुसंधान और प्रजनन संस्थान एक्स और वाई वाले शुक्राणुओं को अलग-अलग करने में सफल हो गया है। यदि एक्स या वाई वाले शुक्राणुओं में से किसी एक प्रकार की प्रधानता वाले शुक्राणुओं से कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाए तो वांछित लिंग वाला बच्चा पाने की संभावना 80% बढ़ जाती है । फिर भी, ये निष्कर्ष अभी तक अनुसंधानात्मक अवस्था में ही हैं ।

Polio Incidence in Delhi

1555. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that incidence of polio has not decreased in Delhi inspite of administration of antipolio vaccine;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the number of polio cases reported this year every month so far and the details of the scheme for prevention of this disease in future ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) As per reports received from major hospitals in Delhi the number of polio cases in September and October are less as compared to the number in July and August this year.

(b) Does not arise.

(c) The number of cases this year monthwise are given below :—

January	44
February	37
March	61
April	129
May	135
June	145
July	315
August	447
September	168
October	130

The various health authorities in Delhi have been asked to intensify immunisation against poliomyelitis in their respective areas. The Railway authorities have also been requested to start immunisation of children against this disease in dispensaries under their control. The facilities for immunisation against this disease are also available in the Maternity and Child Welfare centres and centres attached to the Central Government Health Scheme. Sustained efforts are being made to inform and warn the public of the danger of Poliomyelitis through leaflets etc.

A working group comprising representatives of the Directorate General of Health Services, Delhi Administration, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi Municipal Committee and Municipal Corporation of Delhi has been asked to meet regularly to review the incidence of poliomyelitis and progress of the immunisation programme.

Since more than half the cases reported in Delhi were from outside, the neighbouring States of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Punjab have also been advised to intensify the immunisation programme.

Production of Steel, Iron, Stainless Steel, Zinc etc., during the last three years

1556. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the production of steel, iron, stainless steel, zinc, aluminium and copper in the country during the last three years, year-wise; and

(b) The steps taken or proposed to be taken in to increase their production ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) The Production year-wise, of steel, iron, stainless steel, zinc, aluminium and copper in the country during the last three years, is given below :

('000 tonnes)

S.No.	Material	1974-75	1975-76	1976-77
1.	Finished steel .	5,694	5,739	7,302
2.	Saleable Pig Iron.	1,366	1,395	1,829
3.	Stainless Steel	6.7	8.2	13.5
4.	Zinc .	22.0	27.8	27.0
5.	Copper .	9.9	18.6	22.4
6.	Aluminium	126.6	187.3	208.7

(b) A progressive increase in the production of iron and steel is expected as a result of better utilisation of existing capacity, commissioning of the remaining units of first stage of Bokaro Steel Plant and the completion of the schemes of expansion of Bhilai and Bokaro Steel Plants to a capacity of 4.0 million ingot tonnes. Possibilities of introducing technological innovations at Bhilai and Bokaro are also being examined which would help to increase production with marginal capital investment. The Government has also sanctioned Stage I of Salem Steel Project which, on completion will produce 32,000 tonnes of cold rolled stainless steel flat products annually.

As regards zinc, additional capacity at Debari Zinc Smelter and the new Visakhapatnam Smelter has been commissioned recently. Rajpura, Dariba and Zawarmala mines of Hindutan Zinc Limited are also proposed to be developed to imporve availability of indigenous ore and concentrates. A number of new projects like Malanjkhan Surda expansion, Mosaboni and Chandmari expansion have been taken up to increase the production of copper ore. The production of aluminium in 1977-78 may, however, be somewhat lower than last year due to reduced availability of power.

उत्तर प्रदेश के नगरों और कलकत्ता के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाएं

1557. श्री **सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी कस्बे अथवा नगर और कलकत्ता के बीच अभी तक डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था द्वारा कलकत्ता को तत्काल कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी से जोड़ने की मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो इन नगरों को कलकत्ता से जोड़ने के लिए विभाग कितना समय लेगा ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) कलकत्ता को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के साथ नहीं जोड़ा गया है ।

कलकत्ता और कानपुर के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों के जरिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । परन्तु इस समय इन एक्सचेंजों में अतिरिक्त यातायात का निपटारा करने की गुंजाइश नहीं है ।

(ग) और (घ) यातायात के अनुसार कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और कलकत्ता के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने का पर्याप्त औचित्य है । उन शहरों को लगभग तीन वर्षों के भीतर कलकत्ता के साथ उत्तरोत्तर जोड़ने की योजना बनायी गयी है ।

Reservation of Seats in Engineering Institutions for Mauritius Students

†1558. **Shri Natwarlal B. Parmar :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) The number of seats reserved for the students from Mauritius in the Engineering Institutes in India at present and whether Government propose to increase the number thereof; and

(b) If so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) & (b) From among seats given to this Ministry for allocation to foreign students, there is no fixed quota reserved either for Mauritius or for any other country. Decisions on allotment of seats are taken each year depending mainly on availability of seats and allotment of seats is made on the number of applications received from various countries. At the moment there is no proposal to increase the seats but the matter is reviewed from time to time.

रत्नगिरि में डाक सेवा एकक

1559. श्री **बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले में कितने चलते-फ़िरते डाक सेवा एकक काम कर रहे हैं ;

(ख) रत्नगिरि जिले में कितने गांव ऐसे हैं जहां कोई शाखा डाकघर, उप-डाकघर या चलता-फ़िरता डाकघर नहीं है और क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों में डाक सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो वर्ष 1977-78 में यह सुविधा कितने गांवों में उपलब्ध की जाएगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि शाखा डाकघरों में कार्य करने वाले ई० डी० ए० चलती-फिरती डाक सेवा में जाते हैं और इससे रत्नगिरि जिले में शाखा डाकघरों के काम के घण्टे काफी कम हो जाते हैं ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) 163

(ख) रत्नगिरि जिले में 601 ऐसे गांव हैं, जिनमें कोई शाखा डाकघर, उप-डाकघर या चलते-फ़िरते डाकघर की सेवा उपलब्ध नहीं है। 31-3-78 को समाप्त होने वाले चालू वर्ष की शेष अवधि में 128 गांवों में यह सुविधा देने का प्रस्ताव है ;

(ग) जी नहीं। जिन स्थायी डाकघरों को चल डाकघरों में बदला गया है उनके कुल काम के घंटों में कमी नहीं की जाती है। अलबता, जिन गांवों में वे डाकघर स्थायी डाकघरों के रूप में काम कर रहे थे, उन गांवों में काम के घंटों में कमी कर दी जाती है, ताकि चलते-फ़िरते डाकघरों के जरिए अतिरिक्त गांवों को सेवा पहुंचाई जा सके।

रत्नगिरि में अल्यूमिनियम परियोजना

1560. श्री **बापूसाहेब परुलेकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि (महाराष्ट्र) की एल्यूमिनियम परियोजना इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) इस परियोजना ने अब तक वर्ष-वार क्या प्रगति की है ;

(ग) क्या परियोजना द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने को कोई लक्षित तिथि नियत की गई थी और यदि हां, तो यह तिथि कब नियत को गई थी और यह क्या थी ; और

(घ) क्या कार्य इस नियत तिथि के अनुसार ही चल रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ख) रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना अप्रैल, 1974 में लगभग 79 करोड़ रुपए को उस समय अनुमानित लागत पर मंजूर की गई थी। वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। उन बाधाओं से निर्माण शुरू होने पर परियोजना के लिए आवश्यक धन की उपलब्धि के बारे में आश्वासन देना कठिन था। अतः परियोजना को शुरू करने के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई थी। परियोजना के लागत अनुमान अब पुनः तैयार किए गए हैं और उन पर विचार हो रहा है।

Languages spoken by Indian P.M. and Russian President at the Reception of Indian P.M.

†1561. **Shri Vinayak Prasad Yadav : Will the Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) the languages in which the Prime Minister, Shri Morarji Desai and the Russian President Shri Brezhnev delivered their speeches on the occasion of the reception held in Kremlin in honour of the Indian Prime Minister during the recent visit to the Soviet Union; and

(b) whether arrangement for Interpretation was also made; if so, the names of the languages in which the speech was interpreted ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) At the banquet held in his honour by the Soviet leadership, the Prime Minister delivered his speech in English and Mr. L. I. Brezhnev, President of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR and Genesal Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, spoke in Russian.

(b) As is customary on such ceremonial occasions in the Soviet Union, the speeches were not interpreted during the banquet. Copies of the translations of the Prime Minister's speech in Russian and President Brezhnev's speech in English were placed on the banquet table in front of each guest.

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण

1562. श्री **के० रामर्मूति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री मंत्रालय के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 127 पर लिखे निम्नलिखित वाक्य का स्पष्टोकरण देने की कृपा करेंगे :—

"योजना आयोग ने वर्ष 1977-78 के लिए 400 लाख रुपये के परिव्यय को अनुमोदित नहीं किया है और वर्ष 1977-78 के दौरान 300 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण का कार्य हाथ में लेना स्वीकार किया है।"

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री : इस वाक्य में 'नहीं' शब्द अनावश्यक है जो पाण्डुलिपि में भूल से आया है। जिसके लिये खेद है।

Hindi as Official Language of U.N.O.

†1563. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether even an application has not been made under Section 164 of the Rules and Procedure Code of the U.N. General Assembly for according recognition to Hindi as one of the official languages of the U.N.O.;

(b) whether every nation is free to use its own language in the U.N.O. as per Section 54 of the Rules and Procedure Code of U.N.O.; and

(c) if so, whether immediate steps would be taken to make Hindi one of the official languages of U.N.O. keeping in view the aspirations and enthusiasm of the Indian people in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a), (b) and (c) Under Rule 53, and not Section 54, of the Rules of Procedure of the U.N. General Assembly, it is possible for a speech to be made in any language other than the official languages recognised by the General Assembly. However, in this case, the concerned delegation has to make necessary arrangements for interpretation into one of the official languages of the General Assembly or the Committee concerned.

To obtain recognition for Hindi as one of the official languages of the U.N.O., an application has to be made under Rule 163, and not Rule 164, to amend Rule 51 of the Rules of Procedure of the U.N. General Assembly. Before moving a formal application, a process of consulting with other delegations is expedient and has been set in motion.

An addition of another official language would require a majority decision of the General Assembly. These factors would need to be carefully considered before steps can be taken to promote Hindi as an international language.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियम, 1977, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् को वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे और औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम, 1977

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I beg to lay a copy each of the following papers on the table :

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी० 11012/2/76-एमपीटी/एमई(पी) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1163/77]**

(2) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के वर्ष 1974-75 और 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा लेखे के प्रमाणित विवरण। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1164/77]**

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 की धारा 18 कि उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1165/77]**

(4) औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा सौंदर्य प्रशासधन (पहला संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 665 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1166/77]**

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) पहला संशोधन नियम, 1977

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) मैं निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) पहला संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां नि० 1070 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रख गए। देखिए संख्या एल० टी० 1167/77]**

खाद्य अपमिश्रण (चौथा संशोधन) नियम, 1977, गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति (संशोधन) नियम, 1977 और औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare Shri Jagdambi Prasad Yadav) : I beg to lay a copy each of the following papers on the Table.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 651 (ङ) में प्रकाशित हुए थे **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 1168/77]**

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1387 में प्रकाशित हुए थे **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1169/77]**

औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (दूसरा संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 926 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 1172 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन (चौथा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1427 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1170/77]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुल्फिकार उल्लाह की ओर से निम्नलिखित पत्रों, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 701 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1171/77]**।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (27वां संशोधन) नियम, 1977, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (27वां संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 322/77/सी०ई० में प्रकाशित हुए थे।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 323/77/सी०ई० से 326/77/सी०ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 24 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

उपर्युक्त (10) और (11) में उल्लिखित अधिसूचनाओं सम्बन्धि व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति **(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1173/77)**

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

समिति ने निर्णय किया है कि श्री मालन्ना के प्रस्ताव पर दक्षिण भारत में आये तूफान के सम्बन्ध में 12 से 3 बजे तक चर्चा की जाये और मध्यान्ह भोजन काल के दौरान सभा की कार्यवाही चलती रहे।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 1, सीमा-शुल्क प्राप्तियों से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष करों के पैराग्राफ 11, 12, 16 और 17 पर लोक लेखा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विदेश मंत्री की युगोस्लाविया की यात्रा के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : यूगोस्लाविया के संघीय कार्यकारी पार्षद के उपाध्यक्ष तथा विदेश कार्य के संघीय सचिव, महामान्य श्री मि० लैस मिनिक के निमंत्रण पर मैं 7 से 9 नवम्बर, 1977 तक यूगोस्लाविया की राजकीय यात्रा पर गया था। मेरी इस यात्रा का निमंत्रण उन्होंने बहुत पहले दिया था।

यूगोस्लाविया के साथ भारत के संबंध निकट और मैत्रीपूर्ण हैं। हमारे दोनों देश गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अगुआ और इसमें एक-दूसरे के साझीदार रहे हैं तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमने

एक-दूसरे को निकट सहयोग दिया है। जैसा कि आपको याद होगा, हमारा यह सहयोग उस युग से चला आ रहा है जबकि हमारे प्रथम प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति टीटो के साथ मिलकर विश्व के नवस्वाधीन राष्ट्रों का आह्वान करते हुए कहा था कि वे शक्ति गुटों के संघर्ष की राजनीति में न पड़कर आपसी सहयोग के माध्यम से अपने निर्णय की स्वाधीनता और अपने कार्य की स्वतंत्रता अर्जित करें। समान विचारधर्मा अन्य राष्ट्रों के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने गुटनिरपेक्षता के आदर्शों को सूत्रवद्ध किया। आज विश्व समुदाय के 87 राष्ट्र और संसार की आधी से अधिक आबादी गुटनिरपेक्षता के सिद्धातों से प्रेरणा लेती है और स्वच्छन्द एवं स्वैच्छिक सहयोग के माध्यम से उसने इस संस्था से शक्ति ग्रहण की है। भारत और यूगोस्लाविया के संबंध इन्हीं अनुप्रमाणित आदर्शों पर आधारित हैं।

विचार-विनिमय के लिए मंत्री स्तर की यात्रायें और अन्य यात्रायें हमारे द्विपक्षीय संबंधों की परम्परागत विशेषता रही है। स्वयं मेरी इस यात्रा का कार्यक्रम पहले जून के लिए बना था जो बाद में सितम्बर के लिए टल गया था। लेकिन दोनों ही बार इसे कुछ ऐसे कारणों से स्थगित करना पड़ा जिन पर मेरा कोई वश नहीं था। इन संबंधों की घनिष्ठता और महत्व को देखते हुए मैंने यह निश्चय किया था कि मुझे जितनी जल्दी अवसर मिलेगा मैं यूगोस्लाविया की यात्रा करूंगा। बेलग्राद में मैं यद्यपि दो दिन से अधिक नहीं ठहर सका लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 48 घंटे की इस अल्प अवधि में मुझे श्री मिनिक के साथ द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दो बार अत्यंत लाभदायक बात चीत करने का अवसर मिला। मुझे उप राष्ट्रपति दोरोन्ज्स्की, एसेम्बली के अध्यक्ष श्री ग्लिगोरोव, प्रधान मंत्री श्री जूरोनोविक, यूगोस्लाविया की साम्यवादी लीग की केन्द्रीय समिति की प्रेसिडेन्सी की कार्यकारी समिति के सचिव, श्री दोलांक तथा भारत यूगोस्लाविया संयुक्त समिति का सह-अध्यक्ष तथा यूगोस्लाविया के उप-प्रधान मंत्री श्री ब्रातूसा के साथ भी बात चीत का मौका मिला।

श्री मिनिक और अन्य यूगोस्लाव नेताओं के साथ मेरी जो बात चीत हुई उससे इस बात की पुष्टि हुई कि हम दोनों के विचारों में समानता है और हमारे दोनों देशों के बीच गहरी समझवूझ है

जैसा कि सदन को ज्ञात है, हमारे दोनों देशों ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के लिए शुरू से ही काम किया है। इसलिये यह उचित ही है कि हमने अपने कार्यकलापों की समीक्षा की और विभिन्न मंचों पर अपना सहयोग जारी रखने के लिए अपने प्रयत्नों को समन्वित किया। मेरी इस यात्रा से कोलम्बो में गुटनिरपेक्ष देशों के पांचवें शिखर सम्मेलन में और नई दिल्ली में मंत्रिस्तरीय ब्यूरो की बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा करने का तथा अगले वर्ष काबूल में ब्यूरो की प्रस्तावित बैठक की तैयारी के काम पर विचार विमर्श करने का भी अच्छा मौका मिला। काबूल की इस बैठक के बाद 1978 में ही बेलग्राद में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी।

अंन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर व्यापक विचार-विनियम में हमने कई महत्वपूर्ण विश्व समस्याओं पर बात चीत की। हमने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उपस्थित प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श किया जिसमें निरस्त्रीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आगामी विशेष अधिवेशन भी शामिल है।

हमने दोनों देशों के बीच विद्यमान बहुत अच्छे राजनीतिक संबंधों को और अधिक आर्थिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। हमारे दोनों देशों के बीच गैर-परम्परागत वस्तुओं के व्यापार विनिमय को बढ़ाने के लिए तथा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग की दिशा में नए नए काम करने की बहुत सी सम्भावनायें हैं। हम तीसरे देशों में सहयोग करने के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पर भी सहमत हुए। हमारे दोनों पक्षों ने यह भी स्वीकार किया कि हमारे लिए न सिर्फ मंत्रियों और अधिकारियों के स्तर पर ही बल्कि संस्थाओं के मध्य भी नियमित संपर्क रखना अत्यंत मूल्यवान है, जिनमें हमारे दोनों देशों के संसद भी शामिल है।

यद्यपि राष्ट्रपति टीटो से मेरी भेंट नहीं हो सकी, क्योंकि उन्हें कई देशों की श्रमसाध्य यात्रा के बाद पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया गया था, तथापि अपनी इस यात्रा में मैंने श्री मिनिक के माध्यम से प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई का शुभकामना संदेश उन तक पहुंचा दिया था। मैंने युगोस्लाविया के विदेश मंत्री को भारत यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया और हम आशा करते हैं कि हमें निकट भविष्य में ही उनके स्वागत का सुअवसर प्राप्त होगा।

मैं जर्मन संघीय गणराज्य के प्राधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए विशेष परिवहन की व्यावस्था की जिसकी वजह से मैं बेलग्राद से लौटते समय बौन्न जा सका और वहां जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री, श्री गैनशर के साथ मेरी मूल्यवान बैठक हो सकी। श्री गैनशर के साथ इस बातचीत में मैंने विगत सितम्बर में न्यूयार्क में उनके साथ हुई भेंट के बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार-विनियम किया। हमने कई प्रश्नों पर बातचीत की जिसमें बड़े राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध, यूरोप में तनाव-शैथिल्य, पड़ोस की घटनायें तथा अफ्रीका और पश्चिम एशिया की घटनायें भी शामिल हैं। हमने विविध आतंकवाद की अभिव्यक्तियों के खतरों पर भी विचार किया और हम इस बात पर सहमत हुए कि इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल कर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

यूगोस्लाविया की मेरी यात्रा के अन्त में प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्ति की भी एक प्रति मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा।

भारत गणराज्य के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7 से 9 नवम्बर 1977 तक युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य की यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य की संघीय कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष और विदेश कार्य के संघीय सचिव श्री मिलोस मिनिक के निमंत्रण पर विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 से 9 नवम्बर 1977 तक युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य की सरकारी एवं सद्भावना यात्रा की।

यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने युगोस्लाविया समाजवादी संघीय परिषद् की प्रेसीडेंसी के उपाध्यक्ष श्री स्टीवेन दोरोंज्स्की से भेंट की। श्री वाजपेयी ने युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य की एसेम्बली के अध्यक्ष श्री किरो ग्लिगोरोव, संघीय कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष, वेसलीन जुरानोविक से, तथा युगोस्लाविय लीग आफ कम्युनिस्ट्स की केन्द्रीय समिति की प्रेसीडेंसी की कार्यकारी समिति के सचिव श्री स्टेन दोलांक और संघीय कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष श्री एतोन अतुला से भी भेंट की। भारत के विदेश मंत्री ने माउन्ट अवाला में अज्ञात सैनिक के स्मारक पर (मेमोरियल आफ अननोन सोल्जर) फूलमाला भी चढ़ाई।

भारत के विदेश मंत्री का जो हार्दिक स्वागत किया गया, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्रिपूर्ण संबंधों का परिचायक था, उससे वे बहुत प्रभावित हुए।

दोनों मंत्रियों में अंतर्राष्ट्रीय मसलों एवं प्रमुख महत्व के द्विपक्षीय संबंधों के विविध पक्षों पर विचार-विमर्श हुआ। यह बातचीत परम्परागत मैत्री तथा आपसी विश्वास के वातावरण में हुई। इस बातचीत से इस बात की पुष्टि हुई कि चर्चित विषयों के संबंध में उनके विचारों में निकट समानता है। जोकि दोनों देशों के बीच विद्यमान गहरी समझ-बूझ का परिचायक है। दोनों मंत्रियों की सहायता निम्नलिखित अधिकारियों ने की।

युगोस्लाव पक्ष

1. श्री मिलजान कोमातिना
   सहायक विदेश संघीय सचिव

2. श्री इलिजा तोपालोस्की,
संघीय विदेश कार्य सचिवालय में राजदूत

3. श्री द्रगोमोर पेत्रोविक,
संघीय विदेश कार्य सचिवालय में राजदूत

4. श्री इवां कोजिक,
संघीय विदेश कार्य सचिवालय के मंत्रिमण्डल के प्रमुख

5. श्री लकोस्लाव पेजिक
संघीय विदेश कार्य सचिवालय के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया विभाग के निदेशक

6. श्री पावल जेब्रेमोविक,
संघीय विदेश कार्य सचिवालय में परामर्शदाता

भारतीय पक्ष

1. श्री जं० एस० मेहता,
विदेश सचिव

2. श्री नटराजन कृष्णन,
युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य में भारत के राजदूत

3. श्री ए० के० दामोदरन,
अवर सचिव

4. श्री एस० एन० पुरी,
बेग्रोग्राद स्थित भारत के राजदूतावास में परामर्शदाता

5. श्री ए० मुबई,
विदेश मंत्री के विशेष सहायक

6. श्री आर० सेन,
उप सचिव

दोनों मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी निष्ठा को तथा प्रभुसत्ता, स्वंतन्त्रता, समानता, अहस्तक्षेप और परस्पर समान के सिद्धांतों में अपना विश्वास पुनः दुहराया जिन्हें कि वे दो राष्ट्रों के बीच उचित व्यवहार की आधार मानते हैं।

दोनों मंत्रियों ने बल पूर्वक यह बात कही कि राष्ट्रों के बीच शांति और सद्भावना बढ़ाने में गुट-निरपेक्षता की नीति की सतत वैधता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भूमिका एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस संबंध में उन्होंने कोलम्बो शिखर सम्मेलन और अप्रैल 1977 में नई दिल्ली में समन्वय ब्यूरो की मंत्रि-स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों को दुहराया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्ष देशों की गति-विधियों के विस्तार पर संतोष व्यक्त किया जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 31वें और चालू 32वें सत्र में तथा गुटनिरपेक्ष देशों की सभा और '77' विकासशील देशों के समूह में व्यक्त की गई थीं। इस बात पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया गया कि गुटनिरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सूचना तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के प्रति और 1976 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन और कोलम्बो शिखर सम्मेलन में इसके लिए निर्धारित कार्यों और लक्ष्यों के प्रति

अपनी सतत बचनवद्धता को पुनः दोहराते हुए, दोनों मंत्रियों ने साराजीवो में गुट निरपेक्ष देशों के प्रसारण संगठनों के हाल ही में संपन्न हुए प्रथम सम्मेलन के परिणाम पर भी संतोष व्यक्त किया।

आर्थिक विकास के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के महत्व पर बल देते हुए, दोनों मंत्री इस क्षेत्र में गुट निरपेक्ष देशों के बीच और अधिक व्यापक सहयोग की आवश्यकता पर भी सहमत हुए।

इस तथ्य के बावजूद कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को निरन्तर दबावों का खतरा बना रहता है जिनका उद्देश्य संघर्षों और मतभेदों को उकसाना होता है, फिर भी इस बात की आवश्यकता के प्रति आज अधिक जागरूकता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से एकता तथा संगठित कार्यवाही के और अधिक मजबूत करने की जरूरत है।

दोनों मंत्रियों ने विशेषकर काबुल में होने वाली आगामी गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक और जुलाई 1978 के अन्त में बेलग्राड में होने वाली गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के महत्व पर जोर दिया और इन बैठकों की सफलता में योगदान देने के प्रति अपनी तत्परता दिखाई।

दोनों पक्षों ने तनाव-शैथिल्य की प्रवृति को सुदृढ़ करने के महत्व पर जोर दिया और यह माना कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के विस्तार करने के गुट निरपेक्ष देशों के प्रयास जारी रहने चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने में 'सी एस सी ई' की बेलग्राड बैठक में किए जा रहे प्रयासों का रचनात्मक दृष्टि से मूल्यांक किया और आशा व्यक्त की कि यह बैठक सफल होगी।

दक्षिण एशिया की स्थिति पर और इस उप महाद्वीप में अच्छी प्रतिवेशिता के वातावरण का सृजन करने की दिशा में भारत की नई सरकार को जो सफलता मिली है, उस पर विचार कर लेने के बाद दोनों मंत्रियों ने इस क्षेत्र के देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार पर संतोष व्यक्त किया। दोनों मंत्री इस बात से आश्वस्त थे कि लाभदायक सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने से इस क्षेत्र के संसाधन और यहां की जन-प्रतिभा रचनात्मक विकास के लिए उपलब्ध होगी।

हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया की स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों मंत्रियों ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र में बदलने के इस क्षेत्र के देशों की पहल को अपना समर्थन देने की बात की पुनः पुष्टि की। उन्होंने बड़ी शक्तियों और समुद्र का इस्तेमाल करने वालों से यह अनुरोध किया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन संबंधी सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र में किए गए विभिन्न प्रस्तावों के अनुरूप इस लक्ष्य के प्राप्त करने में इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करें।

भूमध्यसागर की स्थिति पर विचार-विमर्श करते हुए दोनों मंत्रियों ने कोलम्बो शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों के अनुसार भूमध्य सागर को शांति क्षेत्र में बदलने के सतत प्रयत्नों की आवश्यकता पर जोर दिया।

दोनों मंत्रियों ने मध्य-पूर्व की स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह बात कही कि इस समस्या का कोई ऐसा न्यायोचित समाधान निकलना ही चाहिए जो, इस बात पर आधारित हो कि 1967 में इजराइल की सेनाओं ने अरब के जिन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था वहां से वे पूरी तरह हट जायें और फिलीस्तीन के लोगों के वैध राष्ट्रीय अधिकार को स्वीकार किया जाय जिसमें एक स्वतंत्र फिलीस्तीनी राज्य की स्थापना का अधिकार भी शामिल है; उन्होंने इस पर भी बल दिया कि पश्चिम एशिया के सभी राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व तथा विकास का अधिकार भी सुनिश्चित होना चाहिए।

दोनों मंत्रियों ने अफ्रीका की घटनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया । उन्होंने यह स्वीकार किया कि अफ्रीका के वर्तमान संघर्षों का समाधान अफ्रीकी एकता संगठन, चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांतों के अनुसार बातचीत के जरिए खोजा जाना चाहिए ।

दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए जिम्बाबवे और नामिबिया के लोगों के संघर्ष को अपना दृढ़ समर्थन देने की प्रतिज्ञा की । दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने देशों के इस दृढ़ निश्चय को पुनः दोहराया कि वे उपनिवेशवाद, जाति-भेद-भाव और जातीय पृथग्वासन की शक्तियों के विरुद्ध अपने संघर्ष में जिम्बाबवे, नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका की जनता को पूर्ण नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक समर्थन देते रहेंगे ।

दोनों पक्षों ने साइप्रेस गणतंत्र की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता, प्रादेशिक अखंडता और गुटनिरपेक्षता को अपना दृढ़ समर्थन देने की बात दुहरायी और साइप्रस की समस्याओं के शांतिपूर्ण हल के हित में संबद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के क्रियान्वयन की मांग की ।

दोनों मंत्रियों ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अपेक्षाकृत न्यायोचित तथा संतुलित संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति के अभाव पर चिंता व्यक्त की । उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए अपना निश्चय जारी रखने तथा अपनी गतिविधि तेज करने की बात दुहराई ।

दोनों पक्षो ने हथियारों की होड़ में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की । इससे सामग्री की बहुत बड़ी मात्रा तथा जनशक्ति का अपव्यय होता है जो दुनिया की तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी हैं, और खासकर विकासशील देशों के लिए इनकी बड़ी आवश्यकता है । दोनों मंत्री इस बात पर सहमत थे कि जहां तक बन पड़े हथियारों की होड़ को रोकने के लिए और कठोर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत सामान्य निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की पहल करना आवश्यक है । गुटनिरपेक्ष देशों को चाहिए कि वे निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन को सफल बनाने का हर संभव प्रयत्न करें ।

दोनों मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव में शिथिलता, शांति की दृढ़ता तथा आपसी लाभदायक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को शक्तिशाली बनाने के प्रयास में अपने निश्चय की पुनः पुष्टि की । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विभिन्न अभिकरणों की क्षमता को शक्तिशाली बनाने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा दिये गये निरंतर समर्थन तथा मूल्यवान सहयोग की उन्होंने चर्चा की।

दोनों मंत्रियों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विकास पर पुनर्विचार किया और उस पर संतोष प्रकट किया तथा इसे आपसी जरूरतों एवं संभावनाओं के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी बनाने की दिशा में नई गति देने पर विचार किया । उन्होंने यह आशा तथा विश्वास व्यक्त किया कि और गंभीर आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में मई, 1977 में नई दिल्ली में भारत-यूगोस्लाव संयुक्त समिति के 11वें अधिवेशन में जो निष्कर्ष निकाले गए एवं जो समझौते हुए उन्हें तेजी से कार्यान्वित किया जायेगा ।

वे इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों की अर्थ व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई समुन्नतता और विविधता ने एक बढ़ती हुई अनुपूरकता पैदा कर दी है जिससे और औद्योगिक सहयोग तथा अपरम्परागत वस्तुओं के अधिक व्यापार-विनिमय की नई संभावनाएं पैदा हुई हैं । इस संदर्भ में यह सहमति हुई कि उपस्कर, सामग्री तथा सेवाओं की आपूर्ति में उत्पादन-सहयोग के साथ-साथ तीसरे देशों के साथ संयुक्त

व्यापार करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए, विशेषकर गुटनिरपेक्ष तथा विकासशील देशों के बीच सहयोग के ढांचे के अंतर्गत, जैसा कि कोलम्बो-घोषणा में बताया गया है ।

दोनों मंत्री विभिन्न स्तरों पर घनिष्ठ संपर्क रखने तथा परामर्श करते रहने के लिए सहमत हुए ताकि द्विपक्षीय तथा अंतराष्ट्रीय संबंधों के विषय में उनका घनिष्ठ सहयोग और दृढ़ करने की दिशा में विचार-विनिमय होता रहे।

भारत के विदेश मंत्री ने अपना तथा अपने दल के सदस्यों का युगोस्लाविया समाजवादी संघीय लोकतंत्र द्वारा अत्यंत हार्दिक आतिथ्य किये जाने के लिए विदेश कार्य के संघीय सचिव के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की । उन्होंने विदेश मंत्रालय के संघीय सचिव को भारत आने का निमंत्रण दिया जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

28 नवम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 28 नवम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की सरकारी कार्य सूची से बची हुई किसी भी मद पर विचार ।

(2) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(क) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(ख) स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(घ) ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(ङ) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(3) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा ।

(4) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(क) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1977
(विचार तथा पास करना)

(ख) कंपनी संशोधन विधेयक 1977
(विचार तथा पास करना)

(ग) बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में
(विचार तथा पास करना)

5. (क) दो गंभीर रेल दुर्घटनाओं पर दिये गये वक्तव्य के बारे में बुधवार 30 नवम्बर 1977 को आगे चर्चा ।

(ख) नियम 193 के अधीन दिल्ली की आवास समस्या के बारे में बुधवार 30 नवम्बर, 1977 को सांय 5 बजे से 6 बजे तक चर्चा।

(ग) समाचर संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव पर गुरुवार 1 दिसम्बर, 1977 को चर्चा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कान्नानूर) : जब केरल तथा पश्चिम बंगाल के लोग केन्द्रीय नोकरियों के लिए भर्ती किए जाते हैं तो उनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव भेजें, उस पर कार्य मंत्रणा समिति विचार करेगी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) **:** यह गम्भीर मामला है । मंत्री महोदय को यहां होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय: मामला प्रस्तुत होने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : कई मामले ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता । मुझे पता चला है कि नियम 377 के अधीन सभी मामले.....

अध्यक्ष महोदय : सोमवार और मंगलवार को बाद दोपहर केवल विधान कार्य लिया जा सकेगा क्योंकि राज्य सभा में कार्य नहीं है ।

आप नियम 377 के अधीन नोटिस दे सकते हैं । मैं आपको समय दूंगा।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कम्पनी अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शान्ति भूषण: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani) : Janta Party had made a promise in their Elsection Manifesto that the report of Kaka Kalelkar would be implemented. That report is pending for long.

दक्षिण के राज्यों में समुद्री तूफान के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : CYCLONES IN THE STATES IN THE SOUTH

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दक्षिण के राज्यों के कई तटीय क्षेत्रों में हाल में आये भयंकर समुद्री तूफान पर, गहरी चिन्ता व्यक्त करती है जिससे भयंकर तबाही हुई, लोग मारे गये और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, और सरकार से अनुरोध करती है कि प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार करने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर तुरन्त राहत कार्य आरम्भ किया जाये।"

हाल में हुई यह विनाश लीला सबसे भयंकर है। बंगाल की खाड़ी के इन तटीय राज्यों में समुद्री तूफान प्रायः आते रहते हैं। इस तरह के समुद्री तूफानों से ये राज्य प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार सभा को बताए कि वे लोगों को इस बारे में पूर्व चेतावनी देने में इतनी बुरी तरह असफल क्यों रही है और इतने बड़े पैमाने पर हुई जन-धन की हानि को कुछ हद तक रोकने के लिए उपाय करने में असमर्थ क्यों रही है।

सरकार कह सकती है कि उन्होंने रेडियो के माध्यम से मौसम के बारे में पूर्व सूचना दे दी थी और तट पर संकेत दे दिये थे। किन्तु क्या ऐसा करना पर्याप्त था ? आज के आधुनिक युग में इतना करना काफी नहीं है। गत वर्ष जब चीन में भयंकर भूकम्प आया था और प्रत्येक को यह आशंका हो गई थी कि लाखों लोगों की जानें जायेंगी तो वहां की सरकार ने क्या किया कि लोगों को काफी समय पूर्व चेतावनी दे दी और उन्हें खुले स्थल में रहने के लिए कह दिया। भूकम्प आने से पूर्व लाखों लोग खुले स्थानों पर आ गए और इस तरह उन्होंने लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठाने में असफल रही है।

यह भी कहा गया है कि सर्वत्र सेना लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार थी और उनकी हर संभव सहायता कर रही थी। उन्हें पहले भी सतर्क किया गया था। किन्तु यह समझ में नहीं आता कि इसमें किस की असफलता रही है। जो भी इस स्थिति को टालने में असफल रहा है, उसकी यह आपराधिक असफलता है, जिसके कारण हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। सभा को यह बताया जाना चाहिए कि वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार कौन है और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

समीया की गम्भीरता के बारे में इसका केवल उल्लेख किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई है। शायद यह सरकार का प्रारम्भिक अनुमान है। मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक है। सम्पत्ति की हुई क्षति करोड़ों रुपयों में होगी। प्रश्न यह नहीं है कि दक्षिण में क्या हुआ। वहां जो कुछ हुआ है, उसका उत्तर भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, समूचे देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार को यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेनी चाहिए। इसे केवल राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए और केवल वित्त आयोग के सुझावों से ही काम नहीं चलेगा। सरकार को इस समस्या के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और संबंधित राज्यों तथा प्रभावित लोगों को सहायता देने में उदारता दिखानी चाहिए।

स्मरण रहे कि 10-15 वर्ष पूर्व ताशकंद में एक भंयकर भूकम्प आया था। उसमें हजारों लोगों को मृत्यु हुई थी। इसके एक वर्ष पश्चात् मुझे ताशकंद जाने का अवसर मिला और मैंने देखा कि उस प्राकृतिक आपदा का वहां नामोनिशान भी नहीं था। उन्होंने ऐसा कैसे किया ? उन्होंने सब को कहा कि वे इसके पुनर्निर्माण में सहयोग दें। हमारे देश में भी सब राज्यों को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल के पुर्ननिर्माण में सहयोग देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक राज्य को एक या दो जिलों के पुर्ननिर्माण का काम सौंप दे।

तत्काल ही मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए जिसमें प्रधान मंत्री तथा केन्द्र में संबंधित मन्त्रियों को भी भाग लेना चाहिए और उन्हें हार्दिक अपील करनी चाहिए कि दक्षिण में जिन लोगों को इस तूफान के कारण कठिनाई है, सब उनकी मदद करने के लिए सामने आयें। स्वयं संगठनों, राजनीतिक दलों तथा अन्य संगठनों को संकट की इस घड़ी में उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

समाचार है कि मरे हुए लोगों के शवों के सड़ने के कारण लोग गांवों को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहां दुर्गन्ध चल रही है और इससे महामारी फैलने का डर है। अतः प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को टीके लगाए जाने चाहियें और उन्हें अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। दूसरे, कुछ दिनों के बाद प्रभावित लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना चाहिए। राहत उपायों के रूप में उन्हें कपड़े तथा अन्य सुविधाएं मुफ्त दी जानी चाहिएं। वहां बड़ी संख्या में घर उजड़े हैं। उन लोगों को अपने मकानों को बनाने के लिए अनुदान के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। उन क्षेत्रों के किसानों पर जो भी ऋण है, उसे बट्टे खाते में डालने के लिए सरकार को तुरन्त आदेश देने चाहियें। आने वाले समय में उनसे राजस्व तथा अन्य देय राशियां नहीं ली जानी चाहियें। भूमि कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिएं। भविष्य में लोगों को काफी समय पहले चेतावनी देने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : हम इस प्राकृतिक आपदा से बहुत ही चिन्तित हैं और तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश केरल, कर्नाटक, तथा लक्षद्वीप के लोगों के प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति है। जब इस तरह की भयंकर तबाही हुई है तो हमें उन लोगों की सहायता करने के लिए वित्त मंत्रालय की पुरानी

पुस्तकों, मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा मापदण्डों को नहीं देखना चाहिए जो कि कुछ दशकों पहले बनाए गए थे। समस्याएं बहुत विकट हैं। अतः जो लोग उनकी समस्याओं को समझ सकें, उन्हें ही वहां भेजा जाना चाहिए ताकि वे स्थिति का सही अनुमान लगा सकें।

समाचारपत्रों तथा जो कुछ जानकारी हमें अन्य स्रोतों से मिली है, उससे पता चलता है कि तूफान के आने की सूचना 18 से 24 घंटे पहले मिल गई थी जब प्रशासन को ऐसा पता चल गया था तो क्या कदम उठाये गए थे। यही मुख्य प्रश्न है जिसे सरकार को स्वयं से पूछना चाहिए और हम चाहते हैं कि सरकार हमें इसका उत्तर दें। जब पहले ही सूचना मिल गई थी तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई तन्त्र नहीं था जिसके द्वारा लोगों को इस बारे में चित किया जाता ? क्या इसके लिए रेडियो तथा प्रसारण व्यवस्था को काम में नहीं लाया जा सकता था ? यदि हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो हमें इसके लिए विशेष प्रबन्ध करने चाहिएं।

विज्ञान में हुई प्रगति का हमें लाभ उठाना चाहिए। वहां के तटीय क्षेत्रों पर स्थान-स्थान पर स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि वे केवल जलयानों को ही नहीं अपितु उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी भयंकर तूफानों के बारे में पूर्व चेतावनी दे सकें। गांव वालों को जानकारी देने के लिए समुचित संचार व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे लोग अपना जीवन बचा सकें।

हम सरकार से यह जाना चाहते हैं कि राहत कार्य कितना किया गया है। सरकार अवश्य राहत उपाय करेगी और हम भी उनसे ऐसा करने के लिए कहेंगे। किन्तु उन्हें विज्ञान सम्बन्धी निकायों से पूछना चाहिए कि वे इस मामले में क्या कर रहे हैं ? यदि किसी प्रकार की तैयारी में कोई त्रुटि है तो उन्हें दूर करने के लिए क्या करना है ? यदि आवश्यक हो तो वैज्ञानिकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों का एक दल बनाया जाये जो कि इस मामले पर विचार करे। इस समस्या का समुचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि हमें विश्वास हो जाये कि भविष्य में इस तरह की विनाश लीला नहीं होगी और यदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आयें भी तो हम अपने लोगों तथा देश को कम से कम हानि होने दें।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर): यह केवल आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की ही आपदा नहीं है अपितु समूचे देश की है। यह तो एक राष्ट्रीय आपदा है। सरकार को कुछ उपचारात्मक उपाय करने चाहिएं। इस विनाश को रोकने का एक उपाय यह बताया गया है कि कंक्रीट के मकान बनाए जायें जो कि तीव्र गति से आने वाले तूफान का सामना कर सकें।

हमारे पास देश में उपग्रह केन्द्र हैं जो कि लोगों को मौसम के बारे में पूर्व सूचना दे सकते हैं। इसी कारण हम जानना चाहते हैं कि सरकारी ऐजेन्सियों ने उन लोगों को तूफान के आने से पूर्व गांव खाली करने के लिए क्यों नहीं कहा। यदि समय पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो फिर मौसम के बारे में समाचार प्रसारित करने का क्या फायदा है। मौसम विभाग द्वारा एकत्रित की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को प्रसारित किया जाना चाहिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए जो कि इससे सम्बन्धित हैं।

ठीक ही कहा गया है कि हजारों लोगों की जानें गई हैं। देशवासियों को इन अभागे लोगों की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। केवल तभी यह विकट समस्या हल हो सकती है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को ही नहीं, अपितु सभी लोगों को अपना कार्य समझकर इसमें योगदान देना चाहिए। संसद सदस्यों को भी अपना अंशदान करना चाहिए। मैं अपनी ओर से इस कार्य लिए अपने एक महीने का वेतन देने के लिए तैयार हूं।

***श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट): तूफान से तामिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के लोगों को जो दो बार शिकार बनना पड़ा है। और उसके कारण उनकी जो दुर्दशा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता वास्तव में प्रकृति को इस प्रकोप से सभी दक्षिणी राज्य कुचल रही है। प्रायः यह महसूस किया गया है कि समुद्री तूफान का पता लगाने सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण इस तरह की दुखद घटनाएं होती हैं। केन्द्रीय सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। भविष्य में इस तरह की विनाश-लीला न हो इसके लिए समुद्री तूफानों का पता लगाने वाले यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महसूस किया गया है कि वर्तमान प्रशासनिक तन्त्र की भी कुछ असफलता है जिससे तूफान का प्रभाव और अधिक बढ़ा है। समुद्री तूफान के आने की पूर्व सूचना तीन सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए थी ताकि निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते थे। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नही किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

वर्तमान समुद्री तूफान से समूचा कर्नाटक राज्य प्रभावित हुआ है। पालघाट जिले में जन-धन की अधिक हानि हुई है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह वहां के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए ताकि वे स्थिति का सामना कर सकें।

यदि विज्ञान इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है तो सम्भावित तूफान के आने के बारे में एक सप्ताह पूर्व सूचना देना कठिन नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल): हमें याद है कि आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आये इस समुद्री तूफान के कारण जो विनाशलीला हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई। इससे भयंकर हानि हुई है। यह एक ऐसी विपदा है, जिसका सामना राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती। यह उचित समय है कि अध्यक्ष अपनी ओर से एक संकल्प पेश करें तथा वहां के प्रभावित लोगों को विश्वास दिलाएं कि समूची संसद तथा राष्ट्र उनके पीछे है।

आन्ध्र प्रदेश के कुछ संसद् सदस्य प्रधान मन्त्री से मिले हैं। संतोष की बात है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन लोगों की यथासंभव मदद की जायेगी। हमें आशा है कि उनके इस आश्वासन से उन राज्यों की समस्याओं को हल करने में काफी मदद मिलेगी।

इस तरह की आपदा का सामना तीन ढंग से करना है। पहला यह है कि तत्काल राहत पहुचाई जाये। दूसरा यह है कि लोगों का तत्काल पुनर्वास किया जाये और तीसरा यह है कि इस पर व्यापक रूप में विचार किया जायें। स्वास्थ्य की सबसे अधिक बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में शवों के सड़ने गलने के कारण वहां बदबू चल रही है। इससे चेचक तथा कोई अन्य भयंकर महामारी हो सकती है जो कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी खतरनाक हो जायेगा। इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

26 LSS/77—10.

वहां के लोगों के पुराने ऋणों को बट्टे खाते में डालकर उन्हें पुनः ऋण देना चाहिए ताकि वे पुनः बच सकें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को वहां के किसानों को बीज उर्वरक तथा अन्य वस्तुयें देनी चाहिए ताकि वे अगली फसल उगा सकें।

सबसे अधिक दुर्दशा तटीय क्षेत्रों के मछेरों की है। हमें उनकी अधिकाधिक सहायता करनी चाहिए। 1970 में जब इस तरह का तूफान आया था तो हमने उन्हें पक्के मकान देने शुरू किए थे।

[श्री डी० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Sh. D. N. Tiwari in the Chair]

अब सरकार की आखें खुल जानी चाहिए और उन्हें पिछले 100 वर्षों से अब तक का समुद्री तूफान के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि तट पर संवेदनशील स्थान कौन-कौन से हैं, जिन पर तूफान का प्रतिवर्ष प्रभाव पडता है। उस स्थानों पर रडार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग को काफी समय पहले जानकारी मिल जाये।

इसी तरह बुनकरों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्हें ऋण दिये जाने चाहिए ताकि वे अपने व्यवसाय को पुनः चालू कर सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) दक्षिण भारत के पांच राज्यों अर्थात तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पांडिचेरी, केरल तथा कर्नाटक में जो भयंकर तबाही हुई है, वह केवल इन्हीं राज्यों की तबाही नहीं है अपितु समूचे राष्ट्र की तबाही है। इस प्राकृतिक आपदा का सामना राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। मुझे आशंका है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को उतना महत्व नहीं दिया है जितना कि दिया जाना चाहिए।

इस समुद्री तूफान से भारी संख्या में लोगों की मृत्यु ही नहीं हुई बल्कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। फसलों को ही नहीं अपितु कृषि भूमि को भी भारी क्षति पहुंची है। अतः यह दो प्रकार की आपदा है। एक तो यह उन लोगों के लिए आपदा है जो इससे प्रभावित हुए हैं और दूसरे यह राष्ट्रीय आपदा है कि हमारी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बर्बाद हो गई है।

आज विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक ज्ञान से हमें यह पता चल जाता है कि तूफान आ रहा है, और वह किस दिशा की ओर बढ़ेगा। यह भी पता चल सकता है कि उसकी गति क्या है, और उससे कितनी हानि होने की सम्भावना है। अतः इस बात का पता लगाना होगा कि क्या सरकार ने समय पर अपेक्षित जानकारी प्राप्त की। और क्या उस जानकारी को उस क्षेत्र में भेजा जा सकता था, जहां तूफान आने वाला था। मंत्रालय को इस मामले की जांच करनी चाहिए और यह आश्वाशन देना चाहिए कि भविष्य में सरकार की भूल के कारण लोगों को इस तरह की तबाही का सामना न करना पड़े।

अब तो मुख्य कार्य यह है कि सहायता कार्य तेज किया जाए। क्योंकि तूफान अथवा बाढ़ आने से महामारी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः सरकार को चिकित्सा संस्थाओं की सहायता लेनी चाहिए। पीड़ित लोगों के पास डाक्टर भेजे जाने चाहिए और प्रभावित लोगों के लिए औषधियों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस तूफान का सर्वाधिक प्रभाव मच्छेरों पर पड़ा है, क्योंकि वे लोग तट पर ही रहते हैं। अतः हमें इस बात का भरसक प्रयास करना चाहिए कि जो मच्छेरे बच गए हैं, उन्हें पुनः ऐसी स्थिति में लाया जाय ताकि व अपने पैत्रिक व्यवसाय में जमें रहें। उनका पूरी तरह से पुनर्वास करना होगा। उन्हें अपना नया जीवन आरम्भ करने में सरकार को उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए।

किसानों ने सरकार से जो कर्ज लिए हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ समय तक उन्हें निःशुल्क बीज तथा उर्वरक दिए जाने चाहिएं।

उन सभी राज्यों में, जिनमें तूफान आया है, विद्युत सम्भरण पर भी प्रभाव पड़ा है। अतः बिजली की सप्लाई करने वाले स्टेशनों को ठीक करना भी नितान्त आवश्यक है।

एक राष्ट्रीय समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें सभी राज्यों के मुख्य मंत्री होने चाहिए। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को भी उस समिति में लिया जाना चाहिए। सामाजिक जीवन के प्रमुख लोगों तथा समाज सेवा करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस समिति में सम्मिलित किए जाने चाहिए। इस समिति का काम यह पता लगाना होगा कि यदि भविष्य में भी यही हालात पैदा होंगी तो उनका सामना किस तरह किया जायेगा।

श्री वेणु गोपाल गौंडर (डान्डी वाडा) : तमिलनाडु राज्य के लोगों को प्रकृति के भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इस अभूतपूर्व तूफान ने उनके जीवन को तबाह करके रख दिया है। हजारों एकड़ भूमि जिसमें फसलें पककर काटने के लिए तयार थीं पानी में डूब गई। केले और नारियल के करोडों रुपये के मूल्य के वृक्ष नष्ट हो गए। केन्द्रीय सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि तूफान पीडीतों की देखभाल करना केवल राज्य सरकार का काम है। इसमें किसी तरह का भाषाई अथवा क्षेत्रीय भेदभाव नहीं आना चाहिए। पीड़ित लोगों की सभी प्रकार की आर्थिक और भौतिक सहायता की जानी चाहिए।

करूर बांध के फटने से वहां अत्यधिक हानि हुई है। सैकड़ों घर, पशु, महिलाएं तथा बच्चे बाढ़ में बह गए। डिंडीगुल कस्बा तो अभी तक पानी में डूबा हुआ है। मुझे शक है कि इस बांध योजना तथा उसके निर्माण में भारी त्रुटियां थीं। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार को न्यायिक जांच कराने का आदेश दें ताकि इस बांध के निर्माण के समय जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनका पता चल सके और दंड दिया जा सके।

राज्य में कृषि कार्य बिलकुल ठप्प हो गया है। किसानों को तुरन्त वित्तीय सहायता की जरूरत है। प्रति किसान को 5,000 रुपये की राज सहायता तथा न्यूनतम ब्याज की दर पर 5,000 रुपये दीर्घावधि ऋण दिया जाना चाहिए। तभी कृषि कार्य पुनः आरम्भ किया जा सकेगा।

तमिलनाडु में तालाबों के बांध टूट चूके हैं और पुनः वर्षा होने से उनका पानी साथ के क्षेत्रों में भर जायेगा। इसलिए राज्य सरकार को इन तालाबों के बांध पुनः बनाने के लिए वित्तीय सहायता तुरन्त दी जानी चाहिए।

Shri Ramnji Lal Suman (Ferozabad) : This is the biggest natural calamity in the country after 1864. At this time 35,000 people have died. From the newspapers reports it appears that this time also the number of persons died will not be less than 35,000.

It is regrettable that the Government is not as alert in this matter as was expected of them. With the advancement made in Science it is possible to make whether forecasts under such circumstances the Government should have taken precautionary measures on a large scale so that the loss is minimised.

In the newspapers of 22nd November it was reported that 6,000 people have died. But in the next day's paper the number was reported to be 20,000. It seems to have become a practice with the Government to hide the facts and supply wrong statistics. It should be given up. It is very necessary to find the correct number of people who have died and to give adequate assistance to those who have survived. If the affected people had taken any loan from the Government those loans must be written off.

The unsanitary conditions created by the large scale devastation is likely to result in the out-break of epidemics. Therefore, it is very necessary to make adequate arrangement for the supply of medicines there. The Health Ministry should take immediate preventive steps. If this is not done a serious situation may be created.

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : The loss of life and property in the Southern part of India due to recent cyclonic floods is indeed colossal. It is good that Central Government has acted immediately and substantial financial assistance is provided by it. After the receipt of the report of Central study team, the amount of financial assistance can be suitably increased.

It is true that nature cannot be tamed, but it does not mean that there should be any negligence on our part in such calamities. It appears that the authorities concerned did not take as much precaution as they ought to take in these natural calamities, otherwise much of the loss of life and property could have been avoided. The lapse, if any, on the part of the officers should be enquired into.

It is unfortunate that the recommendation made by Cyclone Distress Mitigation Committee regarding Scientific analysis to cyclones, coastal radars, aerial reconnaisance etc., were not implemented by the previous Government. It is therefore, necessary that a high powered committee should be constituted to make a detailed study of this problem.

According to press reports, there is every likelihood of spread of epidemics in the affected areas. There is no provision for drinking water there and the food being dropped by the helicopters is not in adequate quantity. Government should, therefore, channelise its energies in full vigour to provide all kind of relief to the marooned people.

The social organisations have also a vital role to play at this juncture. The international community has already lent a helping hand at this critical period which is welcome.

श्री के० एस० रामास्वामी (पेरियाकुलम) : तमिलनाडु, पांडेचेरी और आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से जन धन की भयंकर तबाही हुई है। इन स्थानों पर राहत पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की सामग्री भेजी जानी चाहिए। यह विपत्ति सारे देश की है और इसलिए इसका सामना भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए।

भविष्य में ऐसी भयंकर विपत्ति का सामना करने के लिए एक अलग ऐजेन्सी बनाने की जरूरत है। यह समाज कल्याण अथवा गृह मंत्रालय के अधीन हो। वांछनीय बात तो यह है कि इस प्रयोजनार्थ राज्य द्वारा व्यय राशि योजना व्यय से अलग हो। क्योंकि इतनी व्यापक क्षति का सामना राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से नहीं कर सकती।

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सेना की भी सहायता ली जाये क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में साधन हैं। राज्यों के अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए रक्षा मंत्रालय को तुरन्त सेना भेजनी चाहिए।

लाखों किसानों के घर, फसल और पशुओं की हानि हुई है। उनके पुनर्वास में राष्ट्रीयकृत बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भूमि को पुन: ठीक करके फसले उगाने के लिए उन्हें दीर्घकालिक ऋण दिए जाने चाहिए।

कृषकों के अतिरिक्त कारीगरों को भी बहुत हानि हुई है। उन्हें पुनर्वास के लिए सरकार को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण दिए जाने चाहिए। राहत कार्य तुरन्त शुरू किया जाये और इन सभी लोगों को सड़कें, भवन तथा पुलों आदि के निर्माण कार्य में लगाया जाये ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका कमा सके।

इन क्षेत्रों में महामारी फैलने का डर है। पड़ौसी राज्यों से डाक्टर तथा दवाइयां भेजी जायें ताकि बीमारियों को रोका जा सके। केन्द्रीय सरकार को भी दवाइयां भेजने में मदद करनी चाहिए।

कन्याकुमारी से कलकत्ता तक का समूचा तटीय क्षेत्र समुद्री तूफानों और समुद्री लहरों आदि से प्रभावित रहता है। इसलिए इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य ऐसा हो जो विपदाओं का मुकाबला कर सके।

Shri Ram Murti (Bareilly) : The havoc caused by cyclonic floods in Tamil Nadu and Andhra Pradesh is indeed unimaginable and it has greatly pained all of us.

It is very easy to say that there was lapse on the part of the Government, but it should be realised that it is not possible to control the nature. Even advance warnings of such natural calamities cannot be of much help to the people. It cannot be accurately predicted how much area will be affected by the cyclones etc. The only thing which can be done is to provide all kind of relief to the affected people.

The voluntary charitable agencies as also Government agencies should come forward and provide these people necessities of life on war footing. Money should not be an impediment in the way of it. However, it should be ensured that there is not any misuse of the funds or articles meant for these people by rested interests. Government should make an appeal to the people to donate generously for this cause.

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : The havoc caused in Southern parts of the country by the cyclonic floods is known to everybody. The timely help given by the Government is welcome.

There is need for more research in the mechanism of giving advance warning of impending natural calamities, so that it could be known how much area is likely to be affected by it and the people can be shifted from there.

At this hour of crisis, it is the duty of every countryman to help the people affected in whatever way he can. Assistance should also be given from Prime Minister's Relief Fund and Chief Ministers Relief Fund. It will be very good if Parliament pass a resolution to ask the people to donate liberally for this cause.

It is necessary that every care is taken to see that the relief material reaches in proper hands and is not misused by vested interests.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए उपलब्ध आधुनिक तकनीकी तथा उपकरणों का अधिक प्रभावी और सामयिक उपयोग किया जाये। यदि हम सामयिक चेतावनी से एक आदमी को भी बचा पायें तो उसका उपयोग है। आकाशवाणी दूर-दर्शन तथा अन्य प्रचार माध्यमों से आने वाली विपदा के बारे में लोगों को बताया जाये।

इतने बड़े और व्यापक पैमाने पर हुई हानि को देखते हुए सम्बन्धित राज्यों को वित्तीय सहायता देते समय सरकार को किसी नियम विनियम आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हमने तुरन्त राहत नहीं पहुंचाई तो हम अपने देश के भाइयों के प्रति अपना कर्त्तव्य नहीं निभा सके। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी बड़े पैमाने पर सहायता दी जाये। सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों में समन्वय भी होना जरूरी है।

इस सम्बन्ध में दीर्घकालिक उपाय करने की जरूरत है। गैर-सरकारी लोगों और संगठनों को योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को नए सुझाव तथा विचार सुझाने चाहिए। ताकि दीर्घकालिक परियोजनाएं बनें जिससे इस प्रकार की परिस्थितियों में यथा संभव अधिकाधिक लोगों को अतिरिक्त राहत पहुंचायी जा सके।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : व्यापक पैमाने पर हुई हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। समाचारों के अनुसार इस तूफान के कारण 20,000 से 30,000 तक लोगों की मृत्यु हुई है। आन्ध्र

प्रदेश के कुछ तटीय जिले बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। गन्ना, तम्बाकू तथा काफी की फसल वाली लाखों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई है। गुंटूर, छेरियाल, रिपाल्ले, पोन्नूर तथा तेनाली में भयंकर हानि हुई है। खेद की बात यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इतनी उन्नति के बाद भी भारत सरकार गरीब लोगों को आने वाली विपत्ति की जानकारी नहीं दे सकी। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देना भारत सरकार का कर्त्तव्य है।

केवल कहने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न तो यह है कि राहत कार्य प्रभावी ढंग से किए जायें इस प्राकृतिक विपदा से हुई अपूर्णीय हानि को पूरा किया जाने का प्रश्न है। हर्ष की बात है कि समूचा देश इस काम में सहयोग दे रहा हैं। अन्य देशों से भी सहायता मिलने जा रही है। सरकार को पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए तुरन्त पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। श्रमिक बेरोजगार तथा बेघरबार हो गए हैं। भारत सरकार को इसके लिए अलग विभाग खोलना चाहिए और देश के किसी भाग में इन लोगों को रोजगार देना चाहिए।

श्री कुमरी अनन्तन (नागरकोइल) : तूफान प्रभावित क्षेत्र में छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनका सर्वस्व लुट गया है। उन्हें तुरन्त किताबें दी जायें और उनके लिए विशेष क्लासों की व्यवस्था की जाये। यदि संभव हो तो उनकी परीक्षा भी स्थगित कर दी जाये।

तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी सब कुछ खो गया है। अधिकांशतया ये लोग किसान, मछेरे या कारीगर हैं। जोकि पुनः अपना पुनर्वास नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार को इनकी बीमा पालिसी के बारे में सोचना चाहिए जो भविष्य में इनके लिए उपयोगी सिद्ध हो।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) यह तथ्य निर्विवाद है कि आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बर्बादी हुई है। लेकिन लक्षद्वीप का एक पूरा द्वीप वह गया है। वहां पेय जल भी उपलब्ध नहीं। सरकारी भवन और मकान ढह गए। सरकार ने इस बारे में क्या किया है।

केरल का समूचा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इदक्की में भूस्खलन से 19 व्यक्ति मारे गये हैं। केरल में सबसे अधिक हानि मत्स्यपालन व्यवसाय को हुआ है। बहुत सी नौकाएं तथा नाविक लापता हो गए हैं। राज्य सरकार ने तो यथा सम्भव कार्य किया है लेकिन केरल, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी जैसे क्षेत्र केन्द्रीय सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते।

1970 में उड़ीसा के समुद्री तूफान के बाद समुद्री तूफान विपत्ति दूर करने के बारे में एक समिति गठित की गई थी क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशों पर विचार करके उन्हें कार्यान्वित किया है।

यह बताया जाना चाहिए कि सटेलाइट का प्रबन्ध करने वाले और मौसम विभाग के बीच किसी प्रकार का अंतर या भेद है। यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई थी तो उसे सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई। क्या इसके लिए आकाशवाणी का पूर्णरूपेण उपयोग किया गया था।

जहां तक केन्द्र से इन राज्यों को धन देने का सम्बन्ध है, वित्त आयोग की सिफारिशों को इस मामले में बाधक नहीं बनाना चाहिए। वित्त आयोग ने इस तरह भयंकर दैवी आपदा की कल्पना नहीं की होगी। इस संकट को राष्ट्रीय संकट समझा जाना चाहिए और इसका सामना भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए।

Shri Laxmi Narain Nayek (Nayek) : There is colossal loss of life and property as a result of cyclonic floods in the southern parts of the country. It is a matter of grave concern for everybody. It is the dire need of the hour that proper relief is provided to the affected people on war footing.

A National Relief Fund should be opened and an appeal made to the people to donate in it liberally. The problem should be treated as a national problem and should be tackled as such. Students have lost everything. They should be provided books etc. and construction of houses should be taken up there.

The mechanism of giving prior warning of the impending natural calamity should be further strengthened.

It is also necessary to see that the assistance in the form of money or material should reach the affected people and no misused by vested interests.

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : मूल समस्या यह है कि जब तक हमें ऐसी आपदाओं का पहले से पता न लगे, हम इसका कारगार ढंग से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यद्यपि हमारे देश में विज्ञान का बहुत विकास हुआ है और हमारे मेधावी वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा कोई यंत्र नहीं है, जिसके द्वारा खतरे में पड़े लोगों को सर्व प्रथम सूचना पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ ऐसे कदम भी उठाये जाने चाहिए जिससे कि लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। 1961 में डा० कोटेश्वरन की अध्यक्षता में तूफान संकट शमन समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अनेक बहुमूल्य सिफारिशें की थीं। लेकिन खेद है कि उनका उचित और उपयुक्त ढंग से पालन नहीं किया गया।

आज परम आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय संकट मौसम विज्ञान संगठन का स्थायी आधार पर गठन किया जाये और सिंचाई मंत्रालय, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा तकनीकी संगठनों, रेडक्रास जैसी गैर-सरकारी ऐजेन्सियों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलिति किए जायें। ये संगठन ऐसी दैवी आपदाओं की पूर्व सूचना देने, उन्हें रोकने तथा उनसे सम्बन्धित राहत कार्य करने में संगठित हो जायेंगे।

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap) Singh): The cyclone in South India is a national calamity and there can not be any question of Party politics in this matter. The entire country is concerned about it and no efforts will be spared to rush every kind of assistance and relief to the affected people.

There was no failure or negligence on the part of meteorological department. They gave warnings 48 hours earlier and it was commendable. If there was any failure, it was organisational and administrative. It could not be denied that had there been an effective organisational and administrative machinery, some lives could have been saved. The most essential thing was that there should have been a well-devised plan for evacuation of the people and for offering them shelter.

There was also no negligence on the part of our Armed forces. They also did their job sincerely and efficiently. As regards Lakshdweep islands, we did everything that we could do for them.

श्री सी० एम० स्टीफन : केरल की ओर आप कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि अन्य राज्यों के मामले में आप कुछ न कुछ कर ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री भानु प्रताप सिंह : केरल में 72 मौतें हुई हैं। जहां तक आदमी की जिन्दगी का सवाल है हम सबकी ओर बराबर ध्यान देते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह बात बहुत ही खेदजनक है कि मंत्री महोदय वहां हुए नाश की ओर कम ध्यान देते हैं। वहां हुए नुकसान के फलस्वरूप लाखों लोग भूखे मर रहे हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह : मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि आन्ध्र प्रदेश में हुए नुकसान की तुलना में यह कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने यह नहीं कहा कि केरल की मांगें पूरी नहीं की जायेंगी।

Shri Bhanu Pratap Singh : Although there was a definite process and procedure under which the Union Government could render assistance to State Governments, we have not strictly adhered to them and we have tried to rush the necessary relief immediately. We have sanctioned Rs. 5 crores to State Governments and also an assistance of 50,000 tons of rice to Tamil Nadu Government as soon as we received requests from them. The Andhra Pradesh Government demanded more funds for giving loans to peasants. We have already started an action on it. A cell has been set up to keep close contact with State Governments and there is no question of any kind of carelessness or negligence.

I agree with the suggestion that there should be an organisation like National Disaster Relief Organisation in the country. There was a U.N. Disaster Relief Organisation and they have offered us every kind of help that we required. It is a matter of great satisfaction that our country is today in a position where we could face the calamity ourselves without any external assistance. There is no dearth of foodgrains, medicines or doctors and they have been supplied according to the requests made by State Governments. Even the difficulties of sending them to the places where they were required, have been removed and they have been sent by trucks from Delhi. Even the baby food worth 20,000 dollars from UNICEF has been sent and there is no likelihood of any shortage of baby food there. A coordination centre has been set up which will work in collaboration with Social Welfare Departments of State Governments to see that no assistance is misused.

Some 72 relief camps in Gunture have been started. Similarly, Rs. 15 lakhs have been spent in the Krishna District. Then, we are also sending two central teams, one to Andhra Pradesh on the 26th and the other to Tamil Nadu on 27th of this month.

श्री विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : यह नहीं बताया गया है कि केन्द्रीय टीम कब जायेगी।

Shri Bhanu Pratap Singh : Central team will go on 26th to Andhra and on 27th to Tamil Nadu.

श्री सी०एम० स्टीफन : मैं मंत्री महोय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत बोल चुके हैं। अब समय भी नहीं है। अब श्री चन्द्रप्पन बोलेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : हमने यह समझा था कि इस चर्चा का कोई ठोस परिणाम निकलेगा, किन्तु मंत्री महोदय ने साधारण सा उत्तर दिया है। मंत्री महोदय का जनता के प्रति ऐसा कठोर रवैया उचित नहीं है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का एक तिहाई जनसंख्या इस विपत्ति से प्रभावित है। ऐसी भीषण विपत्ति देश में कई-पीढ़ियों से नहीं आई है।

चर्चा आरम्भ करते समय मैंने केरल के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हमें यह पता है कि आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तुलना में केरल में कम हानि हुई है। हम केरल के लिए कोई अलग मामला नहीं बनाना चाहते लेकिन मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए कि वहां अभी तक 72 व्यक्ति मरे हैं जो बहुत अधिक नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि वहां मकानों और फसल की बहुत अधिक हानि हुई है।

केरल सरकार ने प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें वहां की घटना का विस्तृत विवरण दिया गया है। मुख्य मंत्री ने योजना परिव्यय से अलग तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सहायता मांगी है। उन्होंने बताया है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक की हानि का अनुमान लगाया गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

वाद-विवाद में अनेक प्रश्न उठाये गये थे जिनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने मौसम के बारे में उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध जानकारी का लाभ क्यों नहीं उठाया और आकाशवाणी तथा समाचारों द्वारा यह समाचार देने पर भी उनका प्रशासन निष्क्रिय क्यों बना रहा। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

उन क्षेत्रों में लोगों का जानमाल बचाने के लिए जिला और गांव स्तर पर समूचे प्रशासन तंत्र को युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार समूचे तटवर्ती क्षेत्र पर पूर्व चेतावनी देने वाली प्रोद्योगिकी की श्रृंखला स्थापित करने जा रही है क्योंकि वहां ऐसी विपत्ति प्रतिवर्ष आती है लेकिन इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर उसमें इस समस्या पर विस्तार से चर्चा करेगी और उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत करायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाये कि केन्द्र भी इस उत्तरदायित्व का भागीदार बनेगा।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस किया गया।

The motion was, by leave withdrawn.

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTER'S (AMENDMENT) BILL

गृह-मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मंत्रियों के सम्बलमो और भत्तों सम्बन्धी अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के सम्बलम, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों सम्बन्धी अधिनियम, 1952 के नियमों के अधीन नियंत्रित है। लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत बनाये गये नियमों की जांच करने का अवसर मिला, नें बताया है कि यद्यपि इस समिति को सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं मिला है फिर भी बेहतर तो यह होगा कि वित्तीय मामलों में यह सदन स्वयं ही अपने अधिकारों का उपयोग करे। समिति का विचार है कि ऐसे मामलों में जहाँ संसद् के समय की बचत करने के उद्देश्य से नियम बनाने हेतु सदन द्वारा अपने अधिकार अधीनस्थ प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करना आवश्यक समझा जाए वहां यह प्रावधान

किया जाये कि अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियम ऐसे मामलों में सदन द्वारा प्राप्त स्वीकारात्मक मत प्राप्त करने के बाद ही लागू किये जाने चाहिए। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। पहले कुछ प्रशासनिक कारणों से कुछ नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना पड़ा था। चूंकि नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का उक्त अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए ऐसे नियमों को वैध बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक का यही उद्देश्य है। अतः सदन को इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों संबंधी अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वयालार रवि (चिरायिनकिल) : मैं यह बात तो स्वीकार करता हूं कि मंत्रियों के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिएं परन्तु जो सदस्य आज उधर बैठे हैं कल जब इधर बैठे हुए थे तो वे इस व्यवस्था का विरोध करते थे। मंत्रियों के सुसज्जित मकानों पर 7 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इन तीन महीनों में दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी विदेश यात्रा पर गये हैं। क्या किसी मंत्री का सात महीने में छः बार विदेश जाना आवश्यक है? क्या समूचे मंत्रिमंडल को लन्दन ले जाना इस सरकार के कार्यकरण का एक भाग है? फिर मंत्रियों द्वारा अपनाये गये औचित्य का भी प्रश्न उठता है। जब विभिन्न राज्यों में भिन्न दलों का शासन है तथा केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों का दौरा करते समय अपने विचार व्यक्त करने में संयम बरतना चाहिए। श्री जार्ज फर्नांडिज राज्य सरकार को सूचना दिये बिना ही मद्रास चले गये और उन्होंने राज्य के मुख्य मंत्री तथा राज्य सरकार की आलोचना की। तीन या चार महीने पहले वह गोहाटी गये थे। प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने कहा "हम कुछ ही दिनों में इस सरकार को समाप्त कर देंगे।" मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? अतः भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाने के लिए कुछ मर्यादा का तो पालन करना चाहिए।

Shri Ganga Singh (Mandi) : The original Act in respect of Salaries and Allowances of Ministers was enacted in 1952. It had no provision for giving retrospective effect to the rules framed under it. Now this amending Bill seeks to validate all those rules which were framed in 1957 and 1962 under the parent Act. I would, therefore, like to say that all these illegal rules which were not permitted by the original Act, should not be validated.

The main purpose of delegated legislation is to save the time of Parliament. But if the amending Bill provides that the Rules framed under the Act cannot be enforceable unless they are approved by the Lok Sabha and Rajya Sabha, it is alright. Therefore, no such precedent should be set.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्रीगण दक्षता से कार्य करें तथा उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिएं जिनसे वे अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सकें। हम अधिक व्यय करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना करते रहे हैं। जनता सरकार को किसी भी तरह की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जनता मंत्रियों को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि वे अपने देश में कार्य करने की बजाये विदेशों में जाना अधिक पसन्द करते हैं। यदि वे जनता सरकार के कार्यकरण में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो इस देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि वाद-विवाद का समय बढ़ाया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ, दस मिनट के लिए।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : 1962 में ऐसी प्रथा स्थापित गई थी कि जहाँ पानी और बिजली के प्रभार की दरें 200 रुपए से बढ़ जायें तो उनका भुगतान मंत्री को स्वयं करना पड़ेगा। पता नहीं उक्त प्रथा अब भी चालू है या नहीं ? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरे, विधेयक में यह व्यवस्था है कि मंत्री निःशुल्क सुसज्जित आवास के अधिकारी हैं लेकिन विधि मंत्री का कहना कि जहाँ मंत्री निःशुल्क सुसज्जित आवास के अधिकारी हैं वहाँ यदि वे अपने मकान में रहते हैं तो उनके मकान को सुसज्जित नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

Shri Dhanik Lal Mandal : It is a very simple Bill. The question of foreign tours is not relevant to this Bill. As regards the expenditure incurred by the former Government, it has to be regularized.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तो सम्बन्धी अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंड वार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है :

'कि विधेयक के खण्ड 2--3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

Clauses 2, 3, Clause 1, the enacting Formulae and the Title were added to the Bill.

श्री धनिक लाल मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolution

सातवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

संविधान में संशोधनों के बारे में संकल्प

Resolution Re: Changes in Constitution

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री वयालार रवि द्वारा 5 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे विचार करेंगे।

श्री वयालार रवि : श्रीमान जी, मैं पिछले सत्र में ही यह संकल्प प्रस्तुत कर चुका हूं तथा अब उसे पुन: दोहराना नहीं चाहता। प्रस्तुत विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सदन का ध्यान उस समाज की ओर आकर्षित करना है, जिसका कि हम निर्माण करना चाहते हैं। मार्च 1977 में देश में एक राजनीतिक परिवर्तन आया तथा कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकी गई तथा जनता सरकार सत्ता में आई।

यह राजनीतिक दल, नकारात्मक रुख के कारण सत्ता में आई। परन्तु अब तथ्यात्मक कार्य करना है। इस देश में लम्बे समय से काम कर रहे कई राजनीतिक दल शामिल हैं। उन्होंने एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने दल की आर्थिक और राजनीतिक नीति स्पष्ट नहीं की है। देश की जनता और संसद् को यह निर्देश देने का अधिकार है कि वे एक नीति बनायें। इसी उद्देश्य से यह संकल्प लाया गया है।

देश की आर्थिक स्थिति को देखने पर पता चलेगा कि अभी भी एक बड़ी जनसंख्या निर्धनता के स्तर से नीचे रहती है। कुछ कमजोर वर्ग हैं जिनमें अनुसूचित जातियां और जनजातियां, पिछड़े वर्ग और अल्प संख्यक शामिल हैं। संविधान ने आरक्षण आदि के द्वारा उन्हें सामाजिक आधार दिया है परन्तु उनकी आर्थिक प्रगति के लिए ठोस प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसी कारण इस संकल्प में आदिवासियों, हरिजनों, पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों को शामिल किया गया है।

हमें इस समस्या की ओर उनके जीवन में सुधार करने की दृष्टि से देखना चाहिए। कृषि मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वे अपने दो वक्त की रोटी चला सकें। परन्तु दुर्भाग्यवश

यह सरकार इन लोगों को समस्या की ओर उचित और सही रुख नहीं अपना रही है। उनकी सुरक्षा की गारंटी कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का आश्वासन देकर ही की जा सकती है।

संविधान का मुख्य उद्देश्य देश को शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है। परन्तु इसमें विरोध और समझौते की झलक मिलती है। संविधान सभा में पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करने वाले कांग्रेसी सदस्यों ने मूलभूत अधिकारों, संविधानिक सुरक्षा और सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने की बात कही। दुर्भाग्यवश निदेशक सिद्धान्तों में सरकार की मान्यता की बात नहीं आती। निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार सरकार को जीवन की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे कोई अभाव से न मरे। परन्तु इसमें मूलभूत अधिकारों की एक रुकावट सामने आती है। इसलिए निदेशक सिद्धान्तों को कानूनी मान्यता दी जाए और उन्हें व्यक्तियों, सम्पत्ति आदि के मूलभूत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाए। निदेशक सिद्धान्त एक सामाजिक न्याय है जो समाज को सरकार द्वारा न्याय देकर एक दिशा प्रदान करता है। मूलभूत अधिकारों के ऊपर उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए।

[Shri C.M. Stephen in the Chair]

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मजदूरी नीति अपनाए और उसे संविधानिक संरक्षण प्रदान करे। गरीबों को आर्थिक स्वतंत्रता दिए बिना हमारा लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता।

संविधान का 42वां संशोधन आर्थिक होने के बजाय राजनीतिक अधिक था। इसके कुछ अंश लोकतंत्र के लिए घातक हैं। इस संशोधन के द्वारा न्यायपालिका पर लगाए गये बंधनों को समाप्त किया जाए और पूर्व स्थिति फिर से लाई जाए।

हमारा देश संघीय है न कि एक तंत्रात्मक। परन्तु 42वें संशोधन ने इसे एक तंत्रात्मक स्वरूप प्रदान कर दिया। इसे भी दुरुस्त करना है।

42वें संशोधन में शिक्षा को 'आवर्ती' सूची में रखा गया है क्योंकि निरक्षरता को समाप्त करना निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार एक कर्तव्य है। परन्तु दुर्भाग्यवश 42वें संशोधन से हमारी आशाएं पूरी नहीं हुईं। हमने अभी तक इस दिशा में अधिक कुछ नहीं किया है। भाषायी अल्प संख्यकों को अधिक संविधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

आर्थिक नीति केवल कुछ लोगों के हाथ में न हो कर लोगों के एक बड़े समुदाय के हाथ में हो। हमें 'शासक वर्ग' के खतरों से लड़ना है जिसके हाथों में राष्ट्र का समूचा आर्थिक ढांचा है। यह काम संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही किया जा सकता है तथा उसके लिए हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मूलभूत अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शासक वर्ग ने अब तक दुरुपयोग किया है तथा इसे सुधारा जाना है। यह निदेशक सिद्धान्तों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर ही किया जा सकता है। हमें सदियों से पीड़ित इस देश के लोगों की भलाई के लिए संविधान में परिवर्तन करने होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"यह सभा छठी लोक सभा के चुनावों के बाद देश में नई राजनीतिक स्थिति और देश के समक्ष उपस्थित सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य को दृष्टि में रखते हुए सरकार से

अनुरोध करती है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वित सुनिश्चित करने, मूल अधिकारों के अध्याय से संपत्ति के अधिकार को निकालने और काम करने साक्षर बनाने एवं राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने, तथा अल्प संख्यकों--धार्मिक एवं भाषायी हरिजनों, आदिमजातियों, और हमारी जनसंख्या के अन्य दलित वर्गों को दी गई गारंटियों को और व्यापक बनाने के लिये भारत के संविधान का संशोधन करने के लिये तुरन्त पग उठाये जायें।"

अब हम संशोधनों पर विचार करेंगे। श्री निर्मल चन्द जैन तथा श्री विनायक प्रसाद यादव द्वारा अपने संशोधन प्रस्तुत किये गये जो कि अस्वीकृत हो गये।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

Shri M. **Ram Gopal Reddy** (Nizamabad) **:** I support this Resolution whole heartedly. It can be easily said that the Janata Party came to power only few months back but this Government is not taking the country in the right direction. The previous regime was doing a lot for the welfare of the down trodden people. All that good work has been stopped by the new Government.

No doubt, the previous Government had faulted in the implementation of the policy of sterilization but it is a good policy. Now the population is increasing at a rapid speed. We should implement the policy of population control through persuation rather than coercion so that the growth of population is checked.'

Our valuable foreign exchange is being frittered away in importing certain unwanted things. This policy will adversely affect our industrial production and will lead to economic recession.

It is not good to change every policy pursued by the Congress.Government. Valuable national assets are being used by the new Government for good of the big people. Poor people are not happy with the present state of affairs.

Shri Nirma lChandra Jain (Seoni): I can not welcome the spirit behind this Resolution. The mover, it is clear, has certain expectations from the Janata Party and this Government is capable of fulfilling the aspirations of the people.

The previous Government paid no heed to the betterment of the lot of the people of rural areas. 80 per cent of our population lives in rural areas but that Government only concentrated their attention on the upliftement of 20 per cent people living in urban areas. The new Government is rightly paying due attention to the development of rural areas.

The previous Government had not been able to provide work to all able bodied persons during thirty years of their rule. The new Government has pledged itself to provide work to the people and the Government will live upto expectations of the people. It is too much to expect within 8 months so much work which the previous Government could not do within 30 years.

The erstwhile regime had been indulging in personality cult politics and had been evading the real issues which would have benefited the common man. I am sure the present Government is capable of delivering goods.

The Resolution urges the Government to amend the Constitution. The 42nd Amendment of the Constitution should be completely repealed.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, I support this Resolution. It is clear from the measure that there are lot of expectations from the Janata Government and the mover wants amendment of the Constitution for their fulfilment. Janata Party also wants to amend the Constitution. But that is possible only with the help of the Congress. That party should offer their full cooperation in this matter.

The Resolution refers to Directive Principles and right to property. We are in favour of implementing the Directive Principles and abolition of right to property. There are no two opinions that poverty is to be eradicated.

The Resolution refers to guarantees to minorities in a vague manner. It should be spelt out in specific terms which guarantees Government is required to give.

We can not say that the Congress Government has done nothing after Independence. But much more could have been done. We had a long time to perform much bigger things. It is too much to expect miracles from the present Government within such a short period. At least 30 months period should be given to this Government to judge their performance.

Economic condition of the country will have to be taken into consideration while firing the national minimum wage. We also want that minimum wage should be given to all. But the state of our economy is not such as to implement it immediately. At present we are not in a position to provide work to all able bodied persons. We can gradually do all such things. We must cooperate fully for the development of the country.

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : This Resolution is quite good but the Congress Government had completely forgotten the Directive Principles laid down in the Constitution during the last 30 years. That is why the economic condition of the country has deteriorated and unemployment has increased considerably.

The Resolution refers to minorities, backward classes and Harijans. But these people did not get their due share in the services all these years otherwise their condition would have improved and atrocities on them would have not been there. But now Janata Party is also not doing much for them.

Harijans should be given due representation in the appointments of judges. There is not a single judge in the Patna High Court belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At least one judge belonging to these communities should be appointed in that High Court.

Right to work should be guaranteed to the people. The people who can not be given work should be given doles. Steps should be taken for expanding literacy in the country.

The Bihar Government is undertaking a good programme for tackling the problem of unemployment. The Central Government should also take similar steps to solve this problem.

The Government should have a time-bound programme.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री रवि का संकल्प सराहनीय है। हमने देखा है कि संविधान लागू होने के 26 वर्ष बाद भी जनसाधारण का उद्धार नहीं हो सका है लोगों में असमानता बढ़ी और निर्धनता के स्तर से नीचे रहने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 27 वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी आज करोड़ों अशिक्षित हैं और लाखों बिना रोजगार के हैं। किसान को सर्वाधिक हानि हुई है। वास्तव में कोई भूमि सुधार नहीं हुआ है। संविधान से मिले अधिकारों का उपयोग देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए नहीं किया जा सका है।

संविधान के अध्याय 4 में सरकारी नीति सम्बन्धी निदेशक सिद्धांत दिये गये हैं। संकल्प में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांतों से उचित परिणाम प्राप्त करने के लिये संविधान में संशोधन करने हेतु तुरन्त

कदम उठाये जायें। मैं भी इस पक्ष में हूं कि निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों का अंग बनाया जाये। हमें इस बात पर सोचना चाहिये कि संविधान में वास्तविक परिवर्तन किए जायें। यहां वहां फेर-बदल से काम नहीं चलेगा। हम वर्तमान समाज और आर्थिक नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं ? ऐसा किये बिना देश के लोगों की सहायता नहीं होगी।

सम्पत्ति का अधिकार नियंत्रित किया जाना चाहिये। समझौते के आधार पर बोनस लेना कर्मचारियों का सम्पत्ति संबंधी मूल अधिकार है। उसे छीना नहीं जा सकता। बहुत से छोटे कर्मचारियों को नौकरशाही के कदाचारों का शिकार होना पड़ता है। अतः हमें इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना होगा। हम उनके अधिकारों को इस तरह नहीं छीन सकते।

हमें इस प्रश्न पर ठीक तरह से विचार करना है कि अब तक किन-किन लोगों को संविधान से लाभ हुआ है। इसलिये मैं संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री नानासाहिब बोंडे (अमरावती) : ऐसा सुन्दर संकल्प लाने के लिये मैं श्री रवि को बधाई देता हूं। यह संकल्प हरिजनों, आदिवासियों और गरीब लोगों के दुख-दर्द की कहानी है।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं । क्या आज तक हम उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे पाये हैं। बिल्कुल नहीं। आज भी वे लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे यहां बौद्ध हैं जो मूलतः हरिजन थे। जिन कारणों से वे बौद्ध बने उनका सबको पता है। आज वे राजधानी दिल्ली में ही भूखे मर रहे हैं। जनता पार्टी का कोई नेता उन्हें देखने नहीं गया। यदि उनकी सारी मांगों पर विचार करना सम्भव नहीं तो कुछ एक पर ही विचार कर लिया जाये। सरकार को उन लोगों की कठिनाई को समझना चाहिये।

संविधान लचीला होना चाहिये। यदि किसी अच्छे काम के करने की जरूरत हो तो उसे तुरन्त कर लेना चाहिये। कांग्रेस जन ऐसा करने को सदैव तैयार हैं। हमें राष्ट्र की प्रगति का ध्यान रखना चाहिये।

आज हरिजन और आदिम जाति के लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझते। आर्थिक और शिक्षा दोनों ही दृष्टियों से वे पिछड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों के कारण ही सम्पत्ति के अधिकार को हटाया जाना चाहिये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : सभापति जी श्री रवि का संकल्प बहुत अच्छा है लेकिन उसमें कुछ अस्पष्टताएं भी हैं। आज लगता है कि विपक्षी दल में उन जैसे और भी लोग पिछली गलतियों को समझ रहे हैं। गलतियां हम से भी हो सकती हैं। लेकिन यदि हमें उनका पता चल जाता है और हम उनको ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है।

अब लोगों को नई आशाएं हैं और जनता पार्टी से कई अपेक्षाएं हैं। कांग्रेस का पिछले 30 वर्षों का शासन लोग देख चुके हैं। यदि अब उन्हें अच्छा विकल्प नहीं मिलता तो लोग कहां जायेंगे। अतः ठीक दिशा में शुरुआत होनी चाहिये।

सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमें किस ओर जाना है। इस बात से सभी सहमत हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास की गति तीव्र होनी चाहिये। अभी तक हम संसद में दीर्घगामी मामलों पर विचार नहीं करते रहे।

श्री रवि ने निदेशक सिद्धांतों की बात की है। इन सिद्धांतों को विशेष रूप से संविधान में रखा गया था।

हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांतों को बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है इसमें बहुत सी पवित्र आकांक्षाएं निहित हैं जिन्हें कानून से लागू नहीं किया जा सकता, उन्हें कानून से लागू नहीं करना है वरन उसमें समाजवाद और गांधीवाद की झलक है। यह आशा रही है और आशा रहेगी कि जनसाधारण के समाजवाद और गांधी जी के मानवतावाद की भावना को कार्यरूप दिया जाएगा जिससे उन लोगों को अपनी गरीबी और अस्वस्थता से छुटकारा मिलेगा। जो अपने जीवन में कुछ सुधार आने की लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह सच है यदि हम सभी निदेशक सिद्धांतों के मूलभूत अधिकारों में, रखने पर देंगे तो उस स्थिति में उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा। मैं यह मानता हूं कि इसमें व्यावहारिक कठिनाई है परन्तु यदि हमें कुछ निदेशक सिद्धांतों को कतिपय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक कानून बना कर मूलभूत अधिकारों का रूप नहीं देते तो हम लोगों के सम्मुख असफल रहेंगे और सम्पन्नता पाने में भी असफल रहेंगे हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए निदेशक सिद्धांत के अध्याय पर इस दृष्टि से निरंतर विचार किया जाए और हम यह देखें कि कितनी शीघ्र हम एक या उससे अधिक निदेशक सिद्धान्त को भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार का रूप देते हैं।

मैं इस संबंध में निश्चित नहीं कि सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से कतई निकाल दिया जाए। मैं सम्पत्ति के उत्तराधिकार में प्राप्त करने के विरुद्ध हूं। जब मैं ऐसा कहता हूं इसका अर्थ यह नहीं कि सम्पत्ति का अधिकार बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। उत्तराधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। सम्पत्ति की एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए उसे मूल अधिकारों के अध्याय में जोड़ा जाना चाहिए अन्यथा हमारे कुछ मूलभूत अधिकारों तथा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य बहुत सी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं तथा कुछ सीमा तक सम्पत्ति के अधिकार से विरोध होगा।

काम करने का अधिकार और साक्षरता ठीक है। जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में इनके संबंध में कहा गया है। लेकिन यह पता नहीं है कि इस संबंध में कहां तक प्रगति होगी फिर भी उसे इस दशा में कार्य आरम्भ करना चाहिए।

ब्यालीसवें संविधान संशोधन में कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया गया तथा पास किया गया वह अत्यंत आपत्तिजनक रहा है अतः जनता पार्टी की सरकार को पहले तो इसे पूर्णतया रद्द कर देना चाहिए और फिर एक नया विधेयक लाना चाहिए जिसमें वे सभी अच्छी बातें शामिल हों जिनका श्री राव ने सुझाव दिया है।

सरकारी कार्य—जारी
Business of the House—Contd.

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : आज सुबह जो मैंने वक्तव्य दिया है उसमें मैंने बताया है कि रेल दुर्घटनाओं के बारे में दिए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा 30 नवम्बर, 1977 को होगी और समाचार के संबंध में दिए वक्तव्य के बारे म संकल्प पर चर्चा 1 दिसम्बर, 1977 को होगी। कुछ अपरिहार्य कारणों से यह अदल-बदल की गई है।

संविधान में संशोधनों के बारे में संकल्प —जारी

Resolution *Re*: Changes in Constitution—Contd.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (कन्नानोर) : श्री वयालार रवि ने यह संकल्प पेश करके हमें अवसर दिया है कि हम आजकल की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा कर सकें। संकल्प की अधिकांश बातों का समर्थन करना होगा। संविधान में कई अच्छी बातों का समावेश किया गया है लेकिन देखना यह है कि इन्हें कहां तक क्रियान्वित किया जाता है। श्री मोरार जी देसाई जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि वे 10 वर्षों के भीतर देश से गरीबी, बेरोजगारी जाति प्रथा इत्यादि सभी बुराइयों का अन्त कर देंगे लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे कांग्रेस सरकार से भिन्न नीति अपना रहे हैं जिसके आधार पर वह लोगों को दिए गए वचनों को पूरा कर सके। आप केवल उसी समाज का निर्माण कर रहे हैं जैसा कि कांग्रेस सरकार चाहती थी। सामाजिक व्यवस्था भी बिल्कुल बदली नहीं है। आप उसे जारी रख रहे हैं। आप पूंजीवाद की नींव और सुदृढ़ कर रहे हैं। पूंजीवाद में बेरोजगारी अपरिहार्य है। आप इसे हल नहीं कर सकते।

भारत में जब तक सार्थक आमूल भूमि सुधार नहीं किया जाता तब तक लोगों को रोजगार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जनता पार्टी की भूमि सुधार के संबंध में क्या नीति है। यह कोई छिपी बात नही है कि जनता पार्टी अपने वादों से मुकर रही है। उड़ीसा में जनता पार्टी के विधायकों ने एक ज्ञापन में भूमि की अधिकतम सीमा 75 से 25 करने की मांग की है। क्या इस प्रकार भूमि सुधारों की नीति क्रियान्वित की जाएगी।

इस सदन में सभी इस तथ्य से सहमत हैं कि जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है जनता निर्धन होती जा रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अधिकाधिक अमीर बनते जा रहे हैं। जनता गरीब होती जा रही है और एकाधिकारी अमीर बनते जा रहे हैं। सरकार को एकाधिकार समाप्त करने के लिये अनेक ठोस और सख्त कदम उठाने होंगे। जब तक इस पहलू से इस समस्याओं को नहीं लिया जाएगा तब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा।

इस संकल्प में प्रस्तावित कुछ संवैधानिक संशोधन तो समर्थन किए जाने योग्य हैं। यदि इन संशोधनों को संविधान में सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारा संविधान अधिक लोकतांत्रिक बन जाएगा।

हम निजी सम्पत्ति के अधिकार के तभी विरोधी होंगे जब कि वह शोषण का साधन बन जाएगी किसी की पान की दुकान है। हम ऐसी निजी सम्पत्ति के विरुद्ध नहीं है लेकिन यदि निजी सम्पत्ति शोषण का साधन बन जाती है तो उसे समाप्त कर देना चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं जिनका पहले जनता पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उल्लेख किया था। लेकिन अब वे उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक युवक को मतदान का अधिकार देने के बारे में प्रश्न है। यदि यह मामला पास किया जाए तो हमारा लोकतंत्र और अधिक गतिशील एवं सार्थक हो जाएगा। किसी सदस्य को उसकी सदस्यता से वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। यदि वह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य न करे तो जनता को यह हक होना चाहिए कि वह उसे वापिस बुला ले।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को इन मामलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं श्री रवि के संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi–Sadar): Nobody can differ with the principle behind this resolution. It is a balanced resolution.

It is said that the Constitution (Forty-second) Amendment should be struck down in toto. But I am of the view that these amendments to the Constitution which are in the interest of democracy, should be retained and the rest should be scrapped.

I agree with the view that there is need to change the election laws in the interest of fair elections. However, I do not support the idea of right to recall the elected representatives since it will lead to so many complications. The proposal to lower the voting age to 18 is welcome.

As regards MISA I am against the type of law recently enacted in Jammu and Kashmir since it curbs personal freedom. But there is need to have some kind of law to curb the activities of anti-social elements and economic offenders.

It is rightly said that our independence is incomplete so long as there is no economic reconstruction in the country. Beginning in this direction should have been made during the short period of rule by this Government. It is, however, good that the ruling party has now brought forward a dynamic economic programme, which will go a long way in eradicating unemployment in the country.

The problem of Scheduled Castes and Schedule Tribes should be viewed as a national problem. The Government and the opposition should sit together to devise measures for their welfare.

Janta Party is appointing a commission in regard to minorities. I request that this commission should be set up as early as possible.

I do not agree to the proposal to delete property rights from the chapter of fundamental rights. However, it should not be made an instrument of exploitation.

The previous Government did not pay any attention to the work of implementation of the Directive Principles of State policy. The present Government should give proper attention to this aspect.

With these words I conclude.

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Shri Narsing Yadav) : The following resolution was moved by Shri Vayalar Ravi on 5th August, 1977 :—

"This House taking note of the new political solution in the country after the Sixth Lok Sabha elections, and confronted with the tasks of social and economic reconstruction urges upon the Government to take immediate steps to amend the Constitution of India further to secure meaningful realiastion of the Directive Principles of State policy, deleting property rights from the chapter of fundamental rights, including right to work and literacy and national minimum wage as fundamental rights and further enlarging the guarantees to the minorities—religious and linguistic—Harijans, Tribals and other submerged sections of our population.

The resolution is commendable because it urges upon the Government to take immediate steps to amend the Constitution to secure meaning realisation of the Directive Principles of the State policy, deleting property rights and including right to work, literacy and national minimum wage as fundamental rights and enlarging the guarantees to the minorities, Harijans, Tribals and other backward sections of our population. The main intention of the mover of the resolution is to delete the right to property from the chapter of fundamental rights with a view to securing the meaningful realisation of the Directive Principles of the State policy. The Janata Party in their election manifesto have indicated the various measures—proposed to be taken that with lead to meaningful implementation of the Directive Principles. The Janta party has already declared in their political and economic charter. Their objective is of deleting property rights from the chapter of fundamental rights. Therefore, Government agrees with the intention behind the resolution.

As regards the right to property, one section of people think that it is a fundamental right and all civilised nations have recognised it. As against it the other ideology is that it is not a natural right and it is a serious impediment to the social, economic and political advancement of the country. The policy of the previous Government in this country had been directed to regulation and not the abolition of property rights. In this context it is a very relevent question to consider whether it is advisable to amend a particular fundamental right keeping in view the Supreme Court Judgement in Keshavanand Bharti's case. Justice Khanna has clearly stated that right to property is not the part of the basic structure of the Constitution and the Parliament is fully competent to amend the Constitution so as to seek deletion of property right from the chapter of Fundamental Rights.

It has been felt that the immediate object of the Government should be to take measures to create such conditions wherein the right to work becomes a reality. In order to create such conditions Government propose to follow employment-oriented policies with a view to abolish unemployment within a decade. With this object in view, Government propose to attach priority to small and cottage agro-based industries.

Government has also directed the Planning Commission to formulate the Sixth Five Year Plan with that objective and to make larger allocations for schemes creating larger employment opportunities. Therefore, it is felt that it is neither possible nor advisable to include the right to work among the fundamental rights.

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि वे अपना भाषण समाप्त करने के बाद हमारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें अन्यथा यह चर्चा निरर्थक होगी।

सभापति महोदय : आप उनका भाषण समाप्त होने तक प्रतीक्षा कीजिए हो सकता है आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें सम्मिलित हों।

Shri Narsingh Yadav: We cannot give unemployment allowance due to many reasons— Firstly, we do not know exactly how many persons are actually unemployed in this country and it is very difficult to assess the expenditure that will be incurred in the form of unemployment allowance. The names registered in the employment exchanges cannot be considered a criterion because every unemployed person does not register himself in employment exchange. Besides the facility of employment exchanges is available in big-cities only. In our country there is lot of disguised unemployment and we have to consider whether these people are also entitled for this unemployment allowance. The size of our country is so big that it is practically difficult to implement such schemes.

As regards the question of literacy Government propose to tackle the problem by two methods firstly, by enlarging the facilities for primary education and secondly by creating a network of centres for imparting education to adults. It has been decided to set up a National Adult Education Board to coordinate and implement the programmes in this field.

So far as the question of National minimum wage is concerned the National minimum wage might lead to many difficulties and it is neither fair nor advisable to fix it at the present stage.

I will request the mover of the resolution to withdraw the resolution.

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, आपके माध्यम से मैं श्री शांति भूषण से अनुरोध करता हूं कि वह बतायें कि क्या सरकार इस सत्र में अथवा अगले सत्र में चुनाव सुधार सम्बन्धी विधेयक लाने का प्रयास कर रही है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भषण) : जहां तक चुनाव सुधारों का संबंध है, सरकार ने इन्हें अत्यधिक महत्व दिया है। वास्तव में समय-समय पर विभिन्न वर्गों द्वारा जो अनेक प्रस्ताव भेजे गये हैं, सरकार उन पर सक्रिय विचार कर रही है।

माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि चुनाव सुधारों में कई ऐसी कठिनाइयां हैं, जिन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा गहराई से विचार किए जाने के पश्चात् सरकार इस सभा तथा दूसरी सभा में अन्य दलों के साथ बातचीत करने के लिए अपने प्रस्ताव पेश करने की स्थिति में होगी, ताकि मतैक्य से चुनाव में बेहतर सुधार करना सम्भव हो और देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके।

श्री वयालार रवि : सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। मैं माननीय विधि मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने चुनाव सुधारों के बारे में सभा में महत्वपूर्ण घोषणा की है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निदेश दें कि गैर सरकारी कार्य को गम्भीरता से लिया जाये। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली सरकार ने तीस वर्षों में कुछ नहीं किया। यह कहना सही नहीं है। गत तीस वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, विज्ञान आदि में प्रगति हुई है। इसके विपरीत वर्तमान सरकार पिछली सरकार द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में विफल रही है। उपग्रह के द्वारा समुद्री तूफान की पूर्व चेतावनी दी जा सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार लाखों व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने में विफल रही है।

श्री चन्द्रप्पन तथा श्री चटर्जी ने कहा है कि सम्पत्ति का अधिकार शोषण का माध्यम है। मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त किया जायेगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। श्री शांति भूषण एक सुविख्यात विधिविज्ञ हैं और उन्हें ज्ञात है कि उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ी संख्या में मामले सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित होते हैं, क्योंकि सरकार निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करना चाहती है। धनी वर्ग ने हमेशा सम्पत्ति के अधिकार की आड़ लेकर उच्चतम न्यायालय में मामले दायर किए और निर्णय उनके पक्ष में हुए। इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : छः बज चुके हैं। सभा का समय बढ़ाना होगा। क्या सभा की अनुमति है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री वयालार रवि : महोदय, मंत्री महोदय ने वर्ष 1974 से सम्बन्धित भूमि सुधार के आंकड़े दिये हैं। लगभग हर राज्य ने भूमि सुधार लागू किए थे। परन्तु भूमि सुधारों का हुआ क्या? बेलची दुर्घटना क्या थी? भूस्वामियों द्वारा गरीब हरिजनों पर पूर्व नियोजित आक्रमण हुए। वास्तविकता यह है कि भूमि सुधारों को लागू तो किया गया, परन्तु पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लेख किया गया था। मैं संविधान के मौलिक ढांचों में परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं हूं। यह मामला ऐसा है जिसका समाधान उच्चतम न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों का कार्य है। मेरा सम्बन्ध संविधान के मौलिक स्वरूप से है। संविधान का मूल स्वरूप मुख्यतया पूंजीवाद के पक्ष में है। इससे आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में केन्द्रित होने को प्रोत्साहन मिला है। एक बार स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि निर्धन और अधिक निर्धन और धनी और अधिक धनी बन गया है। अतः संविधान का मूल स्वरूप जो कि व्यक्तिवादी है, समाजवाद के ढांचे की धारणा के विपरीत है। सरकार को हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनानी चाहिए। देश में सरकारी क्षेत्र के आधार पर एक सशक्त नीव डाली जानी चाहिए।

यह बड़े दुख की बात है कि गत कई वर्षों में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह कहना अनुचित होगा कि भूतपूर्व सरकार ने ग्रामों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमारा

ग्रामीण समाज बहुत निर्धन है और हमें इसका सुधार करना है। अधिकांश हरिजन और आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करनी होगी। देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 2 करोड़ है। उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जोरदार शब्दों में यह कह सकता हूं कि कांग्रेस के तीस वर्ष के शासन में देश ने प्रगति की है। हमारा दल देश की प्रगति में सहयोग देने को तैयार है और हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं संकल्प को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस संकल्प पर कुछ संशोधन पेश किये गये हैं। क्या माननीय सदस्य संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

The amendments were by leave withdrawn.

सभापति महोदय : क्या माननीय प्रस्तावक को संकल्प वापस लेने की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Relsolution was by leave withdrawn

कृषि और औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन और मूल्यों में संतुलन के बारे में संकल्प

Resolution *Re.* Parity between the Production and Prices of Agricultural and Industrial Products.

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : Sir, I beg to move :—

"This House is of opinion that farmers and poor people of the country have been utterly neglected during the last 30 years and the then Government failed to keep a balance between the agricultural and industrial production. While on the one hand, there was constant decline in agricultural production and prices, on the other, the prices of industrial products constantly increased due to fictitious expenditure.

This House, therefore, resolves that with a view to maintain parity between the production and prices of agricultural and industrial products, necessary steps be taken to ensure that :—

(i) there should not be an increase of more than 10 paise per Kg. in the prices of any foodgrains during the interval between the two successive crops;

(ii) the sale price of any essential goods manufactured in a factory should not in any case be more than one and a half times of its cost of production;

(iii) the farmer should get reasonable price for his foodgrains and other agricultural products which should meet his cost of production as well as the cost of living;

(iv) the profits of big businessmen and big agricultural farmers are curbed;

(v) ceiling on income in the private sector and Government services is imposed;

(vi) taxes such as Octroi, Sales tax, etc., levied on essential goods are reduced; and

(vii) price policy is made effective through a four-tier and autonomous system based on socialism."

सभापति महोदय: वह अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 28 नवम्बर, 1977/7 अग्रहायण, 1899 (शक) के मध्यह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 28th November, 1977/Agrahayana 7, 1899 (Saka).

MGIPRRND—26 LSS 77 —Sec. VIII—11-2-78—200.